

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186433

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. **H 425** Accession No. **1523**

R 17 H
Author **रामनाथ .**

Title **हिंदी-व्याकरण-संक्षेप-प्रकाश .**

This book should be returned on or before the date
last marked below.

हिंदी-व्याकरण-तत्त्व-प्रकाश

रचयिता

पंडित रमानाथ उपाध्याय

एसिस्टेंट मास्टर, सी० ए० बी० हाई स्कूल, इलाहाबाद

और

पंडित विष्णुदत्त उपाध्याय

बी० ए०, एल-एल० बी०

सर्वोदय साहित्य मन्दिर
हुसैन अली रोड, हैदराबाद (दक्षिण).

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

**Published by
K. Mitra,
at the Indian Press,
Allahabad.**

**Printed by,
A Bose
at The Indian Press, Ltd.,
Banaras-Branch.**

प्रस्तावना

बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज-कल अँगरेज़ी हाई स्कूलों की तथा हिन्दी-मिडिल स्कूलों की छठ कक्षाओं में उच्च हिन्दी-साहित्य का प्रचुर प्रचार हो रहा है—समधिक आदर हो रहा है। इसके लिए शिक्षा-विभाग के अधिकारी-वर्ग हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। इन ऊँची कक्षाओं के लिए ऐसे व्याकरण-ग्रन्थों की आवश्यकता है जिनमें अनावश्यक बातों को हटाकर ज्ञातव्य विषयों का विवेचन सुचारु-रूप से किया गया हो तथा उदाहरणों की बहुलता और उचित चुनाव से वे विषय विद्यार्थियों के लिए सरल-सुन्दर बना दिये गये हों जिन्हें पढ़कर छात्र हिन्दी-व्याकरण के मूल सिद्धान्तों को ठीक-ठीक समझ सकें। इन ऊँची कक्षाओं के लिए आज-कल बहुत-से व्याकरण प्रचलित हैं; परन्तु जिस आदर्श की चर्चा ऊपर की गई है उसके ठीक पास तक वे नहीं पहुँच पाते। आज हमने पूर्वोक्त आदर्श को सामने रखकर ऊँची कक्षा के छात्रों के लिए “हिन्दी-व्याकरण-तत्त्व-प्रकाश” को तैयार किया है। इन्हीं आदर्शों को सामने रखकर अपर प्राइमरी कक्षा के बालकों के लिए हमने ‘हिन्दी-व्याकरण-प्रवेशिका’ की रचना की है।

अब हम अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का ध्यान इस ग्रन्थ की विशेषताओं की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। हम लोगों ने इस “तत्त्व-प्रकाश” में निःसन्दिग्ध सिद्धान्तों का ही विशद् विवेचन किया है तथा उन्हें हृदयङ्गम कराने के लिए बहुत-से उदाहरण दिये हैं। हमारा विश्वास है कि प्रचलित व्याकरणों में बहुत कम ऐसे हैं जिनमें इतने प्रचुर उदाहरण से व्याकरण-सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया गया है। हमने जो कुछ लिखा है प्रामाणिक सिद्धान्त लिखा है और उन्हें सरल तथा स्पष्ट बनाने का भरसक प्रयत्न किया है। यों तो हिन्दी-अध्यापकों को इसके अन्य प्रकरणों में भी बहुत-सी नई बातें मिलेंगी; परन्तु हम विशेषतः ‘वाक्य-विभाग’ (syntan) प्रकरण की ओर उनका ध्यान कीर्तना चाहते हैं। शब्द-विवेचन के समान वाक्य-विवेचन भी व्याकरण

का एक अत्यन्त उप-देय भाग है, परन्तु इसकी ओर अध्यापकों तथा व्याकरण लेखकों को जितना ध्यान देना चाहिए उतना उन लोगों ने अब तक नहीं दिया है। हम लोगों ने शब्द के विवेचन के समान ही वाक्य के विवेचन पर भी विशेष ध्यान दिया है। उदाहरणों की प्रचुरता से इसके विभिन्न तत्त्वों का वर्णन विशद रूप से किया गया है। वाक्यों का भेद, कारकों का उपयोग, वाक्यों का विश्लेषण—इन सब आवश्यक विषयों का विवरण हमने इनकी महत्ता के अनुरूप ही कुछ विशेष मात्रा में किया है। अभी तक वाक्य-संयोजन को व्याकरण-ग्रन्थों में उचित स्थान नहीं दिया गया है। पाठक उसे उचित स्थान पर पावेंगे। इन सब विशेषताओं के अतिरिक्त ध्यान से पढ़नेवालों को अन्य प्रकरणों में भी कुछ न कुछ विवेचना की विशदता तथा उदाहरण की सुरुपता अवश्य दृष्टिगोचर होगी। आँगरेज़ी व्याकरण के नियमों से लाभ उठाते हुए हमने इसमें हिन्दीपन की छाप जमाने का पूरा प्रयत्न किया है।

हमारा विचार है कि ग्रन्थ में कितनी भी सजीवता डाली जाय वह अध्यापक का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती। अध्यापक के जीते जागते विवेचन की जितनी प्रशंसा की जाय कम ही है, परन्तु फिर भी हमने इस 'तत्त्व-प्रकाश' में बहुत कुछ सजीवता लाने का प्रयत्न किया है। यदि इसे ठीक ढङ्ग से पढ़ा जाय तो अध्यापक की आवश्यकता अधिकांश में अनुभूत नहीं हो सकती। हमारे इस उद्योग से यदि पाठकों का उचित लाभ हो सका, तो हम अपने परिश्रम को सफल समझेंगे।

इस ग्रन्थ के लिखने में हम लोगों ने आज-कल के प्रचलित व्याकरण-लेखकों के ग्रन्थों से सहायता ली है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद है। हम श्रुत परिणत कामताप्रसाद गुरुजी के विशेष रूप से आभारी हैं जिनके विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ से हमने अनेक पारिभाषिक शब्द तथा उदाहरण ग्रहण किये हैं। इसके लिए हम उन्हें सादर धन्यवाद देते हैं।

ग्रन्थकार

विषय-सूची

विषय	बंध-क्रम
पञ्चभाषा	१—३
ध्वनि	१ (क)
भाषा	१ (ख)
अक्षर	२
वर्णमाला	२ (क)
वाक्य	२ (ख)
व्याकरण	३
वर्णविभाग	३ (क)
शब्द विभाग	३ (ख)
वाक्यविभाग	३ (ग)
वर्णविभाग	४—४७
वर्णविभाग	४
ध्वनि	५
वर्णमाला	६—८
स्वरों के भेद	७
व्यञ्जन	८
अक्षरों के उच्चारणस्थान	९
मात्रा	१०
संयुक्ताक्षर	११
संधि	१२—४७
स्वरसंधि	१३—१८
व्यञ्जनसंधि	१९—३६
विभर्गसंधि	३७—४५

विषय	बंध-क्रम
न का रूपान्तर	४६
स का रूपान्तर	४७
शब्द-विभाग	४८—२६३
शब्द-विभाग	४८
शब्द	४९
सार्थक और निरर्थक शब्द	५०
शब्द-भेद	५१
विकारी और अविकारी शब्द	५२
रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द	५३
विकारी शब्द	५४—२२८
संज्ञा	५४
संज्ञा के भेद	५५—६७
संज्ञाओं के रूपान्तर	६८
लिङ्ग	६९—७४
वचन	७५—७७
कारक	७८—९३
कारक-सम्बन्धी विशेष बातें	९४—१०५
सर्वनाम	१०६
सर्वनाम शब्दों की उपयोगिता	१०७
पुरुष	१०८
सर्वनाम के भेद	११०—१११
सर्वनाम शब्दों के रूपान्तर	११२
कुछ सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग	११४—१२५
विशेषण	१२६—१२७
विशेषण के मुख्य भेद	१२८—१४१
विशेषणों के रूपान्तर	१४२—१४३
वार्तानामिक विशेषणों का रूपान्तर	१४४

विषय

बंध-क्रम

तुलना	...	...	१४५—१४६
क्रिया	...	...	१५०—१५१
क्रिया के भेद	...	...	१५२—१६०
सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पूर्ति	...	...	१६१—१६३
क्रियाओं के रूपान्तर	...	...	१६४—१६५
क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष	...	...	१६६—१६९
प्रेरणार्थक क्रिया	...	...	१७०—१७२
काल	...	...	१७३—१८०
विधिक्रिया	...	...	१८१—१८२
क्रिया के अन्यरूप	...	...	१८३—२००
अर्थ	...	...	२०१—२०२
वाच्य	...	...	२०३—२०६
वाच्यान्तर	...	...	२०७—२१०
काल-रचना के नियम	...	...	२११—२२५
काल-सम्बन्धी विशेष प्रयोग	...	...	२२६—२२८
अविकारी शब्द	...	...	२२९—२४६
क्रियाविशेषण	...	...	२२९—२३६
सम्बन्धसूचक	...	...	२३७—२४२
समुच्चयबोधक	...	...	२४३—२४५
विस्मयादिबोधक	...	...	२४६
शब्दरचना (उपसर्ग, प्रत्यय, कृदन्त, तद्धित, समास)	...	...	२४७—२५५
पुनरुक्ति	...	...	२५६
कारक-विभक्ति-प्रयोग	...	...	२५७—२५९
पदव्याख्या	...	...	२६०—२६३
वाक्य-विभाग	...	...	२६४—३०१
वाक्य	...	...	२६४
वाक्य-भेद	...	...	२६५—२६६

विषय

बंध-क्रम

उद्देश्य और विधेय	...	...	२६७
उद्देश्य का विस्तार	...	...	२६८
विधेय की क्रिया का विस्तार	...	...	२६६
वाक्यविश्लेषण	...	...	२७०
साधारण वाक्य	...	...	२७१
मिश्रवाक्य	...	...	२७२—२७४
संज्ञा उपवाक्य	...	...	२७५
विशेषण उपवाक्य	...	...	२७६
क्रियाविशेषण उपवाक्य	...	...	२७७
संयुक्त वाक्य	...	...	२८०
विश्लेषण-सम्बन्धी विशेष बातें	...	...	२८१—२८२
वाक्य-रचना-विचार	...	...	२८३—२८४
कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय	...	...	२८५
विशेष्य और विशेषण का अन्वय	...	...	२८६
संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय	...	...	२८९
सम्बन्ध और सम्बन्धी का अन्वय	...	...	२९०
नित्य-सम्बन्धी शब्द	...	...	२९१
पदक्रम	...	...	२९२—२९६
कथन-भेद	...	...	२९७
वाक्य-परिवर्तन	...	...	२९८
वाक्य-संयोजन	...	...	२९९—३०१
विराम-चिह्न	...	...	३०३—३१३

हिंदी-व्याकरण-तत्त्व-प्रकाश

१—मनुष्य अपने विचार बोलकर, लिखकर अथवा अन्य संकेतों द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है।

(क) बोलते समय मुख से जो आवाज निकलती हुई सुनाई पड़ती है उसे ध्वनि कहते हैं। पशु, पक्षी तथा अन्य जीवधारियों की बोली एवं सितार, तबले और ढोल के शब्द भी भिन्न भिन्न ध्वनियाँ हैं; पर ऐसी अव्यक्त ध्वनियों से मनुष्य का व्यवहार नहीं चलता। मनुष्य का कारबार समुचित रूप से व्यक्त सार्थक ध्वनियों ही पर अवलम्बित है।

(ख) जिन सार्थक व्यक्त ध्वनियों अथवा शब्द-समूहों द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भाँति प्रकट किया करता है उसे भाषा कहते हैं।

दूरवर्ती मनुष्य के लिए अथवा ऐसे मनुष्य के लिए, जिनसे हम स्वयं बोलना उचित नहीं समझते, हमें अपने मनोगत विचार लिखकर प्रकट करने पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में हम लोगों ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ सांकेतिक चिह्न नियत कर लिये हैं।

२—इन सांकेतिक चिह्नों के उस भाग को जिसका कोई खण्ड न हो सके अक्षर (वर्ण) कहते हैं।

(क) वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द स्वतंत्र रूप से किसी न किसी अर्थ का द्योतक होता है।

(ख) ऐसे शब्द-समूह को, जिससे कोई पूरा भाव प्रकट हो, वाक्य कहते हैं।

* संकेत द्वारा भी विचार प्रकट हो सकते हैं; पर व्याकरण में इनका विचार नहीं होता।

३—जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप एवं वाक्यों के समुचित प्रयोगों का निरूपण हो उसे व्याकरण कहते हैं। हिन्दी-व्याकरण के मुख्य तीन भाग हैं—

(१) वर्णविभाग । (२) शब्दविभाग । (३) वाक्यविभाग ।

(क) जिस विभाग में वर्णों अर्थात् अक्षरों की बनावट, उच्चारण तथा उनके मिलाने की रीतियों का वर्णन हो उसे वर्णविभाग कहते हैं।

(ख) जिस विभाग में शब्दों के भेद तथा उनके रूपादि का वर्णन हो उसे शब्दविभाग कहते हैं।

(ग) जिस विभाग में वाक्यों का परस्पर सम्बन्ध तथा उनके बनाने के नियम बताये गये हों उसे वाक्यविभाग कहते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर किस प्रकार प्रकट करता है ?

(२) भाषा किसे कहते हैं ?

(३) व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ होता है ? इसके न पढ़ने से क्या कठिनाई होगी ?

(४) ध्वनि किसे कहते हैं ? व्याकरण-शास्त्र में किन ध्वनियों का विचार किया जाता है ?

(५) व्याकरण-शास्त्र के कितने विभाग हैं ?

(६) वर्णविभाग, शब्दविभाग और वाक्यविभाग में किन किन बातों का वर्णन है ?

—

वर्णविभाग

४—वर्णविभाग में अक्षरों के आकार, भेद, उच्चारण तथा नियमानुसार उनकी सहायता से शब्दों के बनाने की रीतियों का वर्णन है।

५—बोलते समय मुख से जो आवाज निकलती हुई सुनाई पड़ती है उसे ध्वनि कहते हैं।

(क) वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सकें।
जैसे—अ, ई, क्, ख्, च्, छ्, इत्यादि।

धोती—यह शब्द 'धो' और 'ती' इन ध्वनियों की सहायता से बना हुआ है। इसलिए 'धोती' शब्द वर्ण (अक्षर) नहीं हुआ।

'धोती'—इस शब्द के दो टुकड़े हो सकते हैं—'धो' और 'ती'—

'धो' और 'ती' के भी अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं; इसलिए 'धो' और 'ती' इन ध्वनियों में से एक भी वर्ण नहीं कहा जा सकता।

पुनः धो = ध् + ओ । ती = त् + ई

अब धोती शब्द के चार टुकड़े हुए— $\text{ध्} + \text{ओ} + \text{त्} + \text{ई}$ । इन टुकड़ों के फिर दूसरे टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए ये टुकड़े अलग अलग वर्ण या अक्षर कहे जायेंगे।

लिखित भाषा में भी इन मूल-ध्वनियों को अक्षर या वर्ण कहते हैं।

(ख) जिस रूप में ये वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिन्दी भाषा की लिपि 'देवनागरी लिपि' के नाम से विख्यात है।

६—वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। इनके दो भेद हैं—(१) स्वर और (२) व्यञ्जन

(क) जिस अक्षर (वर्ण) का उच्चारण स्वयं (अर्थात् किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना) होता है उसे स्वर कहते हैं।

जैसे—अ, इ, उ इत्यादि।

स्वरवर्ण ये हैं—

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ ।*

* इन स्वरों के अतिरिक्त संस्कृत में ऋ, लृ, लृ ये तीन स्वर और होते हैं। इनका प्रयोग हिन्दी में नहीं होता। ह्रस्व ऋ का प्रयोग केवल शुद्ध संस्कृत शब्दों ही में होता है। जैसे—ऋण, ऋषि इत्यादि।

७—उत्पत्ति के अनुसार स्वर दो प्रकार के हैं—

(१) मूलस्वर—अ, इ, उ, ऋ ।

(२) संधिस्वर—आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ।

इन संधिस्वरों के दो उपभेद हैं—(१) दीर्घ स्वर, (२) संयुक्त स्वर ।

(क) दो समान मूलस्वरों के मिलाने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं । जैसे—

अ + अ = आ । इ + इ = ई । उ + उ = ऊ

ऋ + ऋ = ऋ—यह दीर्घ स्वर हिन्दी में नहीं है ।

(ख) दो भिन्न स्वरों के मिलाने से जो स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं । जैसे—

अ + इ = ए । आ + ए = ऐ । अ + उ = ओ । आ + ओ = औ

(ग) अ, इ, उ, ऋ के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं ।

(घ) आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ के उच्चारण में ह्रस्व का दूना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं । कहीं कहीं इन्हीं स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का तिगुना समय लगता है । ऐसे स्वरों को प्लुत कहते हैं ।

(ङ) प्लुत को प्रकट करने के लिए कहीं कहीं पर स्वर के आगे ३ का अङ्क लिख देते हैं । जैसे—बुधुआ रे ३ । मुर्गे का शब्द कुकुरुकूँ ३, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन तीनों का एक अच्छा उदाहरण है ।

व्यञ्जन

:—जिस वण की उच्चारण स्वर की सहायता के बिना न हो सके, उसे व्यञ्जन कहते हैं । अग्रलिखित वण व्यञ्जन हैं—

- (१) क ख ग घ ङ—कवर्ग (२) च छ ज झ ञ—चवर्ग
 (३) ट ठ ड ढ ण—टवर्ग (४) त थ द ध न—तवर्ग
 (५) प फ ब भ म—पवर्ग
 (६) य र ल व—अन्तस्थ (७) श ष स ह—ऊष्म

स्पर्शवर्ग

उच्चारण की सुविधा के लिए ड ढ के नीचे बिन्दी लगाकर दो और वर्ण बनाये जाते हैं। जैसे—‘सड़ना’ में ङ और ‘चढ़ना’ में ढ। इन वर्णों के सिवा फारसी और अरबी शब्दों के उच्चारणार्थ अ क ख ग ज फ के नीचे बिन्दी लगाकर अ, क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ये नये वर्ण बनते हैं।

अक्षरों के उच्चारणस्थान

९—अक्षरों के उच्चारणस्थान भी अलग अलग हैं। मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसे (मुख के उस भाग को) उस अक्षर का उच्चारणस्थान कहते हैं। प्रत्येक अक्षर का स्थान अप्रलिखित है—

स्थान	अक्षर
कण्ठ	अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, (:) विसर्ग
तालु	इ, ई, च, छ, ज, झ, ञ, ष, श
मूढा	ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, ण
दन्त	त, थ, द, ध, न, ल, स
ओष्ठ	उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म
नासिका	ङ, ञ, ण, न, म,*
कण्ठ और तालु	ए, ऐ
कण्ठ और ओष्ठ	ओ, औ
दन्त और ओष्ठ	व

* ङ, ज, ण, न, म—इनका उच्चारण अपने अपने वर्ग के स्थान एवं नासिका से मिलकर होता है।

उपयुक्त व्यञ्जन वर्णों में कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वयं (बिना स्वर की सहायता के) उच्चारित किया जा सके। उदाहरण के लिए 'क' वर्ण लीजिए। यदि इसमें से 'अ' स्वर निकाल दिया जाय तो उसका 'क्' ऐसा रूप हो जायगा। परन्तु इस प्रकार स्वर से अलग करने पर इसका स्पष्ट रूप से उच्चारण करना कठिन हो जायगा। इसलिए इसमें 'अ' स्वर मिला दिया जाता है।

(क) इसी प्रकार क्रम से सब स्वर सब व्यञ्जनों में मिलाये जाते हैं—
 क् + अ = क। क् + आ = का। क् + इ = कि। क् + ई = की। क् + उ = कु।
 क् + ऊ = कू। क् + ए = के। क् + ऐ = कै। क् + ओ = को। क् + औ = कौ

उपयुक्त नियम के अनुसार शेष व्यञ्जनों में भी ये स्वर मिलाये जाते हैं; जैसे— ख, खा, खि, खी इत्यादि।

१०—ऊपर के व्यञ्जन और स्वर के संयोग को देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि व्यञ्जनों में मिलने से स्वरों का रूप बदल जाता है।

इस बदले हुए स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं—

प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे लिखी जाती है—

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ
 * । ि ि ि ि ि ि ि ि

(क) आ, ई, ओ और औ की मात्राएँ व्यञ्जन के बाद लगाई जाती हैं; ई की मात्रा व्यञ्जन के पहले; ए, ऐ की मात्राएँ ऊपर, और उ और ऊ की मात्राएँ व्यञ्जन के नीचे लगाई जाती हैं।

(ख) जिस व्यञ्जन के नीचे () ऐसी तिरछी रेखा हो उसे स्वररहित समझना चाहिए। इस चिह्न को हिन्दी में इल् कहते हैं। क् को 'हलन्त क्' पढ़ेंगे।

(ग) व्यञ्जनों में दो वर्ण और होते हैं। उन्हें अनुस्वार और

विसर्ग कहते हैं। व्यञ्जनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। इनके उच्चारण में स्वर पहले आता है, और शेष व्यञ्जनों के साथ पीछे।

अनुस्वार की मात्रा व्यञ्जन के ऊपर और विसर्ग की मात्रा व्यञ्जन के बाद आती है। यथा—

क् + अ = कं । क + अः = कः

(घ) ऋ, ए, ष ये वर्ण केवल शुद्ध संस्कृत शब्दों में ही आते हैं।
जैसे—ऋषि, पुरुष, रामायण इत्यादि।

(ङ) क्ष, त्र, ज्ञ ये दो दो अक्षरों के संयोग से बने हैं।
क् और ष मिलने से क्ष बनता है त् और मिलाने से त्र बनता है।
ज् और ज्ञ मिलाने से ज्ञ बनता है।

(११) स्वरहित व्यञ्जन के बाद यदि कोई व्यञ्जन आवे तो उस अक्षर को उस स्वरहित व्यञ्जन से मिलाकर लिखते हैं। इन मिले हुए अक्षरों को संयुक्ताक्षर कहते हैं।

जैसे—चिट्टो, ठप्पा, चम्पा, इत्यादि।

(क) जब पाईवाले व्यञ्जन के बाद कोई दूसरा व्यञ्जन आकर मिले तो पहले व्यञ्जन की पाई संयोग में गिर जाती है।

जैसे त् + य = त्य । म् + प = म्प । त् + म = त्म इत्यादि।

(ख) जब र् के बाद कोई व्यञ्जन हो तो र् उस व्यञ्जन के ऊपर चला जाता है और उसका रूप (९) ऐसा हो जाता है।

जैसे—महर्षि इत्यादि।

व्यञ्जन के अन्त में र् निम्नलिखित प्रकार से मिलाया जाता है। जैसे—

म् + र = म्र यथा आम् + र = म्र , प्रश्न ज् + र = ज्र , वञ्

कहीं कहीं पर र का (८) ऐसा रूप हो जाता है।

यथा—ट् + र = ट्र — राष्ट्र

(ग) कुछ संयुक्त अक्षर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे—

क्+क=क वा क्क । क्+ल=कु वा कल । व्+व=व्व वा व्व
ल्+ल=ल्ल वा लल । श्+व=श्व वा श्व इत्यादि श का दूसरा रूप श्व है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) ध्वनि किसे कहते हैं ?
- (२) वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं ?
- (३) 'गणेश' शब्द क्या वर्ण हो सकता है ? अगर नहीं तो इसका कारण बतलाओ ।
- (४) वर्णविभाग में किस विषय का वर्णन है ?
- (५) वर्णों के भेद बताओ
- (६) स्वर और व्यञ्जन में क्या भेद है ?
- (७) ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों का भेद उदाहरण देकर समझाओ ।
- (८) हलन्त वर्ण किसे कहते हैं ?
- (९) कुछ, अण, ष से मिले हुए शब्द बताओ ।
- (१०) विदेशी भाषा के कौन-से वर्ण देवनागरी लिपि में व्यवहार किये जाते हैं ?

—

सन्धि

१२—दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार होता है उसे सन्धि* कहते हैं ।

सन्धि के तीन भेद हैं—

*दो वर्णों के मिलने का संयोग भी कहते हैं । संयोग और सन्धि में यह भेद है कि संयोग में अक्षर नहीं बदलते अर्थात् जैसे के तैसे बने रहते हैं; परन्तु सन्धि में उच्चारण के अनुसार अक्षरों के मिल जाने पर उनके (अक्षरों के) रूप में कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाया करता है ।

जैसे—पत्थर, टक्कर, लक्ष्मी, इन्द्र संयोग हैं ।

धर्म्मार्थ, दिग्गज, निष्फल सन्धि हैं ।

(१) स्वरसन्धि (२) व्यञ्जनसन्धि (३) विसर्गसन्धि

(क) दो स्वरों के आपस में मिलने को स्वरसन्धि कहते हैं।

यथा—धमे + अर्थ = धर्मार्थे । विद्या + आलय = विद्यालय, इत्यादि ।

(ख) व्यञ्जन वर्ण के बाद स्वर या व्यञ्जन वर्ण आकर मिले तो व्यञ्जन सन्धि होती है। यथा—

दिक् + गज = दिग्गज । जगत् + ईश = जगदीश, इत्यादि ।

(ग) विसर्ग के साथ स्वर या व्यञ्जन की सन्धि को विसर्गसन्धि कहते हैं। यथा—निः + फल = निष्फल

स्वरसन्धि

१३—दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यथा—

(क) अ + अ = आ = परम + अर्थ = परमार्थ
 अ + आ = आ = रत्न + आश्रम = रत्नाश्रम
 आ + अ = आ = विद्या + अर्थी = विद्यार्थी
 आ + आ = आ = विद्या + आलय = विद्यालय

(ख) इ + इ = ई = गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र
 इ + ई = ऐ = कपि + ईश = कपीश
 वारि + ईश = वारीश

ई + इ = ई = मही + इन्द्र = महीन्द्र
 ई + ई = ई = नदी + ईश = नदीश

(ग) उ + उ = ऊ = भानु + उदय = भानूदय
 उ + ऊ = ऊ = लघु + ऊर्मि = लघूर्मि
 ऊ + उ = ऊ = वधू + उत्सव = वधूत्सव
 ऊ + ऊ = ऊ = भू + ऊर्ध्वम् = भूर्ध्वम्

(घ) ऋ + ऋ = ॠ = मातृ + ऋण = मातृण

नोट—मातृण के बदले मातृण भी लिखते हैं। इसी प्रकार पितृण भी व्यवहृत होता है।

१४—(क) अ वा आ के पदे इ वा ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं ।

यथा—अ + इ = ए = देव + इन्द्र = देवेन्द्र

अ + ई = ए = परम + ईश्वर = परमेश्वर

आ + इ = ए = महा + इन्द्र = महेन्द्र

आ + ई = ए = रमा + ईश = रमेश

(ख) यदि अ वा आ के परे उ वा ऊ हो तो वे दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं । यथा—

अ + उ = ओ = हित + उपदेश = हितोपदेश

अ + ऊ = ओ = जल + ऊर्मि = जलोर्मि

आ + उ = ओ = महा + उत्सव = महोत्सव

आ + ऊ = ओ = महा + उर्मि = महोर्मि ।

(ग) यदि अ वा आ के परे ऋ हो तो वे दोनों मिलकर अर् हो जाते हैं । यथा—

अ + ऋ = अर् = देव + ऋषि = देवर्षि

आ + ऋ = अर् = महा + ऋषि = महर्षि

१५—(क) यदि अ वा आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं । यथा—

अ + ए = ऐ = एक + एक = एकैक

अ + ऐ = ऐ = मत + ऐक्य = मतैक्य

आ + ए = ऐ = विद्या + एव = विद्यैव

आ + ऐ = ऐ = महा + ऐरावत = महैरावत

(ख) यदि अ वा आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं । यथा—

अ + ओ = औ = जल + ओषध = जलोषध

अ + औ = औ = परम + औषध + परमौषध

आ + ओ = औ = महा + औषधि = महौषधि

आ + औ = औ = महा + औदार्य = महौदार्य

१६—(क) इ या ई के परे यदि कोई असवर्ण स्वर आवे तो इ या ई बदलकर य् हो जाता है ।

इ + अ = य = यहि + अपि = यद्यपि

इ + आ = या = अति + आचार = अत्याचार

इ + उ = यु = अभि + उदय = अभ्युदय

इ + ऊ = यू = नि + ऊन = न्यून

इ + ए = ये = प्रति + एक = प्रत्येक

इ + ऐ = यै = अति + ऐश्वर्य = अत्यैश्वर्य

ई + अ = य = नदी + अम्बु = नद्यम्बु

ई + आ = या = देवी + आगम = देव्यागम

इ + उ = यु = सखी + उक्त = सख्युक्त

ई + ऊ = यू = नदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि

ई + ऋ = यू = वली + ऋषभ = वल्यृषभ

ई + ए = ये = सखी + एव = सख्येव

ई + ऐ = यै = देवी + ऐश्वर्य = देव्यैश्वर्य

ई + ओ = यो = सरस्वती + ओष = सरस्वत्योष

ई + औ = यो = वाणो + औचित्य = वाण्यौचित्य

(ख) यदि उ या ऊ के परे कोई असवर्ण स्वर आवे, तो दोनों मिलकर व हो जाते हैं । यथा—

उ + अ = व = अनु + अय = अन्वय

उ + आ = वा = सु + आगत = स्वागत

उ + इ = वि = अनु + इत = अन्वित

उ + ए = वे = अनु + एषण = अन्वेषण

उ + ऐ = वै = बहु + ऐश्वर्य = बहुशैश्वर्य

ऊ + अ = व = सरयू + अम्बु = सरयवम्बु

ऊ + आ = वा = वधू + आदि = वध्वादि

ऊ + इ = वि = तनू + इन्द्रिय = तन्विन्द्रिय

ऊ + ई = वी = तनू + इश्वर = तन्वीश्वर

ऊ + ऐ = वै = वधू + ऐश्वर्य = वध्वैश्वर्य

ऊ + ओ = वो = सरयू + ओष = सरय्वोष

ऊ + औ = वौ = वधू + औदार्य = वध्वौदार्य

(ग) यदि ऋ के परे कोई असवर्ण स्वर आवे, तो ऋ के स्थान में र हो जाता है। यथा—

ऋ + अ = र = पितृ + अमुमति = पित्रमुमति

ऋ + आ = रा = मातृ + आनन्द = मात्रानन्द

ऋ + इ = रि = पितृ + इच्छा = पित्रिच्छा

ऋ + ई = री = पितृ + ईहित = पित्रीहित

ऋ + उ = रु = पितृ + उपदेश = पित्रुपदेश

ऋ + ऊ = रू = पितृ + ऊह = पित्रूह

ऋ + ए = रे = पितृ + एषण = पित्रैषण

ऋ + ऐ = रै = पितृ + ऐश्वर्य = पित्रैश्वर्य

ऋ + ओ = रो = पितृ = ओक = पित्रोक

ऋ + औ = रौ = पितृ = औदार्य = पित्रौदार्य

१७—(क) यदि ए के परे कोई भिन्न स्वर हो, तो ए के स्थान में अय् हो जाता है। यथा—

ए + अ = अय् = शे + अयन = शयन

(ख) यदि ऐ के परे भिन्न स्वर हो, तो ऐ के स्थान में आय् हो जाता है। यथा—

ऐ + अ = आय् = विनै + अक = विनायक (गणेश)

गै + अक = गायक (गवैया)

(ग) यदि ओ के परे कोई भिन्न स्वर हो तो ओ के स्थान में अव् हो जाता है। यथा—

भो + अन = भ् + अव् + अन = भवन। पो + इत्र = प् + अव् +

इत्र = पवित्र। गो + ईश = ग + अव् + ईश = गवीश

(घ) यदि औ के पर कोई भिन्न स्वर हो, तो औ के स्थान में आव् हो जाता है। यथा—

पौ + अक = प् + आव् + अक = पावक । नौ + इक = न् + आव् + इक = नाविक । भौ + उक = भ् + आव् + उक = भावुक

१८—संस्कृत में पदान्त ए और ओ के परे यदि अ आवे तो अ का लोप हो जाता है और उसके स्थान में लुप्ताकार का चिह्न (ऽ) रख देते हैं । यथा—

ते + अत्र = तेऽत्र । ते + अपि = तेऽपि । सो + अत्र = सोऽत्र

व्यञ्जनसन्धि

१९—त या द् के परे च या छ हो अथवा ज या झ हो, तो त या द् के स्थान में क्रम से च् और ज् हो जाते हैं ।

यथा — महत् + चक्र = महच्चक्र ।

उत् + चारण = उच्चारण । शरत् + चन्द्र = शरच्चन्द्र । उत् +

छिन्न = उच्छिन्न । विपद् + जाल = विपज्जाल । सत् + जन = सज्जन

२०—न् के परे यदि ज या झ हो तो न् के स्थान में ज् हो जाता है । जैसे—

महान् = जय = महाजय

२१—यदि पद के अंत में त या द् हो, और इनके परे श वर्ण हो तो त या द् के स्थान में च हो जाता है और श बदलकर छ हो जाता है । जैसे—

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र । उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट । तद् + शरीर = तच्छरीर

२२—यदि पद के अन्त में त या द् हो और इनके परे ह हो, तो त या द् के स्थान में द और ह के स्थान में ध हो जाता है । यथा—

उत् + हत = उद्धत । तद् + हित = तद्धित

२३—यदि त या द् के बाद ट या ठ हो, तो त या द् के स्थान में ट् हो जाता है । यथा—

तद् + टीका = तट्टीका । सत् + टीका = सट्टीका । एतद् + ठक्कुर = एतट्ठक्कुर

२४—यदि त या द् के बाद ट या ड हो, तो त या द् के स्थान में ट् हो जाता है । यथा—

उत् + डीन = उट्डीन । तद् + डिण्डिम = तट्ठिण्डिम

२५—त् द्व अथवा न् के परे ल हो, तो त् द्व अथवा न् के स्थान में ल हो जाता है; पर न् के पहले के वर्ण पर चन्द्रविन्दु लगता है। यथा—

बृहत् + ललाट = बृहत्ललाट । महान् + लाभ = महोलाभ

२६—पदान्त त् के बाद यदि कोई स्वर आवे अथवा ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व इनमें से कोई वर्ण हो, तो त् बदलकर द् हो जाता है। यथा—

जगत् + ईश = जगदीश । महत् + ऐश्वर्य = महदैश्वर्य

जगत् + इन्द्र = जगदिन्द्र । महत् + औषध = महदौषध

बृहत् + गहन = बृहद्गहन । भवत् + दर्शन = भवदर्शन

महत् + भय = महद्भय । बृहत् + मान = बृहद्मान

२७—यदि पद के अन्त में द् हो और इसके बाद न या म आवे, तो द् विकल्प से न् में बदल जाता है। यदि इस द् के बाद मय या मात्र आवे तो द् सदा न् में बदल जाता है।

यथा—तद् + नीर = तन्नीर या तदनीर

तद् + मय = तन्मय । एतद् + मात्र = एतन्मात्र

२८—यदि पद के अन्त में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके बाद मय अथवा मात्र आवे, तो वर्ग का प्रथम अक्षर अपने वर्ग का पञ्चम अक्षर हो जायगा। यथा—

वाक् + मय = वाङ्मय । चित् + मय = चिन्मय

२९—यदि त और थ के पहले ष वर्ण आवे, तो त और थ क्रमशः ट और ठ हो जाते हैं। यथा—

आकृष् + त = आकृष्ट । षष् + थ = षष्ठ

३०—यदि पद के अन्त में क् हो और इसके पर कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो किंवा य, र, ल, व इनमें से कोई अक्षर आवे, तो पदान्त का क् बदलकर ग् हो जाता है। यथा—

दिक् + अन्त = दिगन्त । वाक् + आङ्म्वर = वागाङ्म्वर वाक् +

ईश = वागीश । वाक् + जाल = वाग्जाल । वाक् + दान = वाग्दान

३१—यदि पद के अन्त में च्, द् या पू हो और इनके आगे कोई स्वर

या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ग आवे, तो च्, ट्, पू का क्रमशः ज्, ङ् और ब् हो जाता है। यथा—अच् + अन्त = अजन्तः॥
अप् + ज = अज्ज, इत्यादि ।

३२—यदि पद के अन्त में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके परे न या म हो, तो वर्ग का वह प्रथम अक्षर अपने वर्ग का तृतीय अथवा पञ्चम अक्षर हो जाता है। यथा—

दिक् + नाग = दिङ्नाग । दिङ्नाग जगत् + नाथ = जगन्नाथ,
जगद्नाथ । प्राक् + मुख = प्राङ्मुख, प्रागमुख

३३—यदि न के पूर्ण च् या ज् वर्ग आवे तो न बदलकर व् हो जाता है। यथा—

यज् + न = यज्ञ । याच् + ना = याञ्वा

३४—म् के परे स्पर्श वर्ग आने से विकल्प से उस वर्ग का पञ्चम अक्षर अथवा अनुस्वार हो जाता है। जैसे—

सम् + कल्प = संकल्प या सङ्कल्प । किम् + चित् = किञ्चित् या किञ्चित्

३५—पदान्त म् के परे यदि अन्तःस्थ अथवा ऊष्म वर्ग आवे तो म् का अनुस्वार हो जाता है। जैसे—सम् + हार = संहार ।

३६—छ वर्ग के पूर्ण यदि कोई स्वर रहे, तो छ का च्छ हो जाता है। यथा—

परि + छद = परिच्छद । बदरी + छाया = बदरीच्छाया
आ + छादन = आच्छादन

विसर्गसन्धि

३७—यदि विसर्ग के परे च या छ हो, तो विसर्ग का श् हो जाता है। यथा—

निः + चल = निश्चल । निः + छल = निश्छल

३८—यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आवे, तो विसर्ग का ष् हो जाता है।

यथा—

धनुः + टंकार = धनुष्टंकार । स्थिरः + ठक्कुर = स्थिरष्ठक्कुर
३९—यदि विसर्ग के बाद त या थ हो, तो विसर्ग का स् हो जाता है ।

यथा—

मनः + ताप = मनस्ताप । क्षिप्तः + थुत्कार = क्षिप्तस्थुत्कार । दुः + तर = दुस्तर

४०—यदि विसर्ग के पहले अ हो और आगे किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ अथवा पंचम वर्ण किंवा य, र, ल, व, ह इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग और पूर्ववर्ती अ दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं । यथा—

मनः + योग = मनोयोग । तेजः + राशि = तेजोराशि । मनः + रथ = मनोरथ । मनः + हर = मनोहर । मनः + विकार = मनोविकार

४१—यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और आगे किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण, य, र, ल, व, ह या अन्य कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान में र् हो जाता है । यथा—

निः + धन = निर्धन । निः + गुण = निगुण । निः + आशा = निराशा । निः + मम + निमेष = निः + आधार = निराधार

४२—यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर रहे और आगे र हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है । यथा—

निः + रोग = नीरोग । निः + रस = नीरस

४३—यदि विसर्ग के पूर्ण इ अथवा उ हो और आगे क, ख और प, फ हो, तो विसर्ग प् हो जाता है । यथा—

निः + कपट = निष्कपट । निः + पाप = निष्पाप । निः + फल = निष्फल
अपवाद—‘दुःख’ शब्द का विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है ।

४४—यदि विसर्ग के बाद श्, ष या स् हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान में विसर्ग के आगे का वर्ण हो जाता है । यथा—

निः + सन्देह = निःसन्देह या निस्तसन्देह

दुः + शासन = दुःशासन या दुश्शासन

४५—यदि विसर्ग के पहले अ हो और आगे भी, तो पहला अ और विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं और दूसरे अ का लोप करके उसके स्थान में लुप्ताकार का चिह्न (ऽ) रख देते हैं। यदि विसर्ग के आगे अ से भिन्न कोई दूसरा स्वर आवे, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर कोई सन्धि नहीं होती। जैसे—

प्रथमः + अध्याय = प्रथमोऽध्यायः द्वितीयः + अध्याय =

द्वितीयोऽध्यायः अतः + एव = अतएव

न का रूपान्तर

४६—यदि ऋ, ॠ, र्, बा ष् के बाद न हो, तो न का ण हो जाता है। यदि ऋ, र्, ष् और न के बीच में कोई स्वर या कवर्ग और पवर्ग का कोई अक्षर अथवा अनुस्वार य, व, ह, किंवा कोई स्वर आवे, तो भी न का ण हो जाता है। जैसे—

ऋण, वृष्णा, विस्तीर्णा, परिमाण, रामायण, रावण, ग्रहण इत्यादि।

अपवाद—दुर्नाम, पुनर्गवा, शत्रुघ्न, निर्विघ्न, दुर्निवार, दुर्नीति। इन शब्दों में न का ण नहीं होता।

स का रूपान्तर

४७—यदि किसी शब्द के आदि में स हो और उसके पहले अ और आ को छोड़कर कोई स्वर अथवा क् या र् आवे, तो स का ष हो जाता है। जैसे—

नि + सिद्ध = निषिद्ध वि + सम = विषम इत्यादि

सूचना—सन्धि का सम्बन्ध संस्कृत व्याकरण से है; अतः इसकी विवेचना यहाँ पूर्ण रूप से नहीं की गई है। हिन्दी में शुद्ध संस्कृत शब्दों और सामासिक पदों का भी उपयोग होता है, इसलिए थोड़े से नियम यहाँ पर प्रदर्शित किये गये हैं।

शब्द-विभाग

४८—शब्द-विभाग में शब्दों के भेद तथा उनके बनाने की रीतियों का वर्णन है।

४९—एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक स्वतन्त्र ध्वनि को शब्द कहते हैं*।

मैं, तुम, तू, घोड़ा, राजा, आम, पानी ये सब शब्द हैं; क्योंकि ये एक या अधिक अक्षरों से मिलकर बने हैं और स्वयं कुछ अर्थ भी रखते हैं।

‘घोड़ा’ कहने से एक पशुविशेष का बोध होता है, अतः यह किसी स्वतन्त्र अर्थ का द्योतक है।

५०—शब्द दो प्रकार के होते हैं—(१) सार्थक और (२) निरर्थक।

जिस शब्द का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं। जिस

शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक कहते हैं।

पशु-पक्षियों की बोली, सितार, तबला, टोल इत्यादि के शब्द निरर्थक हैं, क्योंकि उनका कुछ अर्थ नहीं है।

व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही वर्णन किया जाता है। इन्हीं शब्दों के द्वारा हम बड़े बड़े व्याख्यान दे सकते हैं या बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख सकते हैं।

५१—लिखने या बोलने में हम जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं वे केवल आठ प्रकार के हैं—

*कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जो स्वयं सार्थक नहीं हैं। जब शब्दों के साथ उनका मेल होता है तब वे सार्थक हो जाती हैं। ऐसी ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं। जैसे :—ने, को, से, त्व, पन इत्यादि।

उन शब्दांशों को जो शब्दों के पहले लगाये जाते हैं उपसर्ग कहते हैं। ‘विज्ञान’ शब्द में ‘वि’ उपसर्ग है।

जो शब्दांश शब्दों के बाद आते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ‘मनुष्यत्व’ शब्द में ‘त्व’ प्रत्यय है। ने, को, का इत्यादि कारकों के चिह्नों को विभक्ति कहते हैं।

(१) संज्ञा, (२) विशेषण, (३) सर्वनाम, (४) क्रिया, (५) क्रिया-विशेषण, (६) सम्बन्ध-सूचक, (७) समुच्चयबोधक, (८) विस्मयादिबोधक ।

(क) संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा मनुष्य के नाम को कहते हैं ।
आम, लखनऊ, उँचाई, रामप्रसाद, गोविन्द इत्यादि ।

(ख) विशेषण उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा या संज्ञा के बदले आनेवाले शब्द का गुण बतलावे । जैसे—काला, पीला, अच्छा, गोल, थोड़ा इत्यादि ।

(ग) क्रिया उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाय । जैसे—देखना, खाता है, जायगा, जा रहा है, चले'गे, गये, गया था इत्यादि ।

(घ) सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आवे । जैसे—
वह, तू, मैं, हम इत्यादि ।

(च) क्रियाविशेषण उस शब्द को कहते हैं जिससे क्रिया की विशेषता पाई जाय । जैसे—वह धीरे धीरे चलता है । मैं अभी लौटूँगा ।
यहाँ पर 'धीरे धीरे' और 'अभी' क्रियाविशेषण हैं ।

(छ) सम्बन्धसूचक शब्द संज्ञा या संज्ञा के समान उपयोग में आनेवाले शब्द के बहुधा आगे आता है, और जिस संज्ञा या संज्ञा के समान उपयुक्त होनेवाले शब्द के आगे आता है उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है ।

उदाहरण—गे'द मेज के नीचे पड़ा है । यहाँ 'नीचे' शब्द सम्बन्धसूचक शब्द है; क्योंकि यह 'गे'द' और 'मेज' इन दो शब्दों के पारस्परिक सम्बन्ध का सूचित करता है ।

(ज) समुच्चयबोधक शब्द वह है जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्य-खण्डों को एकत्रित कर उनका पारस्परिक योग या पृथक्त्व सूचित

करे। जैसे—राम और लक्ष्मण, मैं गया और वह लौट आया।
सच बोलना या तप करना दोनों एक ही हैं।

(भ) विस्मयादिबोधक शब्द कहनेवाले के हृदय के हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों का ज्ञान कराता है। उदाहरण—
ओ हो ! बाप रे ! हाय हाय ! छिः छिः इत्यादि।

५२—ऊपर के आठ प्रकार के भेद केवल प्रयोग के अनुसार हैं, परन्तु रूप के अनुसार शब्दों के केवल दो ही भेद हैं—(१) विकारी और (२) अविकारी।

(क) जिन शब्दों के रूप में कोई विकार होता है अथवा जिनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाया करता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। जैसे—
संज्ञा—लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, इत्यादि। सर्वनाम—
मैं, मुझे, मेरा, मेरी इ०। विशेषण—नीला, नीले, नीली इ०।
क्रिया—देख, देखना, देखें, देखकर इ०।

(ख) जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रियाविशेषण, सम्बन्धसूचक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द हैं। इन चारों को अव्यय भी कहते हैं। जैसे—
अगर, और, परन्तु, ओह, हाय इत्यादि।

५३—व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के दो भेद हैं।

(१) रूढ़ और (२) यौगिक।

(क) जिस शब्द के खण्डों का अर्थ न हो सके उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे—घोड़ा, गाय, पैर इत्यादि। 'घोड़ा' शब्द के दो टुकड़े 'घो' और 'ड़ा' हैं। पर 'घो' और 'ड़ा' के अलग अलग कुछ भी अर्थ नहीं हैं। अतः यह शब्द रूढ़ हुआ।

(ख) जिस शब्द के टुकड़ों (खण्डों) का कुछ अर्थ हो उसे यौगिक कहते हैं ।

रूढ़ शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय या दूसर शब्द के मिलाने से यौगिक शब्द बनते हैं । उदाहरण—घुड़साल, मुठभेड़, विद्यालय, नीलपत्र सुजन इत्यादि ।

(ग) वह शब्द जो देखने में यौगिक संज्ञा के समान मालूम हो, पर जिन शब्दों के योग से वह बना हो उनका अर्थ न प्रकाशित करके एक दूसरे अर्थ का द्योतक हो, उसे योगरूढ़ कहते हैं । जैसे—

पंकज = पंक + ज । इस शब्द का अर्थ है “कीचड़ से उत्पन्न” । बहुत-सी चीजें कीचड़ से उत्पन्न होती हैं, पर सबको हम ‘पंकज’ नहीं कह सकते; ‘पंकज’ शब्द से केवल कमल का ही अर्थ लिया जाता है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) शब्द-विभाग में किन बातों का वर्णन है ?

(२) शब्द किसे कहते हैं ? उदाहरण-द्वारा बतलाओ ।

(३) शब्द के कितने भेद हैं ? उदाहरण देकर समझाओ ।

(४) शब्दों का वर्गीकरण किन किन सिद्धान्तों के अनुसार हुआ है ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो ।

(५) रूढ़ और यौगिक शब्द किसे कहते हैं ? इनका भेद उदाहरण से स्पष्ट करो

(६) रूप के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं ?

(७) श्लोक के अनुसार शब्दों के जो भेद बतलाये गये हैं उनका अलग अलग उदाहरण दो और यह भी बतलाओ कि उनमें से कितने प्रकार के शब्दों को विकारी कहते हैं और कितने प्रकार के शब्दों को अविकारी ।

(८) निम्नलिखित शब्द किस प्रकार के हैं—

राम, हाय हाय, ऊपर, नीचे, जाना, लखनऊ, मुठभेड़, विद्यार्थी, पंकज, पीताम्बर ।

(९) उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाओ ।

विकारी शब्द

संज्ञा

५४—संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, भाव या मनुष्य के नाम को कहते हैं।

जैसे—किताब, मेज़, लोटा, इलाहाबाद, इत्यादि।

यहाँ किताब, मेज़ इत्यादि शब्द संज्ञा हैं; क्योंकि ये किसी न किसी वस्तु-विशेष के नाम हैं।

संज्ञा केवल नाम ही को कहते हैं; मेज़ जिस वस्तु की बनी हुई है, उस वस्तु को संज्ञा नहीं कह सकते। हम केवल उसके नाम ही को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार 'किताब' जिस चीज़ की बनी हुई है, उस चीज़ को हम संज्ञा नहीं कह सकते। हम केवल उसके नाम को संज्ञा कह सकते हैं।

५५—संज्ञा के मुख्य दो भेद हैं—(१) पदार्थवाचक और (२)

भाववाचक।

५६—जिस संज्ञा से संसार के किसी पदार्थ अथवा पदार्थों के समूह का बोध हो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—मोहन लड़का, लोटा, तेल, मुण्ड, सभा इत्यादि।

नोट—यहाँ पर 'पदार्थ' शब्द जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए प्रयुक्त हुआ है।

पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद हैं—(१) व्यक्तिवाचक और (२) जातिवाचक।

५७—जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—रामदास, लखनऊ, इलाहाबाद, ताजमहल, गङ्गा इत्यादि।

'रामदास' कहने से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है। 'गङ्गा' कहने से केवल एक ही नदी का बोध होता है। प्रत्येक नदी

को गङ्गा नहीं कह सकते। 'इलाहाबाद' कहने से केवल एक ही नगर का बोध होता है। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं।

५८—कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञायें प्रयोग-विशेष के बल जातिवाचक हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में वे व्यक्ति-विशेष के लिए न आकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों की विशेषता जताने के लिए प्रयुक्त होती हैं। यथा—

(१) प्रोफेसर राममूर्ति कलियुग के भीम हैं।

(२) तुम तो रुस्तम हो। (३) तुम्हारे घर की मन्थरा कहाँ गई ?
इन वाक्यों में 'भीम', 'रुस्तम' और 'मन्थरा' शब्द केवल आदिमियों के गुणों की समानता दिखाने के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

ऊपर के उदाहरणों में—

(१) भीम = भीम के समान बली पुरुष। (२) रुस्तम = रुस्तम के समान बली पुरुष। (३) मन्थरा = मन्थरा के समान दुष्टा नारी।

(१) अतः प्रोफेसर राममूर्ति कलियुग के भीम हैं = प्रोफेसर राममूर्ति कलियुग के (आजकल के) एक ऐसे बली पुरुष हैं जितने बली भीम द्वारा में थे।

(२) तुम तो रुस्तम हो = तुम इतने बली हो जितना बली रुस्तम था।

(३) तुम्हारे घर की मन्थरा कहाँ गई = तुम्हारे घर की वह स्त्री कहाँ गई जो मन्थरा के समान कुटिला थी ? जब एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है।

यथा—

(१) हमारी कक्षा में दो रामदास हैं। (२) "कहु रावण, रावण जग केते"।

प्रथम उदाहरण में 'रामदास' जातिवाचक संज्ञा है। द्वितीय उदाहरण में पहला 'रावण' शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दूसरा 'रावण' शब्द जातिवाचक संज्ञा है।

५९—जिस संज्ञा से एक ही जाति के सम्पूर्णपदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—पुस्तक, लोटा, कलम, चारपाई, नदी इत्यादि।

‘पुस्तक’ जातिवाचक संज्ञा है; क्योंकि संसार में जितनी चीजें इस प्रकार की हैं उन सबको पुस्तक कह सकने हैं।

‘रामदास’ कहने से संसार में जितने मनुष्य हैं उन सबका बोध नहीं हो सकता। ‘रामदास’ संज्ञा से तो केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है।

पुनः—एक कक्षा में जितने बालक हैं उन सबके कलम को हम कलम ही कहेंगे; क्योंकि कलम संज्ञा एक ही जाति की चीजों का नाम है। ‘कलम’ शब्द भी इसलिए जातिवाचक संज्ञा है।

६०—कुछ जातिवाचक संज्ञाएँ कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की तरह प्रयुक्त होती हैं। यथा—

‘पुरी’ = जगन्नाथपुरी ‘दाऊ जी’ = बलदेव जी (श्री कृष्णचन्द्र के भाई)

‘संवत्’ = विक्रमी संवत्। ‘देवी’ = दुर्गा देवी

६१—कुछ उपनाम के शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे—

भारतेन्दु = बाबू हरिश्चन्द्र (कवि)। गोसाईं जी = श्री गोस्वामी।

तुलसीदास। दक्षिण = दक्षिणी भारत। मालवीय जी = पं० मदन-

मोहन मालवीय। लाला जी = लाला लाजपतराय

६२—जिस संज्ञा से पदार्थ अथवा पदार्थों के किसी धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे—लड़कपन, बुढ़ापा, ठंडक,

पीलापन, सत्यता, भुकाव, भलाई, मिठास, सुकंदी इत्यादि।

संसार के जितने पदार्थ हैं वे अपने विशेष गुणों अथवा धर्मों ही से पहचाने जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक पदार्थ कुछ विशेष गुणों अथवा धर्मों का समुदाय-रूप है।

किसी परिचित पदार्थ का नाम सुनते ही हमारे मन में उस पदार्थ के विशेष धर्मों अथवा गुणों की भावना होने लगती है और फलतः

इन विशेष धर्मों और गुणों के द्वारा उस पदार्थ-विशेष का चित्र हमारे मानस-पटल पर पूर्ण रूप से अंकित हो जाता है। 'मधु' शब्द के सुनते ही हमारे मन में मधु पदार्थ के विशेष धर्मों अर्थात् उसके स्वाभाविक गुणों की भावना होने लगती है। मधु के—मिठास, द्रवत्व, चिपचिपाहट इत्यादि धर्म हैं। इन्हीं भिन्न धर्मों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

६३—विशेष धर्मों ही के सहारे हम किसी पदार्थ को अन्य पदार्थों से पृथक् कर सकते हैं।

पदार्थ के धर्म को हम पदार्थ से अलग नहीं कर सकते। हम केवल अपनी मानसिक कल्पना ही से पदार्थ के प्रत्येक धर्म को अलग कर सकते हैं।

नोट—विशेषण और भाववाचक संज्ञा में जो भेद है उसे बालकों को भली भाँति समझा देना चाहिए।

६४—विशेषण भी गुण बतलाता है, परन्तु वह संज्ञा नहीं है।

कोमल और कोमलता ये दो शब्द हैं। 'कोमल' शब्द किसी वस्तु के धर्म, गुण अथवा अवस्था का नाम नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि "फूल में कोमल है" तो इस वाक्य का कोई भी अर्थ न समझेगा; और यदि वाक्य को सुधारकर इस प्रकार कहा जाय कि 'फूल में कोमलता है', तो इसके समझने में कोई कठिनाई न होगी।

विशेषण शब्द वाक्य में किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है। भाववाचक संज्ञा स्वतः किसी गुण अथवा भाव का नाम है। जैसे—

विशेषण—मोहन एक सुन्दर लड़का है।

भाववाचक संज्ञा—सुन्दरता सबको प्रिय है।

६५—भाववाचक संज्ञा भी कभी कभी जातिवाचक संज्ञा हो जाया करती है। यथा—

(१) “उसके आगे सब रूपवती स्त्रियाँ निरादर हैं।” यहाँ ‘निरादर’ का अर्थ है—निरादर योग्य स्त्रियाँ।

(२) “ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं”। यहाँ “पहरावे” का अर्थ है—पहिनने के वस्त्र।

६६—भाववाचक संज्ञाये' निम्नलिखित शब्दों से बनती हैं—

भाववाचक

(१) संज्ञा से—लड़का = लड़कपन। मनुष्य = मनुष्यत्व

(२) विशेषण से—अच्छा = अच्छाई

छोटा = छोटाई ठंडा = ठंडक मीठा = मिठास

(३) क्रिया से—चलना = चाल, चलन दौड़ना = दौड़

६७—संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होनेवाले शब्द।

प्रत्येक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा के स्थान में आ सकता है; पर निम्नलिखित शब्द-भेद विशेष ध्यान देने योग्य हैं—

(क) सर्वनाम—यथा—वह (गोविन्द) घर में सो रहा है।

(ख) विशेषण का प्रयोग भी बहुधा संज्ञा के स्थान में होता है। जैसे—
बड़ों से नम्रतापूर्वक बोलो।

(ग) क्रिया का साधारण रूप—नहाना स्वास्थ्य के लिए हितकर है।

(घ) क्रियाविशेषण शब्द—दूर के ढोल सुहावने। हाँ में हाँ मिलाना।

(ङ) विस्मयादिबोधक शब्द—मैं तुम्हारी बाइबाही सुनना नहीं चाहता।

(च) सम्बन्धसूचक अव्यय—नीचे का हिस्सा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) संज्ञा किसे कहते हैं ?

(२) संज्ञा के कितने भेद हैं ? उदाहरण देकर बतलाओ।

(३) व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में क्या अन्तर है ? पूर्ण रीति से समझाकर लिखो।

(४) व्यक्तिवाचक संज्ञा किस अर्थ में जातिवाचक संज्ञा हो जाती है; और जातिवाचक कब व्यक्तिवाचक की भाँति प्रयुक्त होती है ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो ।

(५) भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ?

(६) “फूल में सुन्दर है” क्या यह वाक्य ठीक है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसी सम्बन्ध में यह भी बतलाओ कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा में क्या भेद है ।

(७) भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बन सकती है ? उदाहरण देकर लिखो ।

(८) अग्रलिखित वाक्यों में जो संज्ञा शब्द हैं उनकी एक सूची बनाओ और उनके भेद लिखो—

(१) राम एक अच्छा लड़का है ।

(२) तुम्हारे बाप का क्या नाम है ?

(३) राम और रावण में घोर लड़ाई हुई ।

(४) कोमलता स्त्रियों का गुण है ।

(५) लजा स्त्रियों का भूषण है ।

(६) कालिदास भारतवर्ष के श्रेष्ठ कवियों में हैं ।

(७) राम को पुरी जाना है ।

(८) इस समय कौन संवत् बीत रहा है ?

(९) इस आम की मिठास अपूर्व है ।

(१०) विकराल काल से किसी की भी मुक्ति नहीं हुई ।

—:०:—

संज्ञाओं के रूपान्तर

६८—लिङ्ग, वचन कारक इत्यादि के द्वारा संज्ञाओं के रूप में जो हेर-फेर हो जाया करते हैं उन्हें संज्ञाओं के रूपान्तर कहते हैं ।

लिङ्ग

६८—लिङ्ग संज्ञा का वह रूप है जिसके द्वारा कहे हुए शब्द की जाति पहचानी जाय अर्थात् जिससे यह मालूम हो कि अमुक शब्द किसी पुरुष या स्त्री अथवा नर या मादा के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिन्दी में दो लिङ्ग होते हैं—पुँल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग।

(क) जिस शब्द से किसी पुरुष या नर का बोध हो उसे पुँल्लिङ्ग कहते हैं। जैसे—लड़का, घोड़ा, बैल इत्यादि।

(ख) जिस शब्द से किसी स्त्री या मादा का बोध हो उसे स्त्रीलिङ्ग कहते हैं। जैसे—लड़की, घोड़ी, गाय इत्यादि।

७०—प्राणिवाचक शब्दों के लिङ्ग की पहिचान बहुत सरल है। जैसे—घोड़ा, घोड़ी, कुत्ता, कुतिया, बैल, गाय, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी इत्यादि।

अप्राणिवाचक शब्दों के लिङ्ग की पहचान कुछ कठिन है। ऐसी संज्ञाओं के लिङ्ग का ज्ञान साधारण बोलचाल तथा कोष से होता है।

७१—नीचे लिखे हुए शब्द पुँल्लिङ्ग हैं—

(१) कुछ आकारान्त शब्द—जैसे—छाता, सोटा, लोटा, घड़ा, जाड़ा इत्यादि।

(२) कुछ इकारान्त शब्द जिनसे किसी जाति अथवा व्यवसाय का बोध हो; जैसे—माली, धोबी, नाई, कुर्मी इत्यादि।

(३) महीनों और दिनों के नाम; जैसे—चैत्र, वैशाख, जेठ, सोमवार, बुधवार, इत्यादि।

(४) तारों और ग्रहों के नाम—सूर्य, चन्द्र इत्यादि।
नोट—‘पृथ्वी’ स्त्रीलिङ्ग है।

(५) पहाड़ों के नाम—हिमालय, विन्ध्याचल, नीलगिरी इत्यादि।

(६) देशों के नाम—हिन्दुस्तान, चीन, अमरीका, ईंगलिस्तान इत्यादि।

(७) समुद्रों के नाम—हिन्द महासागर, पैसिफिक महासागर इत्यादि।

- (८) जिलों के नाम—इलाहाबाद, गोंडा, मैनपुरी इत्यादि ।
- (९) शहरों तथा गाँवों के नाम—इलाहाबाद, कानपुर, फतेहपुर इत्यादि ।
नोट—काशी, मथुरा, अयोध्या, काश्मी, अवन्तिका इत्यादि स्त्रीलिङ्ग हैं ।
- (१०) जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में आव, पन, त्व और पा हो—
खिंचाव, लड़कपन, मनुष्यत्व, महत्त्व, बुढ़ापा इत्यादि ।
- (११) धातुओं के नाम—सोना, पीतल, ताँबा इत्यादि । परन्तु 'चाँदी' शब्द स्त्रीलिङ्ग है ।
- (१२) पेड़ों के नाम—आम, बरगद, शीशम, नीम, अमरूद इत्यादि ।
नोट—इमली स्त्रीलिङ्ग है ।
- (१३) अनाजों के नाम—चना, मटर, गेहूँ, जौ इत्यादि ।
नोट—अरहर, मूँग, मकई स्त्रीलिङ्ग हैं ।
- (१४) रत्नों के नाम—हीरा, मोती, पन्ना, मूँगा इत्यादि ।
विशेष सूचना—घी, दही, जी, हाथी, पानी, शरबत पुँलिङ्ग हैं ।
'आत्मा' शब्द दोनों लिङ्गों में प्रयुक्त होता है ।
- ७२—आगे लिखे हुए शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं—
- (१) कुछ ऐसे शब्द जिनके अन्त में 'ई' हो; जैसे—रोटी, लाठी, कुर्सी, चौकी, टोपी इत्यादि ।
- (२) कुछ शुद्ध संस्कृत शब्द जिनके अन्त में 'आ' हो; जैसे—लता, वाता, दया, माला, कृपा, अभिलाषा, इच्छा इत्यादि ।
- (३) नदियों के नाम—गङ्गा, यमुना, नर्मदा, कावेरी इत्यादि ।
नोट—सिन्धु, ब्रह्मपुत्र सोन पुँलिङ्ग हैं क्योंकि संस्कृत में ये बहुधा 'नद' कहे गये हैं और नद शब्द संस्कृत में पुँलिङ्ग है ।
- (४) तिथियों के नाम—परिवा, दूज, तीज, चौथ इत्यादि ।
- (५) जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में न्त, ता, आई, वट, हट हों ।
जैसे—गदन्त, मनुष्यता, सिलाई, रुलाई, सजावट, घबराहट इत्यादि
- (६) ऊनवाचक या आकारान्त शब्द—जैसे—खटिया, डिविया, डलिया इत्यादि ।

(७) वर्णमाला के अक्षर इ, ई और ऋ ।

नोट—खीर, दाल, केसर शब्द भी स्त्रीलिङ्ग हैं ।

७३—पुँल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के कुछ नियम—

(१) बहुधा अकारान्त शब्दों को ईकारान्त कर देते हैं । जैसे—

दास दासी, देव देवी, रोट रोटी, नट नटी इत्यादि ।

(२) आकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों को अधिकतर ईकारान्त कर देते हैं ।

जैसे—दादा दादी, घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, इत्यादि ।

(३) कहीं कहीं शब्दों के अन्त के 'आ' को 'अ' कर देने से पुँल्लिङ्ग शब्द स्त्रीलिङ्ग बन जाते हैं । जैसे—भैंसा-भैंस, भेड़ा-भेड़ ।

(४) कुछ अकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के अन्त में 'नी' लगा देते हैं ।

जैसे—शेर-शेरनी, बाघ-बाघनी, ऊँट-ऊँटनी, मोर-मोरनी, सिंह-सिंहनी ।

(५) कुछ शब्दों के अन्तिम स्वर का लोप करके 'इन' जोड़ देते हैं ।

जैसे—लोहार-लोहारिन, धोबी-धोबिन, तेली-तेलिन ।

(६) पदवीवाचक पुँल्लिङ्ग शब्दों के अन्तिम स्वर का लोप करके 'आइन' लगा देते हैं । जैसे—

ठाकुर	ठकुराइन	चौबे	चौबाइन
बनिया	बनियाइन	पंडित	पंडिताइन
ओम्हा	ओम्हाइन	सुकुल	सुकुलाइन
दूबे	दुबाइन	मिसिर	मिसिराइन इत्यादि ।

(७) अन्तिम स्वर को 'इया' कर देने से भी स्त्रीलिङ्ग बनता है ।

जैसे—कुत्ता-कुतिया, बेटा-बिटिया, लोटा-लुटिया ।

(८) कुछ पुँल्लिङ्ग शब्दों के स्त्रीलिङ्ग शब्द बिलकुल भिन्न होते हैं—

वैल—गाय पुरुष—स्त्री पिता—माता भाई—बहिन, भौजाई
राजा—रानी नर—मादा मर्द, आदमी—औरत साहेब—मेम

(९) जिन शब्दों के रूप दोनों लिङ्गों में समान होते हैं उनके पहले

नर अथवा मादा शब्द लगाकर लिङ्गभेद माना जाता है—

“नर भेड़िया—मादा भेड़िया

नर चील—मादा चील” इत्यादि ।

(१०) सामासिक पदों के लिङ्ग की पहचान पद के अन्तिम शब्द से होती है । यथा—विद्यासागर । इस पद में अन्तिम शब्द ‘सागर’ है; अतः यह समस्त पद पुँलिङ्ग है ।

नोट—उर्दू तथा अँगरेज़ी भाषाओं के कुछ शब्दों का प्रयोग भी हिन्दी भाषा में पाया जाता है; अतः इन भाषाओं के प्रचलित शब्दों का लिङ्ग जानना आवश्यक है ।

उर्दू भाषा के शब्द

७४—पुँलिङ्ग शब्द—जोश, जवाब, ~~सब~~ सब, गुलाब, मज़हब, कलम, पेशाब इत्यादि ।

स्त्रीलिङ्ग शब्द—शराब, हवा, सच्चा, दुनिया, तसवीर, तरकीब, किताब, दवा इत्यादि

अँगरेज़ी भाषा के शब्द

पुँलिङ्ग शब्द—मास्टर, डाक्टर, रजिस्टर, आफिस, स्कूल इत्यादि ।

स्त्रीलिङ्ग—रेल, लालटेन, पेन्सिल, लिस्ट इत्यादि ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) निम्नलिखित शब्दों का लिङ्ग बतलाओ—

घोड़ा, गाय, मोती, मालिन, घटा, दया, तीज, दाल, खीर, रेल, पेन्सिल, हवा, जोश, जवाब, मज़हब, रजिस्टर, चील, मित्र, काश्ची, अवन्तिका, अरहर, दही, जी, सोन, बरगद, नीम, बनावट, हाथी, आत्मा, दाल ।

(२) पुँलिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के कौन-से नियम हैं ? उदाहरण-सहित लिखो ।

(३) नीचे लिखे हुए शब्दों के रूप स्त्रीलिङ्ग में नियम देकर लिखो—

राजा, भाई, बैल, साहेब, ठाकुर, ओम्हा, लाला, दूबे, बनिया, चौबे, डिव्वा, मोर, भैंसा, बेटा, चील ।

(४) जिन शब्दों का रूप दोनों लिङ्गों में समान होता है उनका लिङ्ग-भेद कैसे जाना जायगा ?

वचन

७५—वचन से संज्ञा तथा विकारी शब्दों की संख्या जानी जाती है।

वचन से यह मालूम होता है कि कहा हुआ संज्ञा शब्द एक वस्तु या व्यक्ति के लिए आया है अथवा एक से अधिक के लिए।

७६—हिन्दी में वचन दो हैं—(१) एकवचन, (२) बहुवचन। (१) एकवचन से एक ही वस्तु का बोध होता है। जैसे—घोड़ा, लड़का, किताब, कलम इत्यादि।

(२) बहुवचन से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। जैसे—घोड़े, लड़के, बछड़े इत्यादि। बहुत-से शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक-से रहते हैं। इनका वचन वाक्य का आशय समझकर बतलाया जा सकता है।

उदाहरण—

(क) आदमी सोता है—एकवचन (ख) आदमी सोते हैं—बहुवचन

(क) वाक्य में 'आदमी' शब्द एक ही व्यक्ति के लिए आया है इसलिए यह एकवचन है।

(ख) वाक्य में 'आदमी' शब्द एक से अधिक आदमियों के लिए आया है, इसलिए यह बहुवचन है।

बहुधा आदर प्रकट करने के लिए भी एकवचन को जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे—

(१) रामचन्द्र जी दशरथ के सबसे बड़े लड़के थे (बहुवचन)

(२) महात्मा जी कहाँ गये हैं ?

(ख) कहीं कहीं पर एकवचन के आगे वर्ग, लोग, गण इत्यादि शब्द लगा देने से बहुवचन का अर्थ निकलता है। जैसे—

(क) साधु लोग सदाचारी होते हैं। (ख) विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं।

बहुवचन बनाने के कुछ नियम

७७—विभक्तिरहित शब्दों के बहुवचन—

(१) कहीं कहीं स्त्रीलिङ्ग अकारान्त शब्दों के 'अ' को 'एँ' कर देते हैं। जैसे—

ए० व०	ब० व०	ए० व०	ब० व०	ए० व०	ब० व०
बहिन	बहिनें	रात	रातें	गाय	गायें

(२) कुछ आकारान्त संज्ञाओं के अन्त में केवल अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे—

ए० व०	ब० व०	ए० व०	ब० व०
डिबिया	डिबियाँ	गुड़िया	गुड़ियाँ
लुटिया	लुटियाँ		

(३) कुछ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के अन्त में 'याँ' जोड़ देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे—

ए० व०	ब० व०	ए० व०	ब० व०
प्रति	प्रतियाँ	तिथि	तिथियाँ
मिति	मितियाँ	रीति	रीतियाँ

(४) कुछ ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों को इकारान्त करके उनके अन्त में 'याँ' जोड़ देते हैं। जैसे—

ए० व०	ब० व०	ए० व०	ब० व०
सखी	सखियाँ	नदी	नदियाँ
सदी	सदियाँ	टोपी	टोपियाँ
लकड़ी	लकड़ियाँ		

(५) कुछ आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के अन्त में बहुवचन बनाने के लिए 'एँ' लगा देते हैं। जैसे—

ए० व०	ब० व०	ए० व०	ब० व०
माला	मालाएँ	कथा	कथाएँ
माता	माताएँ	घटा	घटाएँ
घटना	घटनाएँ	कला	कलाएँ
लता	लताएँ		

नोट—ऊकारान्त 'बहू' शब्द का भी बहुवचन 'बहुएँ' होता है।

(६) आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के 'आ' को बहुधा 'ए' कर देते हैं। जैसे—

ए० व०	ब० व०	ए० व०	ब० व०
बेटा	बेटे	सोटा	सोटे
लोटा	लोटे	कपड़ा	कपड़े
खपड़ा	खपड़े		

नोट—अधिकतर पुँल्लिङ्ग शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं।
विशेष परिवर्तन स्त्रीलिङ्ग शब्दों में होता है।

(क) कुछ प्रचलित उर्दू-भाषा के शब्दों के बहुवचन भी नीचे दिये जाते हैं—

ए० व०	ब० व०	ए० व०	ब० व०
साहेब	साहेबान, असहाब	काश्तकार	काश्तकारान
खयाल	खयालात	अखबार	अखबारात
मकान	मकानात	हाकिम	हुकाम
अमीर	उमरा	गरीब	गुरबा
शरीफ	शुरफा	हक़	हक़ूक़
क्रानून	क्रवानीन	फायदा	फवायद
दवा	अदविया		

सूचना—विभक्तियों के द्वारा जो रूपान्तर हिन्दी शब्दों में हुआ करते हैं, वे कारक के अध्याय में दिखाये जायेंगे।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) हिन्दी में कितने वचन होते हैं ? जिन शब्दों का रूप सब वचनों में एक-सा रहता है, उनका वचन कैसे जाना जाता है ?

(२) बहुवचन बनाने के कुछ नियम लिखो।

(३) इनके रूप एकवचन में लिखो—उमरा, शुरफा, फ़वायद, अदविया, डिवियाँ, मालाएँ, हक़ूक़, क्रवानीन।

कारक

७८—संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, जिसके द्वारा उसका सम्बन्ध वाक्य में क्रिया अथवा किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है; कारक कहलाता है।

७९—जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए अंगों का बलिष्ठ और सुडौल होना परमावश्यक है, उसी प्रकार वाक्य की स्पष्टता और सार्थकता के लिए कारकों का समुचित उपयोग भी अत्यावश्यक है।

उदाहरण के लिए एक वाक्य लीजिए—

राम ने रावण को बाण से मारा।

इस वाक्य में तीन संज्ञा शब्द हैं। राम, रावण, बाण। ये तीनों शब्द भिन्न कारकों में हैं। पहले शब्द में 'ने' विभक्ति है, दूसरे में 'को' और तीसरे में 'से' है। अब इनके पारस्परिक सम्बन्ध पर ध्यान दीजिए।

प्रस्तुत वाक्य का अर्थ केवल 'राम ने' और 'मारा' इन दो शब्दों ही पर अवलम्बित है। राम ने संज्ञा शब्द है और मारा क्रिया है। यदि राम ने शब्द इस वाक्य से निकाल दिया जाय, तो बचे हुए वाक्य-खण्ड का कुछ भी अर्थ न होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मारा क्रिया की सार्थकता राम ने संज्ञा शब्द से ही प्रकट होती है।

पुनः रावण को संज्ञा शब्द लीजिए—जब हमारा ध्यान वाक्य के अर्थ की ओर जाता है, तो हमें मालूम होता है कि रावण को शब्द तीन अन्य शब्दों अर्थात् राम ने, बाण से और मारा, के सहित शृङ्खला की तरह सम्बद्ध है। यदि हम इस शृङ्खला में से रावण को निकाल दें, तो बचा हुआ वाक्य "राम ने...बाण से मारा" अर्थहीन हो जायगा। अतः वाक्य में इस शब्द का होना अर्थ के लिए अत्यावश्यक है। इसके बिना यह नहीं पता चल सकता कि मारनेवाले की क्रिया का फल कहाँ आश्रय पायगा।

पीछे के वाक्य में **बाण** से शब्द भी विचारणीय है। **बाण** शब्द का सम्बन्ध पूर्ववत् सब शब्दों से है। **मारा** क्रिया किसकी सहायता से सम्पादित हुई है? इस प्रश्न का उत्तर **बाण** से शब्द में पाया जाता है। पुनः **बाण** शब्द का सम्बन्ध **रावण** और **राम** शब्दों से भी वैसा ही है। संक्षेपतः वाक्य में कारकों ही के द्वारा शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध समुचित रूप से जाना जा सकता है।

कारकों के पहचानने के लिए जो चिह्न संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगाये जाते हैं उन्हें **विभक्तियाँ** कहते हैं।

८०—हिन्दी में आठ कारक होते हैं। इन आठ कारकों की विभक्तियाँ और चिह्न भी अलग अलग हैं।

कारक	विभक्तियाँ व चिह्न
१ कर्ता	ने*
२ कर्म	को
३ करण	से
४ सम्प्रदान	को (के लिए, निमित्त, अर्थ)
५ अपादान	से
६ सम्बन्ध	का, के, की; ना, नी, ने; रा, री, रे†
७ अधिकरण	में, पै*, पर

* कर्ता, कारक का चिह्न 'ने' है। पर यह चिह्न कहीं कहीं लुप्त भी रहता है। जैसे—वह घर गया है। मोहन भोजन करता है। राम सोता है। इत्यादि। यहाँ पर 'वह', 'मोहन' और 'राम' कर्ता कारक हैं, पर इन शब्दों के आगे 'ने' का चिह्न लुप्त है।

† ना, नी, ने और रा, री, रे—ये चिह्न सर्वनाम शब्दों हो के साथ प्रयुक्त होते हैं।

कारक

विभक्तियों व चिह्न

८ सम्बोधन

हे, अरे, अहो, अजी

८१—क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा शब्द अथवा संज्ञा के स्थान में आनेवाले शब्द के विषय में कुछ कथन किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं।

उदाहरण—(१) राम पढ़ रहा है। (२) मोहन वहाँ है।

(३) पुस्तक पढ़ी जा रही है। (४) मैंने किताब पढ़ी है।

ऊपर के उदाहरणों में 'राम', 'मोहन', 'पुस्तक' और 'मैंने' शब्द कर्ता कारक में हैं; क्योंकि क्रिया-द्वारा जो कुछ कथन किया गया है वह इन्हीं के विषय में है। प्रथम उदाहरण में पढ़ रहा है क्रिया-द्वारा राम के विषय में कथन किया गया है। इसलिए राम शब्द कर्ता कारक में है।

इसी प्रकार क्रिया-द्वारा मोहन के विषय में कुछ कथन किया गया है; अतः मोहन शब्द कर्ता कारक में है।

तृतीय उदाहरण में पढ़ी जा रही है क्रिया-द्वारा पुस्तक के विषय में कुछ कहा गया है; अतः पुस्तक शब्द कर्ता कारक में है। इसी तरह सर्वनाम शब्द मैंने भी कर्ता कारक में है।

८२—कुछ वैयाकरणों ने कर्ता कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है—
कर्ता उसको कहते हैं जो क्रिया को करे।

अथवा क्रिया के करनेवाले को कर्ता कहते हैं।

अथवा जो काम को करे उसे कर्ता कहते हैं।

कर्ता कारक की ये सब परिभाषाएँ युक्तिसङ्गत कही जा सकती हैं; पर इनके द्वारा कर्ता कारक के असली रूप को पहचानने में कुछ कठिनाई आ पड़ती है। उदाहरणार्थ एक वाक्य लीजिए—

पुस्तक मुझसे पढ़ी जा रही है।

* अधिकरण कारक का चिह्न 'पै' प्रचलित भाषा में नहीं आता। कविता और व्रजभाषा में 'पर' के स्थान में प्रायः 'पै' आता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार इस वाक्य में **मुझसे** शब्द कर्ता हुआ; क्योंकि क्रिया का कार्य **मुझसे** सम्पादित होता है। पर यथार्थ में **मुझसे** शब्द स्वरूपतः कर्ता कारक में नहीं है। यह तो करण कारक में है।

८३—अब यदि हम इस पुस्तक में दी हुई परिभाषा के अनुसार इस वाक्य के कर्ता कारक का पता लगाना चाहें तो हमें कोई कठिनाई नहीं दीख पड़ती। क्योंकि हम कर्ता को निम्नलिखित रूप से भली भाँति जान सकते हैं—

पढ़ी जा रही है इस क्रिया-द्वारा किसके विषय में कथन किया गया है? उत्तर—पुस्तक के विषय में। अतः **पुस्तक** शब्द कर्ता कारक है। कहीं कहीं वाक्य में कर्ता क्रिया के साथ सम्मिलित रहता है।* जैसे—
मुझसे बैठा नहीं जाता। राम से चला नहीं जाता।

८४—कर्ता कारक का चिह्न 'ने' है। यह चिह्न कहीं कहीं नहीं भी रहता; अतः कर्ता कारक की पहचान के लिए 'ने' विभक्ति का होना परमावश्यक नहीं है।

मोहन रोटी खाता है—इस वाक्य में 'मोहन' कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति नहीं है; पर 'मोहन' फिर भी कर्ता कारक है। कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति किन किन अवस्थाओं में आती है इसका पूरा विवरण आगे उचित स्थान में दिया जायगा।

८५—**कर्म सञ्ज्ञा** या **सर्वनाम** के उस रूप को कहते हैं जिसमें क्रिया के व्यापार का फल आश्रय पाता है।

उदाहरण—मोहन ने साँप को मार डाला।

इस वाक्य में **साँप को** कर्म कारक है; क्योंकि **मोहन** की क्रिया के

* ऐसे वाक्य भावप्रधान वाक्य होते हैं। इनका विशेष विवरण क्रियाओं के वाच्यान्तर में दिया जायगा।

व्यापार का फल साँप में वर्तमान है। मोहन ने एक कार्य किया अर्थात् मोहन ने डण्डे से अथवा किसी हथियार से साँप को मार डाला—मारना एक क्रिया हुई। इसका फल साँप में विद्यमान है, अर्थात् साँप मर गया। यदि साँप नहीं मरा, तब भी मारने की क्रिया का फल साँप में रहा। साँप को चोट लगी होगी। किसी न किसी प्रकार इस क्रिया का प्रभाव साँप पर अवश्य पड़ा।

८६—कहीं कहीं क्रिया के व्यापार का फल स्पष्ट नहीं दीखता। जैसे—
मैं छड़ी को देखता हूँ।

इस वाक्य में देखता हूँ क्रिया का कर्म छड़ी है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि देखता हूँ क्रिया के व्यापार का फल किस रूप में छड़ी में वर्तमान है। चक्षु का काम देखना है, और देखने का विषय चक्षु से इतर कोई वस्तु होगी। अतः देखता हूँ क्रिया का व्यापार इस इतर वस्तु के साथ होगा; और जब किसी क्रिया का व्यापार दूसरी वस्तु के साथ दृष्ट अथवा अदृष्ट रूप से हो रहा है, तो यह निश्चय है कि उस क्रिया के व्यापार से यह इतर वस्तु किसी न किसी प्रकार अवश्य ही प्रभावित होगी और जो शब्द इस इतर वस्तु को सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है वह कर्म कारक में होगा।

(क) कर्म कारक का चिह्न को है। पर यह विभक्ति बहुधा कर्म कारक के साथ नहीं भी आती। यथा—

विभक्तिसहित—मैं रामदास को देखता हूँ।

विभक्तिरहित—मैंने वह पुस्तक देखी है।

८७—संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया का कार्य किया जाय उसे करण कारक कहते हैं। जैसे—
उसने मोहन को लाठी से मारा।

इस वाक्य में मारने का कार्य लाठी से किया गया है; अतः लाठी से करण कारक हुआ ।

(क) करण कारक का चिह्न से है । कई स्थानों में यह से का चिह्न छिपा भी रहता है । यथा—

न आँखों देखा न कानों सुना ।

यह वाक्य यदि खोलकर लिखा जाय, तो इस प्रकार होगा—(मैंने) न आँखों (से) देखा (और) न कानों (से) सुना ।

(ख) हिन्दी में कहीं कहीं संस्कृत के करण कारक के पद ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं । जैसे—सुखेन, कृपया, येन केन प्रकारेण, दुःखेन इत्यादि ।

८८—जिसके लिए कोई कार्य किया जाय अथवा जिसको कोई वस्तु दान कर दी जाय उसके स्थानों में प्रयुक्त संज्ञा के रूप को सम्प्रदान कारक कहते हैं ।

उदाहरण—(१) उसने मोहन को किताब दी ।

(२) वह नाचने (को) गया है ।

इन वाक्यों में मोहन को और नाचने शब्द सम्प्रदान कारक में हैं ।

प्रथम वाक्य में यदि किताब मोहन को दान नहीं कर दी गई है, बल्कि उसे केवल कुछ दिन तक पढ़ने के लिए ही दी गई है, तो भी मोहन को सम्प्रदान कारक में होगा; पर यदि इस वाक्य से हम यह समझें कि किताब मोहन को सदा के लिए दे दी गई (दान कर दी गई); तो ऐसी अवस्था में मोहन को सम्प्रदान कारक में होगा ही ।

८९—सम्प्रदान का चिह्न को है ।

बहुधा के लिए, के अर्थ, के निमित्त, इत्यादि शब्दों के लगाने से भी सम्प्रदान का अर्थ होता है । पर इन शब्दों के उचित प्रयोगों पर पूरा प्रकाश अध्याय के बयान में दिया जायगा ।

९०—वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाय उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे—
पेड़ से पत्ते गिरते हैं।

इस वाक्य में पेड़ से पत्तों का अलग होना स्पष्ट है; इसलिए 'पेड़ से' अपादान कारक हुआ।

९१—वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध किसी दूसरी वस्तु से सूचित होता है उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं। जैसे—

(१) यह राजा का घोड़ा है। (२) यह मेरी पुस्तक है।

यहाँ राजा का और मेरी शब्द सम्बन्ध कारक में है।

९२—जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द किसी क्रिया का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं।

उदाहरण—(क) बन्दर पेड़ पर बैठा है।

(ख) मोहन घर में सो रहा है।

(क) वाक्य में बैठने का आधार 'पेड़' है; इसलिए पेड़ पर अधिकरण कारक में है।

(ख) वाक्य में सोने का आधार 'घर' है, इसलिए घर में अधिकरण कारक में है।

९३—संज्ञा के जिस रूप के द्वारा कोई किसी को पुकारता है उसे सम्बोधन कारक कहते हैं। जैसे—

अरे मोहन ! तू क्या कर रहा है ? , हे नाथ ! दया करो।

कारक-सम्बन्धी विशेष बातें

९४—समानाधिकरण शब्दों में से यदि एक शब्द कर्ता या किसी अन्य कारक में हो, तो दूसरा शब्द भी उसी कारक में होगा। जैसे—

(१) कर्ता—मोहन का लड़का रामदास बड़ा सुशील है।

(२) कर्म—मैंने आज मोहन के लड़के रामदास को मदरसे में देखा है ।

इन उदाहरणों के प्रथम वाक्य में लड़का और रामदास कर्ता कारक में हैं; पर द्वितीय वाक्य में लड़के और रामदास को कर्म कारक में हैं ।

९५—कर्म और सम्प्रदान दोनों कारकों के लिए बहुधा को चिह्न आता है; अतः इनके पहचानने में कुछ कठिनाई पड़ती है । यथा—
कर्म—उसने राम को देखा ।

सम्प्रदान—राजा ने ब्राह्मण को दान दिया ।

इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि कारकों को केवल विभक्तियों के सहारे पहचानना कठिन है । जब तक हमें कारकों के विशेष प्रयोगों का पूरा विवरण मालूम न हो उनकी पहचान कठिन हो जायगी ।

उदाहरण—उसने मुझसे यह बात कही ।

इस उदाहरण में 'कही' क्रिया के दो कर्म हैं—(१) मुझसे और (२) बात । साधारणतः मुझ शब्द से विभक्ति के लगने से करण कारक या अपादान कारक में होगा; पर यहाँ यह बात नहीं है । 'कही' क्रिया द्विकर्मक है । पहला कर्म है मुझसे (जिससे बात कही गई), और दूसरा है 'बात' (जो कुछ कहा गया) ।

९६—निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान देने से विद्यार्थियों को कारकों के समझने में बड़ी सुगमता होगी :—

(१) मैं अभागिनी तुम्हें (कर्म) अपना मुँह (कर्म) दिखाना नहीं चाहती ।

(२) भूखे को (सम्प्रदान) अन्न (कर्म) पियासे को (सम्प्रदान) पानी, नंगे को (सम्प्रदान) वस्त्र (कर्म) देहु तुम दानी ।

- (३) मुझे (सम्प्रदान) इस समय कुछ नहीं भाता । यहाँ भाता क्रिया अकर्मक है । इसका कर्म है ही नहीं । अतः यहाँ मुझे शब्द कर्म कारक में हो ही नहीं सकता ।

नोट—भाना, रुचना, सुहाना, शोभना, फबना इत्यादि के योग में सम्प्रदान कारक होता है ।

- (४) उसको (सम्प्रदान) भोजन नहीं पचता ।
 (५) उसको (सम्प्रदान) क्या पड़ी है ?
 (६) तुम्हें (सम्प्रदान) क्या सूझी है जो मेरी बात नहीं सुनते ?
 (७) हमें (सम्प्रदान) तो तुम्हारी सुध भी न थी ।
 (८) वे स्नान को (सम्प्रदान) गये ।
 (९) यह (कर्त्ता) आपको (सम्प्रदान) उचित नहीं है ।
 (१०) प्रातःकाल शुद्ध वायु में टहलना आपको (सम्प्रदान) उपयोगी होगा ।
 (११) मुझे (सम्प्रदान) नहाना कर्त्ता आवश्यक है ।
 (१२) मिश्र जी ! आपको (सम्प्रदान) प्रणाम (है) ।
 (१३) तुम्हें (सम्प्रदान) बराबर धिक्कार है जो तुम ऐसे निठुर कार्य में लगे हुए हो !
 ९७—से विभक्ति—यह विभक्ति बहुधा करण और अपादान कारकों के साथ आती है ।

उदाहरण—(१) उसने लाठी से (करण) सोंप को मारा ।

(२) आकाश से (अपादान) बिजली गिरी ।

(३) मुझसे (करण) रोटी खाई गई ।

(४) धीरे से (करण) चलो ।

(५) इसी कारण [कारण से] (करण) मैंने तुमसे (कर्म) यह (कर्म) नहीं कहा ।

(६) कलम से (करण) लिखो !

(७) मिट्टी से (करण) घड़ा बना है ।

(८) दूध से (करण) बच्चों का शरीर पुष्ट होता है ।

(९) पृछने से (करण) पता चलेगा ।

(१०) गेहूँ किस भाव [भाव से] (करण) बेचते हो ?

(११) वह मुझसे (करण) शत्रुता रखता है ।

(१२) आँख से (करण) काना और पाँव से (करण) लँगड़ा ।

ऐसे वाक्य में से के स्थान में का भी होता है—आँख

का काना और पाँव का लँगड़ा ।

(१३) जटा से (करण) साधु जाना जाता है ।

९८—अपादान के उदाहरण—

(१) मैं गोविन्द से (अपादान) डरता हूँ ।

(२) मैं तुमसे (अपादान) हार मानता हूँ ।

(३) इलाहाबाद से (अपादान) कलकत्ता (कर्त्ता) दूर है ।

(४) मोहन सोहन से (अपादान) बड़ा है ।

(५) तुमसे (अपादान) तो पशु ही भले हैं ।

(६) तिल से (अपादान) तेल निकलता है ।

(७) मैंने यह पुस्तक आदि से (अपादान) अन्त तक पढ़ डाली ।

(८) वह अपने भाई से (अपादान) अलग रहता है ।

(९) वह तुमसे (अपादान) लज्जा करती है ।

(१०) इस पागल कुत्ते से (अपादान) बचो ।

(११) उसका मकान तुम्हारे घर से (अपादान) उत्तर है ।

(१२) विचार से (अपा०) हीन मनुष्य पशु के तुल्य है ।

नोट—भिन्नता, अपेक्षा, आरम्भ, परे, लज्जा, भय, रहित, अतिरिक्त, तुलना इत्यादि अर्थ में से विभक्ति अपादान कारक में होती है ।

९९—का, के, की; ना, ने, नी रा, रे, री—ये सम्बन्ध कारक के चिह्न हैं । सर्वनाम शब्दों के साथ सम्बन्ध कारक में बहुधा ना, ने, नी या रा, रे, री इत्यादि चिह्न आते हैं । जैसे—अपना, अपने, अपनी; तुम्हारा; तुम्हारे, तुम्हारी इत्यादि ।

उदाहरण—(१) राजा का (सम्बन्ध) नौकर ।

(२) सबके (सम्बन्ध) सब (कर्त्ता) घर चले गये ।

(३) गाँव के (सम्बन्ध) गाँव (कर्त्ता) जल गये ।

(४) चार रुपये की (सम्बन्ध) किताब ।

(५) यह तीन महीने का (सम्बन्ध) बच्चा (कर्त्ता) है ।

(६) यह फल (कर्त्ता) खाने का (सम्बन्ध) है ।

(७) वह बात की (सम्बन्ध) बात में उठ खड़ा हुआ ।

(८) वह बात का (सम्बन्ध) बड़ा ही कच्चा है ।

नोट—सम्पूर्णता, मूल्य, समय, परिमाण, व्याप्ति, अवस्था इत्यादि के अर्थ में सम्बन्ध कारक होता है ।

१००—सम्बन्ध और सम्बन्धी में कई प्रकार के भाव हैं—

(१) कर्तृकर्मभाव—कालिदास की शकुन्तला ।

(५) सेव्यसेवकभाव—शिव का भक्त ।

(३) जन्यजनकभाव—गोविन्ददास का लड़का ।

(४) अङ्गाङ्गीभाव—पैर की अँगुली ।

(५) स्वस्वामिभाव—राजा का घोड़ा ।

(६) कार्यकारणभाव—खेने की अँगूठी ।

१०१—में और पर—ये अधिकरण कारक की विभक्तियाँ हैं । पै भी

पर के स्थान में कभी कभी आता है, पर आजकल इसका प्रयोग गद्य में नहीं होता ।

उदाहरण—(१) मोहन कमरे में (अधिकरण) है ।

(२) सोहन कमल पर (अधि०) बैठा है ।

(३) पहाड़ों में (अधि०) हिमालय सबसे ऊँचा है ।

(४) मैं यह काम चार घंटे में (अधि०) समाप्त कर सकता हूँ ।

(५) इस तालाब में (अधि०) कितना पानी है ?

(६) राम (अधि०) और कृष्ण में (अधि०) कुछ भेद (कर्त्ता) नहीं है ।

(७) मैंने यह कलम (कर्ता) दो पैसे में (अधि०) मोल ली है ।
नोट—में का प्रयोग बहुधा निधारण, कारण, भेद, मूल्य इत्यादि के
अर्थ में होता है ।

कहीं कहीं में या पर लुप्त रहता है—

(१) वह इस समय (में) कहाँ पहुँचा होगा ?

(२) ओछी संगति क्रूर की, आठो पहर (में) उपाधि ।

(३) महाराज, आपका सेवक आपके पाँव (पर) पड़ता है ।

१०२—संज्ञा के जिस रूप के द्वारा कोई किसी को पुकारता है उसे
सम्बोधन कहते हैं । जैसे—

अरे मोहन ! तू क्या खाता है ? हे नाथ ! दया करो ।

१०३—हे, ऐ, अरे, अरी, हो इत्यादि—ये सब सम्बोधन के चिह्न हैं ।
ये चिह्न कभी कभी संज्ञा के बाद भी आते हैं ।

यथा—मोहन रे ।

उदाहरण—(१) हे गोविन्द । (२) अरे मोहन । (३) अरी सखी ।

नोट—सम्बोधन बहुधा बिना चिह्न के भी आता है । जैसे—मोहन, तुम
क्या कर रहे हो ?

१०४—कुछ शुद्ध संस्कृत शब्दों के रूप सम्बोधन कारक में व्यों के
त्यो प्रयुक्त होते हैं—

स्वरान्त—(१) गङ्गा = गङ्गे । प्रिया = प्रिये । सीता = सीते । राधा = राधे ।

(२) मुनि = मुने । हरि = हरे । सखि = सखे । सीतापति =
सीतापते ।

(३) पुत्री = पुत्रि । जननी = जननि । देवी = देवि ।

(४) प्रभु = प्रभो । बन्धु = बन्धो । गुरु = गुरो ।

(५) पितृ = पितः । मातृ = मातः ।

व्यञ्जनान्त—श्रीमत् = श्रीमन् विद्वत् = विद्वन् भगवत् = भगवन्
महात्मन् = महात्मन् स्वामिन् = स्वामिन्

१०५—नोट—विभक्तियों के योग से संज्ञाओं के रूप में कुछ परिवर्तन हुआ करते हैं। ये रूपान्तर शिक्तक बालकों को सरलता से बता सकते हैं। कुछ थोड़े से उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

(अ) पेड़ पुँ०—पेड़, पेड़ ने, पेड़ों ने; पेड़ को, पेड़ों को; पेड़ से, पेड़ों से, पेड़ का, पेड़ की; पेड़ों का, पेड़ों की; पेड़ के, पेड़ों के; पेड़ में, पेड़ों में; हे पेड़, हे पेड़ो ।

(आ) लड़का पुँ० लड़का, लड़के ने, लड़कों ने; लड़के का, लड़के की, लड़कों का, लड़कों की; लड़के से, लड़कों से; लड़के में, लड़कों में; हे लड़के, हे लड़को इत्यादि ।

(इ) खटिया स्त्री०—खटिया, खटिया ने, खटियों ने; खटिया को, खटियों को; खटिया से, खटियों से; खटिया का, खटिया की, खटियों का, खटियों की; खटिया में, खटियों में; हे खटिया, हे खटियो इत्यादि ।

(ई) कवि पुँ०—कवि, कवि ने, कवियों ने; कवि को, कवियों को; कवि से, कवियों से; कवि का, कवि की, कवियों का, कवियों की; कवि में, कवियों में; हे कवि, हे कवियो इत्यादि ।

(उ) मुखिया पुँ०—मुखिया, मुखिया ने, मुखियों ने; मुखिया को, मुखियों को; मुखिया से, मुखियों से; मुखिया का, मुखिया की, मुखियों का, मुखियों की; मुखिया में, मुखियों में; हे मुखिया, हे मुखियो इत्यादि ।

(ऊ) कन्या स्त्री०—कन्या, कन्या ने, कन्याओं ने; कन्या को, कन्याओं को; कन्या से, कन्याओं से; कन्या का, कन्या को, कन्याओं का, कन्याओं की; कन्या में, कन्याओं में; हे कन्या, हे कन्याओ इत्यादि ।

(फ) माली पुँ०—माली, माली ने, मालियों ने; माली को, मालियों

को; माली से, मालियों से; माली का, माली को, माली के, मालियों का-की-के; माली में, मालियों में; हे माली, हे मालियो इत्यादि ।

(ख) नदी स्त्री०—नदी, नदी ने, नदियों ने; नदी को, नदियों को; नदी से, नदियों से; नदी का-की-के, नदियों का-की-के; नदी में, नदियों में; हे नदी, हे नदियो इत्यादि ।

(ग) राजा पुँ—राजा, राजा ने, राजाओं ने; राजा को, राजाओं को; राजा से, राजाओं से; राजा का-की-के, राजाओं का-की-के; राजा में, राजाओं में; हे राजा, हे राजाओ इत्यादि ।

(घ) माता स्त्री०—माता, माताएँ, माता ने, माताओं ने; माता को, माताओं को; माता से, माताओं से; माता का-की-के, माताओं का-की-के; माता में, माताओं में; हे माता, हे माताओ इत्यादि ।

(ङ) साधु पुँ—साधु, साधु ने, साधुओं ने; साधु को, साधुओं को; साधु से, साधुओं से; साधु का-की-के, साधुओं का-की-के; साधु में, साधुओं में; हे साधु, हे साधो, साधुओ इत्यादि ।

(च) डाकू पुँ०—डाकू, डाकू ने, डाकूओं ने; डाकू को, डाकूओं को; डाकू से, डाकूओं से; डाकू का-की-के, डाकूओं का-की-के; डाकू में, डाकूओं में; हे डाकू, हे डाकूओ इत्यादि ।

(छ) तिथि स्त्री०—तिथि, तिथियाँ, तिथि ने, तिथियों ने; तिथि को, तिथियों को; तिथि से, तिथियों से; तिथि का-की-के, तिथियों का-की-के; तिथि में, तिथियों में; हे तिथि, हे तिथियो इत्यादि ।

(ज) चौबे पुँ०—चौबे, चौबे ने, चौबेओं ने; चौबे को, चौबेओं को; चौबे से, चौबेओं से; चौबे का-की-के, चौबेओं का-की-के; चौबे में, चौबेओं में; हे चौबे, हे चौबेओ इत्यादि ।

(झ) सरसों स्त्री०—सरसों सरसोंएँ, सरसों ने, सरसोंओं ने; सरसों को, सरसोंओं को; सरसों से, सरसोंओं से; सरसों का-की-के,

सरसोंओं का-की-के; सरसों में, सरसोंओं में; हे सरसों, हे सरसोंओ इत्यादि ।

सूचना—संज्ञा या सर्वनाम का जो सम्बन्ध विभक्तियों के द्वारा प्रकाशित होता है वही सम्बन्ध कभी कभी सम्बन्ध-सूचक अव्ययों से भी सूचित होता है । ऐसा होते हुए भी हम सम्बन्धसूचक अव्ययों को विभक्तियों के अन्तर्गत नहीं मान सकते । सम्बन्धसूचक अव्यय स्वतन्त्र शब्द हैं और स्वतः कुछ अर्थ रखते हैं, विभक्तियाँ कारकों के सम्बन्ध प्रकट करने के लिए चिह्न मात्र हैं । हम सम्बन्धसूचक अव्ययों के द्वारा विभक्तियुक्त कारकों के अर्थ को भली भाँति समझ सकते हैं । जैसे—मोहन कमरे में है, अर्थात् मोहन कमरे के भीतर है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) वाक्य की स्पष्टता और सार्थकता कारकों ही के उचित उपयोग पर निर्भर है—इस कथन को उदाहरण देकर समझाओ ।

(२) विभक्ति किसे कहते हैं ? क्या 'के लिए', 'के निमित्त' 'के अर्थ' इत्यादि सम्बन्धसूचक अव्यय भी विभक्तियाँ कही जा सकती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो ।

(३) कर्ता कारक किसे कहते हैं ? हमको गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए—इस वाक्य में कौन-सा शब्द कर्ता कारक में है ?

राम से रावण मारा गया, मुझसे चला नहीं जाता—इन वाक्यों में कौन-सा शब्द कर्ता कारक में है ?

(४) कर्म कारक किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाओ ।

(५) कर्म और सम्प्रदान कारक में क्या अन्तर है ? उदाहरण-द्वारा स्पष्ट करो ।

(६) करण और अपादान कारक में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर समझाओ ।

(७) कर्म और सम्प्रदान, करण और अपादान कारकों के चिह्न एक ही हैं । क्या हम कह सकते हैं कि इनमें कोई अन्तर नहीं है ? यदि नहीं, तो प्रत्येक को कैसे पहचानेंगे ?

(८) नीचे लिखे हुए वाक्यों में कारक बताओ—

(१) राम सोमवार को घर गया ।

(२) वह कल कलकत्ता जानेवाला है ।

(३) मोहन आज मद्रास से आवेगा ।

(४) सोहन कमरे में नहीं है ।

(५) हे प्रभो, आनन्ददाता, ज्ञान हमको दीजिए ।

(६) उसने ब्राह्मणों को बहुत-सा दान दिया ।

(७) मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि मुझसे चला नहीं जाता; तुम मुझे अपने कंधों पर ले लो ।

(८) तुम्हें यह बिलकुल नहीं फव्वता ।

(९) लड़कों को मिठाई बहुत रुचती है ।

(१०) वियोगी को चन्द्रमा तनिक नहीं भाता ।

(११) तुम्हें क्या पड़ी है कि तुम रोज़ वहाँ दौड़ दौड़ जाओ

(१२) क्लोरोफार्म सुँघाने से मरीज़ को किसी बात की सुख नहीं रहती ।

(१३) जटा से साधु जान पड़ता है ।

(१४) वह एक आँख से काना है ।

(१५) क्या कभी बालू से भी तेल निकलता है ?

(१६) तुम अपने भाई से कितने बड़े हो ?

(१७) धीरे पुरुष आपत्तियों से नहीं डरते ।

(१८) कालिदास की शकुन्तला एक उत्तम काव्य है ।

(१९) तुमने किताब कितने में ली ?

(२०) बात का कच्चा कभी न सच्चा ।

(२१) सिया सोने की ऋंगूठी, राम साँवरो नगीना है ।

(२२) प्रिये, तू तो बात की बात में नाराज़ हो जाती है ।

(२३) संगति कीजै साधु की, हरै और की व्याधि ।

ओछी संगति क्रूर की, आठो पहर उपाधि ॥

(९) निम्नलिखित शब्दों के रूप कर्ता, कर्म, करण, सम्बन्ध और अधि-करण कारक में लिखो—

पानी, सोना, दुखिया, मचिया, कोदो, गौ, घोड़ा, हाथी, पाटशाला, भीति, मुनि, साधु, लड़की, दूबे ।

(१०) क्या सम्बन्धसूचक अव्ययों को हम विभक्ति मान सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

—:—

सर्वनाम

१०६—जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे **सर्वनाम** कहते हैं । सर्वनाम विकारी शब्द है ।

उदाहरण—मोहन आया और वह अपनी किताब ले गया ।

इस वाक्य में **मोहन** शब्द संज्ञा है और **वह** शब्द सर्वनाम है; क्योंकि 'वह' शब्द मोहन के लिए आया है ।

सर्वनाम शब्दों की उपयोगिता

१०७—संज्ञाओं के बदले यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न हो, तो संज्ञा शब्दों के बार बार आने से वाक्य में एक प्रकार का भद्दापन आ जायगा और वाक्य बढ़ भी जायगा । यथा—

रामदास यहाँ आया और रामदास रामदास की किताब ले गया । कैसा भद्दा वाक्य है । यदि हम इस वाक्य को यों कहें कि “रामदास आया और वह अपनी किताब ले गया,” तो हम इसकी कर्कशता और भद्देपन के दोष से साफ बच जाते हैं । ऐसा करने से वाक्य के अर्थ में भी कोई क्षति नहीं होती ।

१०८—मुख्य सर्वनाम ये हैं—मैं, तू, वह, यह, आप, सो, जा, कोई, कुछ, कौन, क्या ।

१०९—**पुरुष**—बातचीत करते समय मनुष्य अपने लिए मैं अथवा हम शब्द का प्रयोग करता है, जिससे बातचीत करता है उसके लिए

तू, तुम और आप (आदरसूचक) शब्दों का प्रयोग करता है, और जिसके विषय में बातचीत करता है उसके लिए वह, जो, कौन इत्यादि शब्द लाता है।

(१) वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं।

(२) वक्ता जिससे बातचीत करता है, उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं।

(३) वक्ता उस आदमी अथवा वस्तु के लिए, जिसके बारे में वह बातचीत करता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसको अन्य पुरुष कहते हैं।

नोट—संज्ञाएँ अन्य पुरुष में होती हैं।

११०—सर्वनाम छः प्रकार के होते हैं—

(१) पुरुषवाचक—जिससे उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष का बोध हो। जैसे—मैं, तू, आप (आदर के लिए), वह, यह इत्यादि।

(२) निजवाचक—जो अपनी ओर संकेत करे। जैसे—आप।

(३) निश्चयवाचक—जो निकट अथवा दूर की वस्तु को सूचित करे। जैसे—यह, वह, सो।

(४) सम्बन्धवाचक—जो वाक्य में शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध बतलावे। जैसे—जो सो।

(५) प्रश्नवाचक—जिससे प्रश्न सूचित होता हो। जैसे—कौन, क्या।

(६) अनिश्चयवाचक—जो किसी अज्ञात और अनिश्चित पुरुष या वस्तु को सूचित करे। जैसे—कोई, कुछ।

१११—मैं और हम को उत्तम पुरुष; तू, तुम और आप (आदरसूचक) को मध्यम पुरुष; और यह, ये, वह, वे, आप (आदरसूचक), सो, जौन, जो, क्या, कोई कुछ को अन्य पुरुष कहते हैं।

सर्वनाम शब्दों के रूपान्तर

११२—वचनभेद से अथवा विभक्तियुक्त होने से कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है—

एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
वचन से—उ० पु० मैं	हम	म० पु० तू	तुम
अ० पु० वह	वे	यह	ये

विभक्ति से—जो, जिसने, जिनने, जिन्होंने; जिनको; कौन, किसने, किसको, किनने, किन्होंने, किनको इत्यादि ।

सर्वनाम शब्दों के विभक्तियुक्त रूप

११३—मैं—मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, मुझमें ।

हम—हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, हममें ।

तू—तू, तूने, तुझे, तुमको, तुझसे, तेरा, तरी, तेरे, तुझमें ।

तुम—तुम, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुममें ।

आप—आप, आपने, आपको, आपसे, आपका, आपका-के, आपमें ।

यह—यह, इसने, इसे, इसको, इससे, इसका-की-के, इसमें ।

ये—ये, इनने, इन्होंने, इन्हें, इनको, इनसे, इनका-की-के, इनमें ।

वह—वह, उसने, उसे, उसको, उससे, उसका-की-के, उसने ।

वे—वे, उनने, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनका-की-के, उनमें ।

जो—जो, जिसने, जिन्होंने, जिनने, जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिससे, जिनसे, जिसका-की-के, जिनका-की-के, जिसमें जिनमें ।

सो (तौन)—सा (तौन), तिसने, सो (तौन), तिनने, तिन्होंने, तिसको, तिससे; तिनको, तिन्हें; तिससे; तिनसे, तिसका-की-के, तिनका-की-के; तिसमें, तिनमें ।

कौन—कौन, किसने, किनने, किन्होंने, किसे, किनसे, किसका-की-के, किनका-की-के, किसमें, किनमें ।

सब—सब, सबने, सबों ने, सबको, सबों को, सबसे, सबों से, सबका-की-के, सबों का-की-के, सबमें, सबों में ।

कोई—कोई, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का-की-के, किसी में ।

कहा—कहा को, कहा से, कहा में, कहा पर इत्यादि । कत्तो और कर्म में इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता ।

कुछ सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग

११४—मैं उत्तमपुरुष, एकवचन । वक्ता या लेखक इस सर्वनाम का प्रयोग केवल अपने लिए किया करते हैं । जैसे—मोहन, इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता । स्त्रियाँ बहुधा अपने लिए मैं का प्रयोग करती हैं । क्योंकि मैं शब्द में हम की अपेक्षा मृदुता और कोमलता का भाव अधिक है ।

११५—हम—यह मैं शब्द का बहुवचन है । बहुधा लोग अपने लिए मैं के स्थान में हम का प्रयोग करते हैं । बहुत्व बोध कराने के लिए हम के साथ लोग शब्द लगा देते हैं । जैसे—हम लोग आपके दास हैं ।

बड़े लोग और लेखक, मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं ।

११६—तू—मध्यम पुरुष, एकवचन । इस शब्द से बहुधा निरादर सूचित होता है । जैसे—अरे चारुडाल, तूने यह क्या किया ! छोटे बच्चों के लिए तू शब्द प्यार दिखाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

जैसे—बच्चा, तू हमारे साथ चल । मैं तुझे एक तसवीर दूँगी ।
“मैया, मोहि दाऊ बहुत खिन्नायो ।

मोसों कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो ।”

—सूरदास !

परमात्मा के लिए भी तू का प्रयोग होता है। जैसे—भगवन्, तू बड़ा दयालु है।

११७—तुम—मध्यमपुरुष, तू का बहुवचन। तिरस्कार और निरादर को छोड़कर शेष अर्थों में तू के स्थान में तुम का प्रयोग होता है। जैसे—मोहन, तुम भी मेरे साथ चलो।

आदर के लिए तुम के स्थान में आप आता है। जैसे—हे भाई, आप ही तो हमारे रक्षक हैं।

वे—वह शब्द का बहुवचन, अन्य पुरुष। आदर सूचित करने के लिए वह के स्थान में वे आता है। जैसे—

वे (श्रीकृष्ण) तो हमारे इष्टदेव हैं।

११८—आप—आदरसूचक—तुम और वे के स्थान में। जैसे—मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ कब लौटेंगे। बहुत्व बोध कराने के लिए आप के साथ लोग शब्द लगा देते हैं। जैसे—आप लोगों में से कौन साहब मेरे साथ चलेंगे ?

(क) विशेष आदर सूचित करने के लिए बड़े आदमियों के प्रति श्रीमान्, हुजूर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्त्रियों के लिए श्रीमती, भगवती, देवी आदि शब्दों का प्रयोग होता है।

(ख) आदर के अर्थ में वे शब्द के स्थान में भी आप शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे—पं० अयोध्यानाथ जी प्रयागवासी थे। आप एक बड़े योग्य जाति-सेवक थे।

११९—आप (निजवाचक)—यह सर्वनाम अपने लिए आता है।

जैसे—(१) वह तो आप ही इस बात को समझ जायगा।

(२) मैं आप ही वहाँ चला जाऊँगा ।

(३) म अपने घर जाता हूँ ।

(४) मोहन आप वहाँ चला जायगा ।

(क) निजवाचक आप शब्द का रूप दोनों वचनों में एक-सा होता है—

(१) मोहन आप ही इस धात को समझ जायगा—एकवचन ।

(२) हम आप चले जायेंगे—बहुवचन ।

(ख) अवधारण (निश्चय) अर्थ में ही को आप के बाद ही रख देते हैं। वह तो आप ही बुद्धिमान है। निजवाचक आप के साथ ने विभक्ति नहीं आती। शेष विभक्तियों में इसके रूप इस प्रकार होते हैं—अपने को; अपने से; अपना, अपनी, अपने; अपने में; अपने पर ।

(ग) निजवाचक आप शब्द का रूप तीनों पुरुषों में एक-सा होता है । जैसे—

(१) मैं आप चला जाऊँगा ।

(२) तुम आप चले जाओगे ।

(३) वह आप चला जायगा ।

अपने आप, आप ही आप, आपसे आप, के प्रयोग क्रिया-विशेषण की तरह होते हैं ।

१२०— यह, वह—ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। यह निकट की वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, और वह दूर की वस्तु के लिए—

(१) यह तो एक फूल है। इसने हमारा काम किया है।

(२) वह लखनऊ में रहता है। उसने मेरा कहना नहीं माना था ।

(क) यह शब्द का प्रयोग कभी कभी संज्ञावाक्यांश किंवा पहले अथवा पीछे आये हुए संपूर्ण वाक्य के लिए होता है ।

बदाहरण—(१) संज्ञावाक्यांश के लिए—

गुरु जी—इन्द्रियों का दमन करना बड़ा दुस्तर कार्य है।

शिष्य—हाँ महाराज, यह तो आप ही ऐसे सिद्ध पुरुषों का काम है।

(२) पहले आये हुए सम्पूर्ण वाक्य के लिए—तुमने उस अनाथ की बड़ी सेवा की, यह हम लोगों को नहीं मालूम है।

(३) पीछे आनेवाले सम्पूर्ण वाक्य के लिए—

क्या तुम्हें यह मालूम है कि वह कल बंबई से लौटेगा ?

१२१—ये—यह का बहुवचन है। जैसे—ये किसके लड़कें हैं ? कहीं कहीं ये का प्रयोग यह के स्थान में आदर सूचित करने के लिए होता है। जैसे—ये तो हमारे स्वामी हैं।

१२२—सो—यह शब्द बहुधा जो के साथ आता है। कविता में इस नियम का अनुसरण आवश्यक नहीं है। जैसे—जो तुम कर सकते हो, सो (वह) मैं नहीं कर सकता।

(क) सो—यह कभी कभी समुच्चयबोधक अव्यय के समान प्रयुक्त होता है। जैसे—तुमने यह समझा कि मैंने तुम्हें यह काम करते देखा ही नहीं, सो अब तुम भी इनके साथ निकल जाओ।

१२३—जो—यह सर्वनाम सदा सो या वह के साथ आता है। जैसे—जो तुमने देखा, सो मैंने देखा।

नोट—कारकों की विभक्तियों के साथ जो और सो शब्द के जो रूपान्तर होते हैं, वे पहले ही दिये जा चुके हैं।

(क) आधुनिक गद्यलेखक सो के लिए बहुधा वह और तिस के लिए उस और तिन के लिए उन का प्रयोग करते हैं।

(ख) अवधारण अर्थ में जो का जोही, सो का सोही, जिन का जिन्हीं, तिन का तिन्हीं हो जाता है ।

नोट—जो और सो का सम्बन्ध नित्य है अर्थात् सदा एक-समान रहनेवाला है, अतः इन्हें नित्यसम्बन्धी कहते हैं । सो शब्द वह शब्द का समानार्थी शब्द है, क्योंकि इन दोनों का अर्थ एक ही है ।

१२४—कौन ? (प्रश्नवाची) । यथा—कौन आ रहा है ? बहुत्व के अर्थ में कौन के स्थान में कौन लोग भी आता है । पृथक्त्व सूचित करने के लिए बहुधा कौन को दोहरा देते हैं—कौन कौन हमारे मित्र हैं ?

(क) कौन शब्द कभी कभी क्रियाविशेषण की तरह भी आता है । जैसे—आप ऐसे महात्माओं के लिए मात्र कौन दुर्लभ है !

विभक्तियुक्त कौन शब्द के रूप लिखे जा चुके हैं ।

१२५—क्या ? (प्रश्नवाचक) । यथा—तुम क्या चाहते हो ? बहुधा क्रियाविशेषण की तरह—

आश्चर्य के अर्थ में—क्या अच्छी गाय है ?

अवज्ञा के अर्थ में—तुम अब क्या बैठे हो, जाते क्यों नहीं ?

असमानता अथवा अशक्यता के अर्थ में—तुम मुझे क्या मारोगे !

एक थपड़ में तुम्हारा काम होगा ।

दशान्तर सूचित करने में भी क्या अथवा क्या से क्या प्रयुक्त होते हैं—

(१) हाय सब दिन एक समान नहीं होते; कल तुम क्या थे, आज तुम क्या हो गये ?

(२) तुम क्या से क्या हो गये ?

समुच्चयबोधक की तरह—क्या तुम और क्या वह—हमारे लिए दोनों एक हैं ।

हृदयोद्भास तथा प्रशंसा सूचित करने के लिए क्या बहुधा दुहरा दिया जाता है—

(१) क्या क्या कहूँ लोग देखते ही रह जाते हैं !

(२) “क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ।”

नोट—कौन और क्या—ये शब्द जब वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं, तब कौन का प्रयोग प्राणी के लिए और क्या का प्रयोग अप्राणी के लिए होता है । यदि कौन या क्या के विषय में पहले से कुछ भी मालूम हो, तो इस नियम का विचार नहीं होता ।

जब क्या का अर्थ कौन वस्तु होता है तो वह सर्वनाम होता है; और जब केवल प्रश्न के लिए प्रयुक्त होता है तो अव्यय होता है । यथा—

सर्वनाम—तुम क्या (कौन-सी चीज) देखते हो ?

अव्यय—क्या तुम मेरे साथ चलोगे ?

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) सर्वनाम किसे कहते हैं ? सर्वनाम के प्रयोग से क्या लाभ है ? उदाहरण देकर बतलाओ ।

(१) सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ? उदाहरण दो ।

(२) ‘पुरुष’ से क्या समझते हो ? कितने पुरुष हैं ?

(४) उत्तम और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं ?

(५) निम्नलिखित सर्वनामों के रूप सब कारकों में लिखो—

आप, ये, जो, क्या, वे, कोई, कौन, हम, तू, सो (दोनों वचनों में) सब ।

(६) निम्नलिखित सर्वनाम किन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं ? अपने वाक्यों में प्रयुक्त करके इनके अर्थों को व्यक्त करो—

आप, वे, क्या, तू, तुम, आप (निजवाची), सो, जो, कौन ।

(७) 'क्या' और 'कौन' क्रियाविशेषण की तरह कब प्रयुक्त होते हैं ?
उदाहरण देकर बतलाओ ।

(८) निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम और उनके प्रकार बताओ—

जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ ।

हों बौरी हूँ दन गई, रही किनारे बैठ ॥

रहिमन वे नर मर चुके, जे कहूँ माँगन जाहिँ ।

उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाहिँ ॥

वह तो आप ही आप वहाँ चले गये ।

तुम उधर क्या देखते हो ?

इधर कौन गया है ? उसे यहाँ बुलाओ ।

वे तो हमारे गुरु ही हैं ।

जो तुम करते हो, सो मैं जानता हूँ ।

यह मैं पहले ही से जानता था कि तुम बड़े ज़िदी निकलोगे ।

—:०:—

विशेषण

१२६—जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अथवा गुण प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं । विशेषण विकारी शब्द है ।

उदाहरण—यह एक मोटा आदमी है । इस वाक्य में मोटा शब्द विशेषण है । यदि 'मोटा' शब्द इस वाक्य से निकाल दिया जाय तो 'आदमी' शब्द में कोई विशेषता न रह जायगी । ऐसी अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि आदमी मोटा है, छोटा है, भला है, बुरा है, काला है, या गौरा । बस, हमें इतना ही मालूम है कि 'यह एक आदमी है' । अब आदमी शब्द के आगे 'मोटा' शब्द रख दिया । देखिए इस शब्द में कैसी विशेषता आ गई । अब हमें मालूम हो गया कि आदमी मोटा है ।

दूसरा वाक्य लीजिए—रामदास एक लड़का है। इस वाक्य से हमें मालूम नहीं हो सकता कि रामदास भला लड़का है या बुरा, तेज है या भोंदू। यदि हम कहें कि 'रामदास एक तेज लड़का है', तो हमें फौरन रामदास की विशेषता मालूम हो जाती है। यदि कोई पूछे कि रामदास कैसा लड़का है, तो हम कह सकते हैं कि रामदास एक तेज लड़का है।

अतः ऐसे शब्द, जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, विशेषण कहलाते हैं।

१२७—विशेषण-द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है, उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर के वाक्य में 'आदमी' और 'लड़का' विशेष्य हैं।

नोट—विशेषण से संज्ञा की व्यापकता परिमिति हो जाती है।

जैसे—काली छड़ियाँ। 'छड़ियाँ' शब्द के पहले 'काली' शब्द लगाने से काली छड़ियों ही से तात्पर्य है, अन्य प्रकार की छड़ियों से नहीं। सफ़ेद, पीली, लाल इत्यादि रंगवाली छड़ियों की गणना यहाँ नहीं है। 'काली' शब्द के पहले टूटी शब्द लगाने से इन छड़ियों की व्यापकता और भी परिमित हो गई। यहाँ पर केवल टूटी काली छड़ियों ही से तात्पर्य है, अन्य छड़ियों से नहीं। इसी तरह अन्य विशेषण शब्द भी संज्ञा की व्यापकता को परिमित कर सकते हैं।

१२८—विशेषण के मुख्य चार भेद हैं—(१) गुणवाचक, (२) संख्यावाचक, (३) परिमाणवाचक, (४) सार्वनामिक।

(१) गुणवाचक विशेषण

१२९—जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण प्रकट हों, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—

(क) पेड़ पर एक लाल चिड़िया बैठी है ।

(ख) मोहन एक मोटा लड़का है ।

(ग) रामदास के पास एक टूटी छड़ी है ।

इन सब वाक्यों में 'लाल', 'मोटा' और 'टूटी' शब्द गुणवाचक विशेषण हैं । गुणवाचक विशेषण किसी वस्तु का गुण, रङ्ग, अवस्था, आकार इत्यादि सूचित करता है ।

नोट—कभी कभी गुणवाचक विशेषणों के आगे सा जोड़ देते हैं ।

जैसे—ठगना-सा आदमी, मोटी-सी औरत, ऊँचा-सा घोड़ा इत्यादि ।

'रूपी' 'नाम' (नामक), और 'सम्बन्धी' शब्द को संज्ञा के साथ मिलाकर विशेषण बनाते हैं । यथा—

विद्यारूपी धन, बाहुक नाम सारथी, दण्डक नामक वन, पाठशाला-सम्बन्धी कार्य ।

(क) बहुधा गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है ।

ऐसी अवस्था में ये विशेषण संज्ञा का काम करते हैं । जैसे—

(१) हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए ।

(२) भूखे को अन्न पियासे को पानी, नंगे को वस्त्र देहु तुम दानी ।

(२) संख्यावाचक विशेषण

१३०—जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या प्रकट करे, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं ।

उदाहरण—

(क) इस कच्चा में तीस लड़के हैं ।

(ख) तुम्हारी चार किताबें मेरे पास हैं ।

(ग) मैं चौगुना दाम देता हूँ ।

(घ) वह पहला लड़का है।

ऊपर के वाक्यों में 'तीस', 'चार', 'चौगुना', और 'पहला' शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं।

१३१—संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं—(क) निश्चित संख्या-वाचक और (ख) अनिश्चित संख्यावाचक।

(क) निश्चित संख्यावाचक

१३२—निश्चित संख्यावाचक विशेषण से किसी वस्तु की ठीक गणना अथवा पूरी संख्या का बोध होता है। जैसे—दस आदमी, बीस किताबें, तीसरा लड़का।

१३३—निश्चित संख्यावाचक विशेषण पाँच प्रकार के होते हैं—

(१) गणनावचक—एक, दो, तीन, आधा, पौन इत्यादि।

(२) क्रमवाचक—पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि।

(३) आवृत्तिवाचक—दुगुना, चौगुना, पचगुना इत्यादि।

(४) समुदायवाचक—दोनों, तीनों, पाँचों इत्यादि।

(५) प्रत्येकवाचक—प्रत्येक, हर एक इत्यादि।

१३४—गणनावचक विशेषण के दो भेद हैं—(१) पूर्णाङ्कबोधक—एक, दो, तीन, चार इत्यादि।

(२) अपूर्णाङ्कबोधक—पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़ इत्यादि।

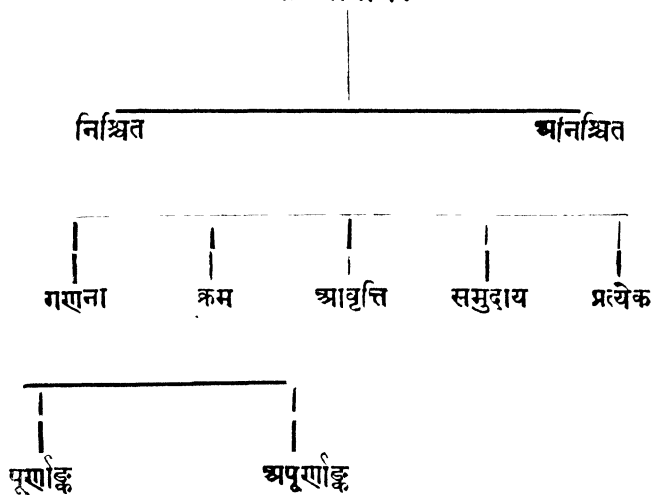
(ख) अनिश्चित संख्यावाचक

१३५—जिस संख्यावाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध न हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।

जैसे—बहुत, अधिक, कम, कुछ, थोड़ा इत्यादि।

एक का अर्थ जब कोई होता है, तब यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे—एक दिन हमें मरना है।

संख्यावाचक



नोट—पूर्णाङ्कबोधक विशेषण के साथ 'एक' शब्द लगाने से 'लगभग' का अर्थ होता है। जैसे—'दस एक आदमी', 'चालीस एक गाये' इत्यादि।

एक आध, दो चार इत्यादि भी 'अनिश्चय' के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—

(१) एक आध रोटी मैं भी खा लूँगा।

(२) दो चार दिन में मैं भी लौटूँगा।

बीसों, पचासों, सैकड़ों हज़ारों, लाखों इत्यादि शब्द भी 'अनिश्चय' के अर्थ में आते हैं। जैसे—

(१) महामारी से सैकड़ों घर चौपट हो गये।

(२) वहाँ हज़ारों आदमी मौजूद थे।

१२६—क्रमवाचक विशेषणों से किसी संख्या का क्रम प्रकट होता है।

जैसे—पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवाँ, दसवाँ, बीसवाँ, तीसवाँ इत्यादि।

क्रमवाचक विशेषण पूर्णाङ्कबोधक विशेषणों से बनते हैं—

जैसे—एक—पहला
दो—दूसरा
तीन—तीसरा
चार—चौथा
पाँच—पाँचवाँ
दस—दसवाँ इत्यादि

संस्कृत शब्द—प्रथम, प्रथमा; द्वितीय, द्वितीया; तृतीय, तृतीया; चतुर्थ, चतुर्थी; पंचम, पंचमी इत्यादि भी क्रमवाचक विशेषण हैं ।

१३७—**आवृत्तिवाचक** विशेषणों से यह मालूम होता है कि विशेष्य कै गुना है । जैसे—चौगुना दाम ।

पूर्णाङ्कबोधक विशेषणों के आगे 'गुना' शब्द जोड़ देने से आवृत्ति-वाचक विशेषण बनते हैं । जैसे—

दुगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना इत्यादि ।

शुद्ध संस्कृत शब्द के उदाहरण—द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण इत्यादि ।

१३८—**समुदायवाचक** विशेषण से किसी संज्ञा का समुदाय सूचित होता है । जैसे—चारों वेद, पाँचों पाण्डव, नवों ग्रह, सत्ताइसों नक्षत्र इत्यादि । तीनों के तीनों लड़के चले गये ।

१३९—**प्रत्येकबोधक** विशेषण से प्रत्येक वस्तु का बोध होता है ।

जैसे—हर एक लड़का, प्रत्येक आदमी इत्यादि ।

एक-एक, दो-दो, तीन-तीन इत्यादि शब्दों से भी प्रत्येक-बोधक विशेषण होता है । जैसे —

(१) उसने एक एक आदमी से इस विषय में दरियाफ़्त किया, पर उसका कुछ भी पता न लगा ।

(२) यहाँ से पंद्रह पंद्रह मिनट पर रेलगाड़ी छूटती है ।

(३) परिमाणवाचक विशेषण

१४०—परिमाणवाचक विशेषण से किसी वस्तु का परिमाण मात्तूम होता है। जैसे—सब, कुल, बहुत, कुछ, थोड़ा इत्यादि।

मुझे कुछ दूध पिला दो। मुझे थोड़ा जल दो। मोहन को और दूध दो।

नोट—(१) ये विशेषण संख्यावाचक भी होते हैं; क्योंकि इनसे संख्या का भी बोध होता है। जैसे—कमरे में कुछ आदमी जरूर थे।

यहाँ पर कुछ शब्द संख्या के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। सेरों घी, मनो दूध इत्यादि उदाहरणों में सेरों और मनो परिमाणवाचक विशेषण हैं।

(२) संज्ञा के साथ भर शब्द लगाने से भी परिमाण-बोधक विशेषण होता है। जैसे—

गज भर कपड़ा। मन भर दूध।

थोड़ी-सी, तनिक-सी, थोड़ा-बहुत, बहुत-कुछ इत्यादि शब्द भी परिमाणबोधक विशेषण होते हैं।

(४) सार्वनामिक विशेषण

१४१—जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।

जैसे यह किताब, वह घोड़ा।

यहाँ पर 'यह' और 'वह' शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं; क्योंकि ये क्रमशः 'किताब' और 'घोड़े' की विशेषता बतलाते हैं। अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।

कोई कोई इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। यदि ये शब्द किसी संज्ञा के पहले विशेषण की तरह न आवें, तो सदा सर्वनाम ही रहेंगे। वह घर पर नहीं है—इस वाक्य में 'वह' शब्द सर्वनाम है।

विशेषणों के रूपान्तर

१४२—विशेष्य के सम्बन्ध से अकारान्त विशेषणों के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता । जैसे—

सुन्दर आदमी । सुन्दर स्त्री ।

१४३—आकारान्त गुणवाचक विशेषणों के रूप विशेष्य के लिङ्ग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं ।

जैसे—अच्छा आदमी—एकवचन । अच्छे आदमी—बहुवचन ।

ऐसा आदमी—पुंलिङ्ग । ऐसी औरत—स्त्रीलिङ्ग ।

(क) स्त्रीलिङ्ग में आ क स्थान में बहुधा ई होती है । जैसे—पीला कपड़ा, पीली साड़ी ।

(ख) संस्कृत में विशेषण शब्दों के लिङ्ग सदा विशेष्य के लिङ्ग के अनुसार होते हैं । हिन्दी में भी बहुधा लोग शुद्ध संस्कृत विशेषणों का प्रयोग किया करते हैं । जैसे—

सुन्दर स्त्री अथवा सुन्दरी स्त्री । चंचल नारी अथवा चंचला नारी । कुटिल नदी अथवा कुटिला नदी ।

१४४—सार्वनामिक विशेषणों का रूपान्तर

यह, ये—इस, इन, इतना, इतने, ऐसा, ऐसे ।

वह, वे—उस, उन, उतना, उतने, वैसा, वैसे ।

सो—तिस, तिन, तितना, तितने, तैसा, तैसे ।

जो—जिस, जिन, जितना, जितने, जैसा, जैसे ।

कौन—किस, किन, कितना, कितने, कैसा, कैसे ।

कोई—किसी । मैं—मुझ । तू—तुझ ।

* उदाहरण — मुझ अबला को मत सताओ । तुझ निर्दयी को ईश्वर स्वयं दण्ड देना ।

तुलना

१४५—दो या अधिक वस्तुओं के गुणों के पारस्परिक मिलान को तुलना कहते हैं। जैसे—

(१) राम की किताब तुम्हारी किताब से मोटी है।

(२) वह लड़का कक्षा में सब लड़कों से तेज़ है।

इन उदाहरणों में तुलना से मोटी और तेज़ शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हिन्दी के विशेषण शब्दों में तुलना से कोई विकार नहीं होता।

(क) जिस वस्तु के गुण की न्यूनता या अधिकता प्रकट करने के लिए किसी अन्य वस्तु से तुलना करते हैं उस वस्तु के आगे बहुधा अपादान कारक की विभक्ति आती है। जैसे—वह मुझसे छोटा है।

(ख) से की जगह बहुधा अपेक्षा या बनिस्बत शब्दों को लाते हैं और उपमेय को सम्बन्ध कारक में रखते हैं। विशेषण के पहले अधिक या कम आवश्यकतानुसार लाते हैं जैसे—

मोहन सोहन की अपेक्षा अधिक बलवान् है।

१४६—तुलना के विचार से कुछ शुद्ध संस्कृत गुणवाचक विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं—(१) प्रथमावस्था (२) द्वितीयावस्था और (३) तृतीयावस्था।

१४७—प्रथमावस्था—यह विशेषण शब्द की मूलावस्था है। विशेषण के इस रूप से किसी प्रकार की तुलना सूचित नहीं होती। जैसे—लघु, प्राचीन, गुरु इत्यादि।

१४८—द्वितीयावस्था—दो वस्तुओं के गुणों के मिलान के समय विशेषण की द्वितीयावस्था होती है। ऐसी अवस्था में विशेषण के आगे तर प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे—

लघुतर, गुरुतर, प्राचीनतर इत्यादि ।

१४९—तृतीयावस्था—जब दो से अधिक वस्तुओं में तुलना करते हैं, तब विशेषण के साथ तम प्रत्यय लाते हैं । यह विशेषण की तृतीयावस्था है । यथा—

लघुतम, गुरुतम, प्राचीनतम इत्यादि ।

यह एक प्राचीनतम ग्रन्थ है ।

नोट—सा, सरीखा, समान, सदृश, सम इत्यादि शब्द समानता के अर्थ में आते हैं । इनसे बराबर की तुलना होती है । जैसे

मुझ-सा बली, मुझ सरीखा चतुर, मेरे सदृश कुलीन इत्यादि ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) विशेषण किसे कहते हैं ?

(२) भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में क्या अन्तर है ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो ।

(३) किसी संज्ञा की व्यापकता विशेषण-द्वारा क्योंकर परिमित होती है ? उदाहरण देकर समझाओ ।

(४) विशेषण कितने प्रकार के होते हैं । उदाहरण-सहित लिखो ।

(५) संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं ? इसके भेदों और प्रभेदों को एक सूची-द्वारा प्रदर्शित करो ।

(६) क्या कभी विशेषण भी संज्ञा की भाँति प्रयुक्त हो सकता है ? यदि हाँ, तो उदाहरण देकर बतलाओ ।

(७) विशेष्य की परिभाषा बताओ ।

(८) निम्नलिखित वाक्यों में विशेष्य और विशेषण बताओ और उनके प्रकार लिखो—

(१) तुम कौन-सी पुस्तक चाहते हो ?

(२) उसको जलपान के लिए थोड़ा दूध दो ।

- (३) इस मकान में कितने आदमी हैं ?
- (४) देखो, सौन्दर्य भी क्या मनोहारी चीज़ है ।
- (५) मुझे कुछ बनारसी साड़ियाँ चाहिए ।
- (६) कमरे में बीसों आदमी गे रहे हैं ।
- (७) धनियाँ के घर रुपये की गणना सैकड़ों से नहीं होती, बल्कि हज़ारों और लाखों से ।
- (८) मुझे आध पाव चावल चाहिए ।
- (९) इस स्कूल में प्रथम और द्वितीय लड़के को पारितोषिक दिया गया ।

(१०) हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए ।

(११) बहुत कहने पर महावत ने हाथी के लिए मन भर दाना लेना स्वीकार किया ।

(१२) मुझ अबला को क्यों सताते हो ?

(१३) तुझ पापी को ईश्वर स्वयं दण्ड देगा ।

(९) सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं ? निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों के रूप लिखो—

जा, से, कोई, कौन, वह ।

(१०) विशेषणों की तुलना से क्या समझते हो ?

(११) तुलना के विचार से विशेषणों की कितनी अवस्थाएँ हैं और इनमें क्या अन्तर है ?

(१२) हिन्दी के विशेषण शब्दों में इन अवस्थाओं का बोध कैसे कराया जाता है ? उदाहरण देकर समझाओ ।

(१३) शुद्ध संस्कृत विशेषणों की तुलना में द्वितीयावस्था और तृतीयावस्था कैसे बनती है ?

(१४) मुझ-सा बली कोई नहीं है । राम सरीखा धनुर्धारी कोई नहीं था । इन वाक्यों में तुलना की कौन अवस्था है ?

(१५) घर, वन, देश, धन, दिल, भूख, दान, नशा—इन शब्दों से विशेषण बनाओ ।

क्रिया

१५०—वाक्य में जिस शब्द के द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में कुछ कथन करते हैं उसे क्रिया कहते हैं।

उदाहरण—(१) मोहन पढ़ता है।

(२) रामदास बाहर है।

(३) मेरी छड़ी टूट गई।

ऊपर के उदाहरणों में, पढ़ता है, है, और टूट गई क्रिया शब्द हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मोहन, रामदास, और छड़ी के विषय में कुछ कथन किया गया है।

क्रिया विकारी शब्द है। इसके रूप में विशेष परिवर्तन भी हुआ करते हैं।

१५१—खाना, पीना, चलना, रोना, सोना इत्यादि ऐसे क्रिया-शब्द, जिनके अन्त में ना हो, क्रिया के सामान्य रूप हैं। क्रिया के सामान्य रूप से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान नहीं कर सकते। इन शब्दों से ना निकाल देने से जो मूल शब्द बच रहता है उसे धातु कहते हैं।

खाना से ना निकाल देने से—खा बचा।

पीना " " " पी "

चलना " " " चल "

रोना " " " रो "

ऊपर के शब्दों में खा, पी, चल, रो इत्यादि धातु हैं।

नोट—प्रत्येक शब्द, जिसके अन्त में ना पाया जाय, क्रिया नहीं हो सकता। कोना, सोना (स्वर्ण), गन्ना इत्यादि

संज्ञा शब्द हैं; क्योंकि ये किसी वस्तु के नाम हैं। इनसे किसी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता।

१५२—क्रिया के मुख्य दो भेद हैं—(१) सकर्मक और (२) अकर्मक।

१५३—जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से चलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।

जैसे—गोविन्द ने साँप को मारा।

इस वाक्य में मारा शब्द क्रिया है; इसका कर्ता गोविन्द है। मारने की क्रिया गोविन्द ने की और इसका फल गोविन्द से चलकर साँप पर पड़ा। साँप मर गया, अतः मारा क्रिया सकर्मक है।

सकर्मक शब्द में स 'सहित' अर्थ का बोधक है। अतः सकर्मक क्रिया वह है जिसका कर्म हो।

१५४—जिस क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता ही में रहे, उसे अकर्मक क्रिया—कहते हैं। जैसे—मोहन घर गया।

इस वाक्य में गया क्रिया का कर्ता मोहन है। घर जाने का फल मोहन ही पर पड़ता है, इसलिए गया शब्द अकर्मक क्रिया है।

अकर्मक शब्द में अ 'विना' अर्थ का बोधक है। अतः अकर्मक क्रिया वह है जिसका कर्म न हो।

उदाहरण (क)—मैं किताब पढ़ रहा हूँ।

सकर्मक

वे मुझे देखते हैं।

”

गोविन्द एक चाल चला।

”

वह बाजा बजा रहा है।

”

मैं कपड़ा जला रहा हूँ।

”

(ब) — सोहन रास्ते में गिर पड़ा ।

अकर्मक

मैं चलता हूँ ।

”

तुम उठे ।

”

आग जल रही है ।

”

१५५—कुछ अकर्मक क्रियाएँ रूपान्तर के बल सकर्मक हो जाया करती हैं । जिस क्रिया का कर्म वर्तमान है वह सकर्मक है; और जिसका कोई कर्म नहीं है, वह अकर्मक है ।

‘वह कपड़ा जला रहा है’—इस वाक्य में ‘जल रहा है’ सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका कर्म मौजूद है ।

प्रश्न—वह क्या जला रहा है ?

उत्तर—कपड़ा ।

दूसरा वाक्य—‘आग जल रही है’—यहाँ पर ‘जल रही है’ अकर्मक क्रिया है; क्योंकि इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है । आग स्वयं जल रही है । इस प्रकार वाक्य में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएँ प्रश्न-द्वारा भली भौति जानी जा सकती हैं । क्या या किसको के साथ प्रश्न करने से क्रिया का कर्म मालूम हो जाता है ।

१५६—क्या या कौन से बहुधा कर्ता निकल आता है ।

उदाहरण—वाक्य—सॉप जा रहा है ।

प्रश्न—क्या या कौन जा रहा है ?

उत्तर—सॉप ।

यहाँ उत्तर में ‘सॉप’ शब्द आया है, पर यह शब्द कर्ता है, कर्म नहीं है । अतः क्या शब्द का अर्थ बालकों को अच्छी तरह समझा देना चाहिए ।

क्या शब्द कर्ता और कर्म दोनों को बतलाता है ।

कर्ता—क्या = किस चीज़ ने, क्या चीज़, कौन ।

कर्म—क्या = किस चीज़ को, किसको ।

ऐसी अवस्था में यदि क्या के स्थान में किस चीज़ को अथवा किसको आदि के साथ प्रश्न किया जाय, तो अव्युत्तम हो। यह बात बालकों की भी समझ में जल्द आ जायगी।

१५७—जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कहना, सुनना, देना, बताना इत्यादि। इन्हीं अर्थों की अन्य क्रियाएँ द्विकर्मक हैं।

वह मोहन को यह कथा सुना रहा है।

इस वाक्य में सुना रहा है क्रिया के दो कर्म हैं—

(१) मोहन को और (२) कथा। इन द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मों के दो भेद होते हैं। एक को प्रधान कर्म कहते हैं; और दूसरे को गौण।

१५८—जिस कर्म का लगाव द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रधान रूप से रहता है उसे प्रधान कर्म कहते हैं। प्रधान कर्म क्रिया का मुख्य कर्म है। यदि इस मुख्य कर्म को हम वाक्य से निकाल दें, तो द्विकर्मक क्रिया अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकती।

वाक्य—मोहन ने मुझे एक कहानी सुनाई।

इस वाक्य में कहानी शब्द सुनाई क्रिया का प्रधान (मुख्य) कर्म है। अब सुनाई क्रिया के साथ यह प्रश्न हो सकता है—प्रश्न—क्या सुनाई? उत्तर—कहानी। अतः प्रधान कर्म कहानी हुआ।

पुनः हम प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न—किसको सुनाई? उत्तर—मुझे। यहाँ मुझे शब्द भी सुनाई क्रिया का एक कर्म हुआ, परन्तु यह प्रधान कर्म नहीं, किन्तु गौण (अप्रधान) है।

१५९—बहुत-सी सकर्मक क्रियाएँ प्रयोग के अनुसार अकर्मक हो जाती हैं। जैसे—

सकर्मक

अकर्मक

(१) मैं अपना दाहिना पैर (२) मेरा दाहिना पैर खुजला
खुजला रहा हूँ । रहा है ।

प्रथम वाक्य में खुजला रहा हूँ क्रिया का कर्म पैर है, अतः यह सकर्मक क्रिया है । दूसरे वाक्य में खुजला रहा है साधारण रूप से कहा गया है । इसका कोई कर्म नहीं है । इसलिए यह अकर्मक क्रिया है ।

१६०—कभी कभी अकर्मक क्रियाएँ जिन धातुओं से बनी हुई होती हैं, वन्हीं से निकले हुए अथवा मिलते-जुलते कर्म रखती हैं । ऐसे कर्म को सजातीय कर्म कहते हैं ।

उदाहरण—(१) तुम एक अच्छी दौड़ दौड़े ।

(२) देखो, मोहन मेरे साथ कैसी चाल चल रहा है ।

इन वाक्यों में दौड़े और चल रहा है क्रियाओं के सजातीय कर्म क्रमशः दौड़ और चाल शब्द हैं, क्योंकि ये दौड़ और चल धातुओं से निकले हैं ।

सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पूर्ति

१६१—कुछ सकर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं जो वाक्य में एक कर्म के होते हुए भी अपना आशय पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकतीं । ऐसी अवस्था में आशय-पूर्ति के लिए वाक्य में कुछ और शब्दों के रखने की आवश्यकता होती है । यथा—

(१) महाराज ने उसे मंत्री बनाया है ।

(२) मैं सोहन को मूर्ख समझता हूँ ।

इन उदाहरणों में बनाया है और समझता हूँ क्रियाओं के कर्म उसे और मोहन को वर्तमान हैं; पर इनके होते हुए भी,

यदि मंत्री और मूर्ख शब्द निकाल दिये जायँ तो आशय की पूर्ति नहीं होती। यथा—

(१) महाराज ने उसे—बनाया है।

(२) मैं मोहन को—समझता हूँ।

इन वाक्यों की आशय-पूर्ति के लिए मंत्री और मूर्ख शब्दों का होना परमावश्यक है। ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण सकर्मक क्रियाएँ कहते हैं और इनकी पूर्ति को कर्म-पूर्ति कहते हैं।

१६२—कहीं कहीं अकर्मक क्रिया कर्ता के साथ युक्त होने पर भी अपना आशय पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर सकती। ऐसी अकर्मक क्रिया के अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए वाक्य में किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रखने की आवश्यकता पड़ती है। इन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को पूर्ति (पूरक) कहते हैं।

उदाहरण—वह एक घोड़ा है। तुम मेरे मित्र हो। वह तो मेरा मित्र निकला। यह तो तुम्हीं निकले।

इन वाक्यों में घोड़ा, मित्र और तुम्हीं शब्द पूर्ति हैं। 'है', 'हो', 'निकला' और 'निकले' क्रियाएँ अपूर्ण अकर्मक क्रियाएँ हैं। जिन अकर्मक क्रियाओं को पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोता है।

नोट—(क) करना, बनाना, निकालना, मानना, समझना इत्यादि क्रियाएँ अपूर्ण सकर्मक होती हैं।

(ख) होना, बनना, रहना, निकलना, दिखाना इत्यादि क्रियाएँ अपूर्ण अकर्मक होती हैं।

(ग) अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं की पूर्ति को उद्देश्य-पूर्ति कहते हैं।

१६३—क्रियाएँ जब पूर्ति नहीं चाहतीं, तब ये अपूर्ण नहीं कहलातीं।

जैसे—

(१) ईश्वर है, (२) चारपाई बन गई, (३) सूर्य निकला इत्यादि ।
कुछ सकर्मक क्रियाएँ कर्म के होते हुए भी अपना आशय पूरुरूप से नहीं प्रकट कर सकतीं । ऐसी अवस्था में कर्म के बाद किसी पूरक की आवश्यकता होती है । इस पूरक को कर्म-पूर्ति कहते हैं ।

उदाहरण—उसने मुझे राजा बना दिया ।

क्रियाओं के रूपान्तर

१६४—जिस प्रकार अन्य विकारी शब्दों के रूपों में यथास्थान परिवर्तन हो जाया करते हैं, उसी प्रकार क्रिया शब्द में भी समयानुसार काल, रीति, पुरुष, लिङ्ग और वचन के अनुसार रूपान्तर हुआ करते हैं, परन्तु ये रूपान्तर मुख्य क्रिया ही में होते हैं ।

१६५—क्रिया का मूल धातु ही उसका सबसे छोटा रूप है । जाना *
क्रिया का मूल धातु जा है; इस धातु का इससे और छोटा रूप नहीं हो सकता । जा धातु का प्रचलित रूप जाना है । इस जाना क्रिया के रूप में भी अन्य परिवर्तन यथास्थान हुआ करते हैं । जैसे—जा धातु—जाता, जाती, जाता हूँ, जाऊँगा, जाता है, जाती है, इत्यादि । रट धातु—रटता, रटती, रटूँगा, रटता है, रटती है, रटना, रटाना, रटवाना इत्यादि ।

* 'जाना'—यह क्रिया का सामान्य रूप है । क्रिया का यह रूप बहुधा संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है । यथा—नदी में नहाना स्वास्थ्य के लिए हितकर है ।

क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष

१६६—लिङ्ग—क्रिया का लिङ्ग से भी सम्बन्ध है।

उदाहरण—वह स्त्री नदी में स्नान कर रही है।

वह आदमी नदी में स्नान कर रहा है।

इन वाक्यों में कर रही है और कर रहा है क्रियाओं के रूप कर्ता के लिङ्ग के अनुसार है।

कभी कभी क्रियाओं के रूप पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग में एक-से होते हैं। जैसे—

(१) लड़के ने खाया। { 'ने' विभक्ति के साथ

(२) लड़की ने खाया। { ऐसा रूप होता है।

इन दोनों वाक्यों में पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग के लिए एक ही रूप है। परन्तु व्याख्या करते समय इन दोनों के लिङ्ग अलग अलग लिखे जायेंगे।

१६७—वचन—क्रियाओं के रूपान्तर वचन के अनुसार भी हुआ करते हैं। जैसे—

(१) लड़का आता है। (२) लड़के आते हैं।

१६८—कहीं कहीं दोनों वचनों में एक ही रूप होता है।

लड़के ने खाया। } 'ने' विभक्ति के साथ ऐसा
लड़की ने खाया। } रूप होता है।

लड़के ने रोटी खाई। } कर्म के अनुसार क्रिया का
लड़की ने रोटी खाई। } रूप।

लड़के ने आम खाया। } कर्म के अनुसार।
लड़की ने आम खाया। }

१६९—पुरुष के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन हुआ करता है।

एकवचन	बहुवचन
उत्तम पु०—मैं पढ़ता हूँ।	हम पढ़ते हैं।
मध्यम पु०—तू पढ़ता है।	तुम पढ़ते हो।
अन्य पु०—वह पढ़ता है।	वे पढ़ते हैं इत्यादि।

१७०—**प्रेरणार्थक क्रिया**—जब कोई कार्य कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, उस समय क्रिया का रूप कुछ परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्रिया के बदले हुए रूप को **प्रेरणार्थक क्रिया** कहते हैं।

उदाहरण—वह मोहन से पुस्तक पढ़वाता है।

इस वाक्य में 'पढ़वाता है' प्रेरणार्थक क्रिया है, वह प्रेरक कर्ता* और मोहन प्रेरित कर्ता है।

१७१—प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए धातु के अन्त में **वाना** लगा देते हैं।

परन्तु **वाना** जोड़ देने के पूर्व धातुओं के रूप में कहीं कहीं पर कुछ परिवर्तन भी हो जाया करते हैं। जैसे—

- (१) चढ़ + वाना = चढ़वाना
- (२) बोल + वाना = बुलवाना
- (३) फूट + वाना = फुड़वाना
- (४) सोना + वाना = सुलवाना
- (५) जीना + वाना = जिलवाना

* जो शब्द कार्य करानेवाले के लिए आता है वह प्रेरक कर्ता है; और जिसके द्वारा कार्य कराया जाता है और उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं।

प्रथम उदाहरण में चढ़ धातु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । द्वितीय उदाहरण में बोल का बुल बन गया है । तृतीय उदाहरण में फूट का फुड़ हो गया है । चतुर्थ और पञ्चम उदाहरणों में सो और जी धातुओं का क्रमशः सुल और जिल हो गया । ये परिवर्तन अभ्यास से भली भाँति सीखे जाते हैं ।

१७२—प्रेरणार्थक के अन्य उदाहरण—

	प्रेरणार्थक
हटना (अकर्मक) {	
हटाना (सकर्मक) }	हटवाना
पढ़ना (अकर्मक) {	
पढ़ाना (सकर्मक) }	पढ़वाना
बोलना (अकर्मक) {	
बुलाना (सकर्मक) }	बुलवाना
सोना (अकर्मक) {	
सुलाना (सकर्मक) }	सुलवाना
खाना (सकर्मक) {	
खिलाना (द्विकर्मक) }	खिलवाना

नोट—आना, जाना, सकना, होना इत्यादि अकर्मक धातुओं से प्रेरणार्थक क्रियाएँ नहीं बनती ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) क्रिया किसे कहते हैं ? वाक्य में उदाहरण देकर समझाओ ।

(२) सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से क्या समझते हो ? वाक्य में इनके उदाहरण देकर समझाओ ।

(३) सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहिचान की क्या रीति है ? उदाहरण देकर बताओ ।

(४) 'क्रिया के व्यापार के फल' से क्या समझते हो ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो ।

(५) द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं ? इसी सम्बन्ध में यह भी बतलाओ कि 'प्रधान और अप्रधान (गौण) कर्म' में क्या अन्तर है ।

(६) क्रिया के प्रकार की होती है ? निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को अलग-अलग लिखो और उनके प्रकार बताओ—

मैं कल घर गया । तुम क्या खाते हो ? वह तो हमारा मित्र ही है । उसने उसे राजा बना दिया । उसने मुझे बहुत-सी मिठाई दी । मिठाई देखकर मेरा जी ललचता है । तुम मुझे क्यों ललचाते हो ? वह राजा हो गया । मकान बन रहा है । राम ने मारीच को मारा ।

(७) अपूर्ण क्रिया से क्या मतलब है ? इसकी पूर्ति से क्या समझते हो ? उदाहरण द्वारा समझाओ ।

(८) कर्म-पूर्ति और उद्देश्य-पूर्ति किन्हें कहते हैं ? उदाहरण दो ।

(९) क्रिया का लिङ्ग, वचन और पुरुष से क्या सम्बन्ध है ? उदाहरण देकर स्पष्ट करो ।

(१०) प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ? उसका प्रयोग कब होता है ?

(११) प्रेरणार्थक क्रिया कैसे और किन क्रियाओं से बनती है ?

(१२) निम्नलिखित क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया में परिणत करो—

सोना, जीना, समझना, मारना ।

— —

काल

१७३—क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय जाना जाय, उसे काल कहते हैं ।

१७४—काल के मुख्य तीन भेद हैं—(१) वर्तमान काल; (२) भूत काल और (३) भविष्यत् काल ।

(१) वर्तमान काल

१७५—वर्तमान काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का काय अभी हो रहा है। जैसे—

(क) राम पढ़ता है—पुँ० । सुशीला पढ़ती है—स्त्री० ।

(ख) राम पढ़ रहा है—पुँ० । सुशीला पढ़ रही—स्त्री० ।

(ग) राम पढ़ता होगा—पुँ० । सुशीला पढ़ती होगी—स्त्री० ।

ऊपर के वाक्यों की क्रियाएँ वर्तमान काल की हैं। ध्यानपूर्वक देखने से मालूम होता है कि इनके काल में भी कुछ सूक्ष्म अन्तर है। इसके अनुसार वर्तमान काल के चार भेद हैं—(१) सामान्य वर्तमान, (२) अपूर्ण वर्तमान, (३) संभाव्य वर्तमान और (४) हेतुहेतुमद् वर्तमान् ।

१७६—(१) सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के व्यापार का होना वर्तमान काल में सामान्य रूप से पाया जाय। जैसे—

वह छठी कक्षा में पढ़ता है। सुशीला छठी कक्षा में पढ़ती है।

१७७—(२) अपूर्ण वर्तमान क्रिया का वह रूप है जिससे यह मालूम हो कि क्रिया का कार्य आरम्भ हो चुका है पर अभी समाप्त नहीं हुआ। जैसे—

राम पढ़ रहा है। सुशीला पढ़ रही है।

१७८—(३) संभाव्य वर्तमान से वर्तमान काल में क्रिया के होने की विशेष संभावना सूचित होती है। जैसे—

राम पढ़ता होगा। सुशीला पढ़ती होगी।

१७९—(४) हेतुहेतुमद् वर्तमान काल से यह सूचित होता है कि एक

क्रिया का होना किसी वर्तमान काल की क्रिया के समाप्त होने पर निर्भर है। जैसे—

यदि वह मुझे जानता हो, तो उसे यहाँ आने दो।

(२) भूत काल

१८०—भूत काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का कार्य समाप्त हो चुका है। इसके छः भेद हैं—(१) सामान्य भूत, (२) आसन्न भूत, (३) पूर्ण भूत, (४) सन्दिग्ध भूत, (५) अपूर्ण भूत और (६) हेतुहेतुमद् भूत।

१८१—(१) सामान्य भूत काल—जिससे भूत काल की क्रिया का विशेष समय न ज्ञात हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे—
पुँ०—मोहन गया। स्त्री०—कमला गई।

‘गया’ और ‘गई’ क्रियाओं से यह नहीं मालूम होता कि मोहन किस (अमुक) समय गया अथवा कमला किस समय गई।

१८२—(२) आसन्न भूत काल से यह जाना जाता है कि क्रिया का कार्य अभी समाप्त हुआ है। जैसे—
हमने तसवीर देखी है। देखी है = अभी देखी है।

१८३—(३) पूर्ण भूत काल—क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति तो प्रकट हो, परन्तु कार्य को समाप्त हुए अधिक समय हो चुका हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे—मैंने खाना खाया था।

यहाँ खाना खाने का कार्य समाप्त तो हो ही गया है, पर समाप्त हुए अधिक समय भी बीत चुका है।

१८४—(४) सम्भाव्य भूत काल से क्रिया के काये की समाप्ति में कुछ सन्देह प्रकट होता है। जैसे—वह गया होगा।

‘गया होगा’ क्रिया से उसके गमन में सन्देह पाया जाता है।

१८५—(५) अपूर्ण भूत काल से यह प्रकट होता है कि कार्य भूत काल में हो रहा था, पर यह नहीं मालूम कि कार्य समाप्त हुआ कि नहीं। जैसे -

मैं खा रहा था। मोहन पढ़ रहा था।

खा रहा था से यह नहीं पता चलता कि खाने का कार्य कब समाप्त हुआ। इससे हम केवल यही जानते हैं कि खाने का कार्य उस समय हो रहा था।

१८६—(६) हेतुहेतुमद् भूत काल से यह मालूम होता है कि कार्य का समाप्त होना भूत काल में सम्भव था, पर कारणवश न हो सका। जैसे—

यदि वर्षा होती, तो दुर्भिक्ष न पड़ता।

यहाँ वर्षा का भूत काल में होना सम्भव था, पर न जाने किस कारण से नहीं हुई।

(३) भविष्यत् काल

१८७—भविष्यत् काल से जाना जाता है कि क्रिया का कार्य भविष्य में होगा। भविष्यत् काल के तीन भेद हैं—(१) सामान्य भविष्यत्, (२) सम्भाव्य भविष्यत् और (३) हेतुहेतुमद् भविष्यत् काल।

१८८—(१) सामान्य भविष्यत् काल से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार सामान्य रीति से भविष्य में होगा। जैसे—
मैं जाऊँगा, मोहन पढ़ेगा।

१८९—(२) सम्भाव्य भविष्यत् काल से भविष्य में किसी कार्य के

होने की सम्भावना पाई जाती है। जैसे—तू जावे, वह चले।

१९०—(३) हेतुहेतुमद् भविष्यत् काल से भविष्यत् काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहता है। जैसे—वह आवे, तो मैं जाऊँ।

१९१—विधिक्रिया —क्रिया के जिस रूप से किसी प्रकार की आज्ञा, निषेध अथवा शिक्षा प्रकट हो उसे विधिक्रिया कहते हैं।

जैसे—

यहाँ आओ, घास पर मत चलो। किताब पढ़ो, गुरुजनों का कहना मानो।

१९२—विधिक्रिया के दो भेद हैं—(१) प्रत्यक्ष विधि और (२) परोक्ष विधि।

(१) प्रत्यक्ष विधि से सामान्य रीति से आज्ञा आदि का बोध होता है। जैसे—यहाँ आओ, घर चलो।

(२) जब किसी क्रिया के कराने का आदेश आदि परोक्ष में हो, तो ऐसी अवस्था में परोक्ष विधि होती है।

जैसे—(१) रोज सवेरे उठकर ईश्वर की वन्दना करना।

(२) तुम यहाँ कल न आइयो।

नोट—कुछ वैयाकरणों ने विधिक्रिया को काल के अन्तर्गत नहीं माना है। पर ऐसा करना ठीक नहीं जँचता। समापिका (मुख्य) क्रिया किसी भी अवस्था में क्यों न हो, उसका सम्बन्ध किसी न किसी काल से अवश्य होगा। 'तुम ऐसा न करना' इस वाक्य में करना

विधिक्रिया है। करना क्रिया से आज्ञा तो सूचित होती है, पर साथ ही साथ भविष्यत् काल भी सूचित होता है। क्रिया के इस रूप में काल इस प्रकार अन्तर्हित रहता है कि उसका ठीक विवेचन करना कठिन हो जाता है। आङ्ग्लभाषा के वैयाकरण क्रिया की इस अवस्था को वर्तमान काल में रखते हैं। अस्तु, वाक्य में प्रकरणवश वर्तमान काल-समीपवर्ती क्रिया को प्रत्यक्ष विधि, और परोक्ष में होनेवाली अर्थात् भविष्यकालसूचक क्रिया को परोक्ष विधि कहते हैं।

क्रिया के अन्य रूप

१९३—(क) जिस क्रिया के फाय की समाप्ति मुख्य क्रिया के कार्य की समाप्ति से पहले हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे—
उसने नहाकर भोजन किया।

यहाँ नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है; क्योंकि इससे नहाने के कार्य की समाप्ति भोजन के कार्य से पहले सूचित होती है अर्थात् नहाने का कार्य पहले हुआ।

१९४—(ख) संयुक्त क्रिया—कभी कभी दो या अधिक क्रियाओं के मिलने से एक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे—बोल-उठना, चल-पड़ना, आया-जाया करना इत्यादि।

इन संयुक्त क्रियाओं के केवल अन्तम शब्द में रूपान्तरण हुआ करते हैं। जैसे—वे स्वयं बोल उठे।

वह स्त्री वहाँ नित्य आया-जाया करती है।

इतना कहने पर वह उठ-बैठे।

बोल-उठना, ले-जाना, गिर-पड़ना, सो रहना, खा-लेना, खा-पी-लेना, आया-जाया करना, जाने-देना, कूदना-फाँदना, जा-सकना, मार-देना, छूट-लेना, चल-देना, हट-जाना, घूम-जाना इत्यादि संयुक्त क्रियाएँ हैं।

१९५—(ग) अतिशयार्थक क्रिया—जिन धातुओं के दुहराने से क्रिया के अर्थ में अतिशय्य प्रकट हो, उसे अतिशयार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे—

गुदगुदाना, जलजलाना, चुलचुलाना इत्यादि।

१९६—(घ) अनुकरणवाची क्रिया—जिस क्रिया से किसी ध्वनि के अनुकरण का बोध हो, उसे अनुकरणवाची क्रिया कहते हैं। जैसे—

छनछनाना, मचमचाना, भनभनाना, गुड़गुड़ाना, हिनहिनाना, चहचहाना इत्यादि।

१९७—(ङ) सहायक क्रिया—जिन क्रियाओं से मुख्य क्रिया की काल-रचना में सहायता मिलती है, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे—वह आया होगा।

इस वाक्य में होगा सहायक क्रिया है और आया मुख्य क्रिया है। होगा क्रिया की सहायता ही से आया होगा सन्दिग्ध भूत काल बना है।

१९८—(च) क्रियावाचक विशेषण—क्रिया से बने हुए विशेषण क्रियावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे—

बहता पानी, चलती चक्की, मरा आदमी।

(कृदन्त का बयान देखो।)

१९९—क्रियावाचक विशेषण के दो भेद हैं—

(१) असमाप्तिबोधक—जिससे क्रिया की असमाप्ति का बोध हो । जैसे—चलती चक्की, दौड़ता हुआ आदमी ।

(२) समाप्तिबोधक—जिससे क्रिया की समाप्ति का बोध हो । जैसे—जला (जला हुआ) कपड़ा : गत (बीता हुआ) दिवस ।

२००—(च) क्रियार्थक संज्ञा—क्रिया के साधारण रूप को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा धातु के अन्त में ना जोड़ने से बनती है । इसकी गणना भाववाचक संज्ञा में है ।

उदाहरण—

(१) नहाना स्वास्थ्यकर है—कर्त्ता ।

(२) मैं नहाना चाहता हूँ—कर्म ।

(३) वह नहाने से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है—करण ।

(४) वह नहाने (को) गया है—सम्प्रदान ।

(५) मोहन नहाने से भागता है—अपादान ।

(६) यह नहाने का नल है—सम्बन्ध ।

(७) वह नहाने में तेज है—अधिकरण ।

अर्थ

२०१—क्रिया-द्वारा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति-विशेष के विषय में कथन करने की भी भिन्न भिन्न रीतियाँ हैं । इन रीतियों से हमारे कथन के अनेक भाव किंवा अर्थ स्पष्ट प्रकट हुआ करते हैं । ये अर्थ (भाव) चार प्रकार के हैं—

(१) निश्चय—पानी बरस रहा है । तुम्हें वहाँ जाना उचित है । तुम क्या चाहते हो ? तुम्हें वहाँ जाना होगा । तुम्हारी जय हो ।

(२) आज्ञा—वहाँ जाओ । ऐसा न करो । सबेरे उठा करो । इस आसन पर बैठ जाइए । मुझ पर दया कीजिए ।

(३) सम्भावना } वह बनारस पहुँचा होगा ।
तथा } लड़का आता होगा ।
सन्देह } शायद यह वहीं ठहरे ।

(४) कार्यकारण-सम्बन्ध—यदि वर्षा होती, तो दुर्भिक्ष न पड़ता ।
यदि वह पड़ा होता, तो उसकी क्यों ऐसी दुर्गति होती ।

२०२—अब यहाँ यह दिखाना है कि कौन-सा अर्थ किस काल का द्योतक है—

(क) निश्चय के अर्थ में—(१) सामान्य वर्तमान, (२) अपूर्ण वर्तमान
(३) सामान्य भूत, (४) आसन्न भूत, (५) पूर्ण भूत, (६) अपूर्ण भूत, (७) सामान्य भविष्यत् ।

(ख) आज्ञा के अर्थ में—(८) विधि—प्रत्यक्ष विधि और परोक्ष विधि ।

(ग) सम्भावना तथा सन्देह के अर्थ में—(९) सम्भाव्य वर्तमान,
(१०) सम्भाव्य भूत, (११) सम्भाव्य भविष्यत् ।

(घ) कार्यकारण-सम्बन्ध के अर्थ में—(१२) हेतुहेतुमद् वर्तमान,
(१३) हेतुहेतुमद् भूत, (१४) हेतुहेतुमद् भविष्यत् ।

वाच्य

२०३—वाक्य में क्रिया का लगाव प्रधान रूप से (अर्थतः) कर्ता और कर्म कारक से होता है । यह क्रिया अकर्मक हुई तो क्रिया का मुख्य सम्बन्ध कर्ता से रहेगा । कर्ता और कर्म कारकों को छोड़कर अन्य कारकों से क्रिया का सम्बन्ध गौण रूप से होता है । अतः प्रत्येक वाक्य में क्रिया के रूपान्तर के अनुसार कर्ता और कर्म कारकों के रूप में भी अन्तर हुआ करते हैं ।
यथा—

(क) (१) मोहन ने रोटी खाई । (२) मोहन से रोटी खाई गई ।

(ख) (१) मोहन ने लड़की को देखा । (२) मोहन से लड़की देखी गई ।

इन उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि क्रिया-द्वारा कभी कर्ता के विषय में विधान किया गया है और कभी कर्म के विषय में; पर अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ।

२०४—क्रिया के जिस रूप-द्वारा कर्ता के विषय में विधान किया जाता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं । ऐसी अवस्था में वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता रहता है । जैसे—मोहन रोटी खाता है—कर्तृवाच्य ।

२०५—क्रिया के जिस रूप-द्वारा कर्म के विषय में विधान किया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं । ऐसी अवस्था में क्रिया का कर्म ही वाक्य का उद्देश्य हो जाता है ।

उदाहरण—मोहन से रोटी खाई गई—कर्मवाच्य ।

२०६—कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया ही में होता है । परन्तु जब वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य की भाँति होता है, तब वह भाववाच्य कहलाता है; क्योंकि ऐसी अवस्था में अकर्मक क्रिया कर्महीन होने से केवल भाव ही का अर्थ सूचित करती है । यथा—

मुझसे बैठानहीं जाता । तुमसे कैसे रहा जायगा ?

नोट—भाववाच्य का उद्देश्य क्रिया ही में सम्मिलित समझना चाहिए ।

वाच्यान्तर

२०७—कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करने में कर्तृवाच्य का

कर्ता करण कारक में हो जाता है और क्रिया का कर्म कर्ता कारक में। फिर कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूत काल का रूप देते हैं। तदनन्तर क्रिया के इस रूप में काल, पुरुष, वचन और लिङ्ग के अनुसार जाना क्रिया का रूप मिला देते हैं।

२०८—कर्तृवाच्य से भाववाच्य भी इसी प्रकार बनता है। परन्तु भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष एकवचन में होती है।

२०९—कर्मवाच्य के उदाहरण—

(१) मोहन ने रोटी खाई—कर्तृवाच्य।

मोहन से रोटी खाई गई—कर्मवाच्य।

(२) उसने मुझे देख लिया है—कर्तृवाच्य।

मैं उससे देख लिया गया हूँ—कर्मवाच्य।

(३) मोहन ने किताब पढ़ी—कर्तृवाच्य।

मोहन से किताब पढ़ी गई—कर्मवाच्य।

(४) वह पानी पियेगा—कर्तृवाच्य।

उससे पानी पिया जायगा—कर्मवाच्य।

(५) वह पानी पी रहा है—कर्तृवाच्य।

उससे पानी पिया जा रहा है—कर्मवाच्य।

(६) वह तमाशा देखे—कर्तृवाच्य।

उससे तमाशा देखा जाय—कर्मवाच्य।

२१०—भाववाच्य के उदाहरण—

(१) मैं नहीं बैठता—कर्तृवाच्य।

मुझसे बैठा नहीं जाता—भाववाच्य।

(२) राम नहीं चलता—कर्तृवाच्य ।

राम से नहीं चला जाता—भाववाच्य ।

(३) मैं नहीं चलूँगा—कर्तृवाच्य ।

मुझसे नहीं चला जायगा—भाववाच्य ।

(४) हम वहाँ नहीं रहे—कर्तृवाच्य ।

हमसे वहाँ नहीं रहा गया—भाववाच्य ।

नोट—(१) द्विकर्मक क्रिया का मुख्य कर्म कर्मवाच्य में कर्ता हो जाता है; परन्तु गौण कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता । यथा—
मैंने रामदास को एक कहानी सुनाई—कर्तृवाच्य ।

(मुझसे) रामदास को कहानी सुनाई गई—कर्मवाच्य ।

कहीं कहीं कर्मवाच्य-सम्बन्धी तथा भाववाच्य-सम्बन्धी करण कारक चिह्नयुक्त शब्द लुप्त रहता है ।

जैसे—पुस्तक पढ़ी गई । मित्र, क्या कहुँ बैठा नहीं जाता ।

(२) कहीं कहीं अकर्मक क्रिया स्वरूपतः कर्तृवाच्य की होती है, पर अर्थतः कर्मवाच्य की होती है । जैसे—शिवालय बन रहा है (बनाया जा रहा है) ।

काल-रचना के नियम

२११—क्रियाओं के सभी रूप धातु से बनते हैं, पर धातुओं के रूप में भी समयानुसार परिवर्तन हो जाया करते हैं ।

काल-रचना—अप्रलिखित नियमों के आश्रित है—

वर्तमान काल

२१२—(१) सामान्य वर्तमान—पुँल्लिङ्ग एकवचन में धातु के आगे ता और बहुवचन में ते और स्त्रीलिङ्ग एकवचन तथा बहुवचन में

ती जोड़कर होना क्रिया के रूप रखते हैं। जैसे—मैं जाता हूँ, वह जाता है, वे जाते हैं, वह (स्त्री०) जाती है, वे जाती हैं।

सूचना—नहीं के साथ हो धातु का रूप बहुधा लुप्त रहता है।

जैसे—मैं नहीं जाता।

२१३—(२) अपूर्ण वर्तमान—धातु के आगे पुँल्लिङ्ग एकवचन में रहा, बहुवचन में रहे, स्त्रीलिङ्ग एकवचन तथा बहुवचन में रही लगा देते हैं। तदनन्तर हो धातु के रूप रख देते हैं। जैसे—

मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रही है, वे पढ़ रही हैं।

२१४—(३) सम्भाव्य वर्तमान—धातु के आगे ता (पुँ० ए० व०) ते (पुँ० ब० व०), ती (स्त्री० ए० व० और बहुव०) लगाकर हो धातु के भविष्यत् काल के रूप को रख देते हैं। जैसे—

एकवचन

बहुवचन

मैं देखता हूँगा

हम देखते होंगे (पुँल्लिङ्ग)

मैं देखती हूँगी

हम देखती होंगी (स्त्रीलिङ्ग)

वह देखता होगा

वे देखते होंगे (पुँल्लिङ्ग)

२१५—(४) हेतुहेतुमद्वर्तमान—संभाव्य वर्तमानकाल के अन्त के चिह्न गा, गे, गी का लोप हो जाने से इस काल की क्रिया बनती है। जैसे—

वह सोता हो।

वह सोती हो।

वे सोते हों।

मैं सोता हूँ (होऊँ)।

भूत काल

२१६—(५) सामान्य भूत काल—

(क) धातु के अन्त के अ को पुँल्लिङ्ग एकवचन में आ, बहुवचन

में ए, खीलिङ्ग एकवचन में ई और बहुवचन में ई कर देते हैं। जैसे—

वह चला, वे चले, वह चली, वे चलीं।

(ख) आकारान्त और ओकारान्त धातुओं के आगे पुँल्लिङ्ग एकवचन में या, बहुवचन में ये; और खीलिङ्ग एकवचन में ई, बहुवचन में ई लगा देते हैं।

जैसे—पा धातु = पाया, पाये, पाई, पाई।

सा धातु = सोया, सोये, सोई, सोई।

(ग) ईकारान्त और एकारान्त धातुओं के इकारान्त करके पुँल्लिङ्ग एकवचन में या, बहुवचन में ये कर देते हैं। खीलिङ्ग एकवचन में धातु को ईकारान्त और बहुवचन में ईकारान्त कर देते हैं। जैसे—

पी धातु = पिया, पिये, पी, पीं।

दे धातु = दिया, दिये, दी, दीं।

(घ) ऊकारान्त धातुओं को पहले उकारान्त कर देते हैं, इसके बाद पुँल्लिङ्ग एकवचन में आ, बहुवचन में ये एवं खीलिङ्ग एकवचन में ई और बहुवचन में ई जोड़ देते हैं। जैसे—

छू धातु = छुआ, छुये, छुई, छुई।

नोट—जाना क्रिया के रूप सामान्य भूत में बदलकर गया, गये, गई, गई, इत्यादि और करना के क्रिया, किये, की, कीं इत्यादि, होना के हुआ, हुए, हुई, हुई अथवा था, थे, थी, थीं भी होते हैं।

२१७—(६) आसन्न भूत—सामान्य भूत काल के आगे हो धातु के निम्नलिखित रूप रख देते हैं—

है, हैं, हो, हूँ । जैसे—

वह चला है, वे चले हैं, वह चली है, तुम चले हो, मैं चला हूँ ।

२१८—(७) पूर्णभूत—सामान्यभूत के आगे हो धातु के रूप था, थी, थे, थीं रख देते हैं । जैसे—

चला था, चले थे, चली थी, चली थीं ।

२१९—(८) सम्भाव्य भूत—सामान्य भूत के रूप के आगे हो धातु के रूप हूँगा, होगा, होंगे, हूँगी होगी लगा देने से सम्भाव्य भूत काल बनता है । जैसे—

चला हूँगा, चला होगा, चले होंगे, चली हूँगी, चली होगी ।

२२०—(९) अपूर्ण भूत—धातु के आगे ता था, ते थे, ती थी, ती थीं, अथवा रहा था, रहे थे, रही थी, रही थीं रूप लगा देने से अपूर्ण भूत बनता है । जैसे—

खाता था, खाते थे, खाती थी, खाती थीं अथवा खा रहा था, खा रहे थे, खा रही थी, खा रही थीं ।

२२१—(१०) हेतुहेतुमद्भूत—धातु के आगे ता, ते, ती, तीं लगाकर हेतुहेतुमद् भूत काल बनता है । जैसे—

खाता, खाते, खाती, खातीं इत्यादि ।

भविष्यत् काल

२२२—(११) सामान्य भविष्यत् काल—

(क) अकारान्त और एकारान्त धातु के आगे ऊँगा, एँगे, एगा, ओगे, एगी, एँगी इत्यादि लगाने से सामान्य भविष्यत् बनता है । जैसे—

दूँगा, देंगे, देगा, दोगे, देगी, देंगी इत्यादि ।

(ख) आकारान्त धातुओं के रूप—धातु के बाद ऊँगा, यँगे, वेंगे, ऊँगी, येंगी, वेंगी, येगी, ओगी लगाने से बनते हैं । जैसे—खाऊँगा, खायेँगे, खावेंगे, खाऊँगी, खायेँगी, खावेंगी, खायेगी, खाओगी इत्यादि ।

(ग) ऊकारान्त धातुओं को उकारान्त करके उनके आगे ऊँगा, येगा, वेगा, ऊँगी, येगी, वेगी, ओगे, ओगी, वे'गे, ये'गे लगाकर सामान्य भविष्यत् काल के रूप बनाते हैं। जैसे—

छुऊँगा, छुयेगा, छुवेगा, छुऊँगी, छुयेगी, छुवेगी, छुओगे, छुओगी, छुवे'गे, छुये'गे इत्यादि।

(घ) ओकारान्त धातुओं के आगे ऊँगा, येगा, वेगा, ऊँगी, येगी, वेगी, ये'गे, वे'गे लगाने से सामान्य भविष्यत् काल बनता है। जैसे—

खोऊँगा, खोयेगा, खोवेगा, खोऊँगी, खोयेगी, खोवेगी, खोये'गे, खोवे'गे इत्यादि।

२२३—(१२) संभाव्य भविष्यत् काल—सामान्य भविष्यत् काल के अंत में गा, गे, गी प्रत्ययों को निकाल देने से संभाव्य भविष्यत् काल बनता है। जैसे—

जाऊँ, जावे, चलूँ, चले इत्यादि।

२२४—(१३) हेतुहेतुमद् भविष्यत् काल—सम्भाव्य भविष्यत् की तरह बनता है।

२२५—(१४) विधि—

	एकवचन	बहुवचन
उत्तम पुरुष	मैं चलूँ	हम चले'
मध्यम पुरुष	तू चल	तुम चलो
अन्य पुरुष	वह चले	वे चले'

धातु में इयो लगाकर भी विधि काल बनता है। जैसे—

तू चलियो, आप रहियो।

क्रिया के साधारण रूप से भी विधि बनता है। जैसे—

तू जाना	}	मध्यम पुरुष
तुम जाना		

नोट—कर्मवाच्य में धातु के आगे जा धातु के रूप को उपयुक्त

नियम के अनुसार लगा देते हैं; पर क्रिया का रूप लिङ्ग, वचन और पुरुष म कर्मवाच्य क कता के अनुसार ही होगा—

मैं आम खाता हूँ	कर्तृवाच्य
मुझसे आम खाया जाता है	कर्मवाच्य
मैंने आम खाया	कर्तृवाच्य
मुझसे आम ख या गया	कर्मवाच्य
मैं आम खाऊँगा	कर्तृवाच्य
मुझसे आम खाया जायगा	कर्मवाच्य
वह पुस्तक पढ़ता है	कर्तृवाच्य
उससे पुस्तक पढ़ी जाती है	कर्मवाच्य

काल-सम्बन्धी विशेष प्रयोग

२२६—सामान्य वर्तमान का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है—

(क) केवल वर्तमान काल के अर्थ में—

मैं जाता हूँ ।

(ख) प्राकृतिक नियम अथवा स्वभाव सूचित करने में—

(१) दिन में उल्लू बाहर नहीं निकलते ।

(२) माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ।

(३) गाय दूध देती है ।

(४) मछलियाँ पानी में तैरती हैं ।

(५) मैं राज सुबह उठता हूँ ।

(६) आग चीजों को जलाती है ।

(ग) समीपी भविष्यत् के अर्थ में—

मोहन, आते क्यों नहीं ? मैं अभी आता हूँ । इससे भविष्यत् प्रकट होता है ।

(घ) गत ऐतिहासिक घटनाओं का प्रदर्शित करने के लिए—जैसे—
बाबर अब भारत पर चढ़ाई करता है ।

(ङ) नाटक के पात्रों के विषय में—जैसे—
देखो, राजा रङ्गभूषि में आता है ।

(च) सिद्धान्तों के कथन में—

फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध कर दिया कि “कृत्रिम बिजली में जो पदार्थों की रंगड़ से उत्पन्न होती है और अकृत्रिम बिजली में जो आकाश से गिरती है, कोई भेद नहीं है; और हम अकृत्रिम बिजली को आकाश से उतार सकते हैं ।”

२२७—सामान्य भूत काल प्रयुक्त होता है—

(१) भविष्यत् काल के अर्थ में—जैसे—

तुम यहाँ से चले (चलोगे); तो वह पीटा जायगा ।

(२) वर्तमान काल के अर्थ में—जैसे—

देखते क्या हो ! अब तो वह यहाँ से चला । (चलता है) ।

२२८—भविष्यत् काल और वर्तमान काल समान अर्थ में—

जैसे—जो सोवेगा, सो खोवेगा = जो सोता है, सो खाता है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) क्रिया के काल से क्या समझते हो ?

(२) काल के कुल कितने भेद हैं ? उनके नाम बताओ ।

(३) हेतुहेतुमद्भूत और सम्भाव्य वर्तमान क्या हैं ? इनके उदाहरण दो ।

(४) विधिक्रिया किसे कहते हैं ? उदाहरण-सहित बतलाओ ।

(५) संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण दो और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो ।

(६) कुछ ऐसे वाक्य बनाओ जिनमें क्रियार्थक संज्ञा खाना, कर्ता, कर्म, अपादान, सम्बन्ध और अधिकरण कारकों में प्रयुक्त हो ।

(७) ‘अर्थ’ से क्या समझते हो ? भाव व्यक्त करने के लिए हिन्दी में कितने अर्थ हैं ? उदाहरण देकर बतलाओ ।

(८) वाच्य से क्या समझते हो । हिन्दी में कितने वाच्य हैं ? उदाहरण देकर लिखो ।

(९) एक वाच्य को दूसरे में परिणत करने का क्या नियम है ?

(१०) इन वाक्यों का वाच्यान्तर करो—राम ने मुझे एक आम दिया । तुम भोजन करते हो । राम बैठता है । उससे हिरन मारा गया । मोहन नहीं चलता । उसकी पेसिल दे दो । पंडित ने मुझे कथा सुनाई ।

(११) सामान्यभूत काल और सामान्य भविष्यत् काल में वाच्यरचना के क्या नियम हैं ?

(१२) क्रिया के भिन्न भिन्न कालों के रूप का ध्यान रखते हुए निम्नलिखित वाक्यों का काल बताओ—

(१) मेरी भव बाधा हूँ, राधा नागरि सोय ।

जा तन की भाई परे, श्याम हरित द्युति होय ॥

(२) पानी बरसता, तो अकाल न पड़ता ।

(३) मैं नहीं जाता ।

(४) राम—तुम कब आये हो ? देव—मैं अभी आ रहा हूँ ।

—:०:—

अविकारी शब्द

अव्यय

२२९ —अव्यय के चार भेद हैं—

(१) क्रियाविशेषण

क्रियाविशेषण—जो शब्द क्रिया के अर्थ में कोई विशेषता बतावे, उसे क्रियाविशेषण कहते हैं । जैसे—वह बहुत सोता है ।

इस वाक्य में, 'सोता है' क्रिया की विशेषता बहुत से प्रकट होती है । यदि इस वाक्य से 'बहुत' शब्द निकाल दिया जाय, तो 'सोता है' क्रिया में कोई विशेषता नहीं रह जाती ।

दूसरा वाक्य—यह काम शीघ्र करो ।

इस वाक्य में शीघ्र शब्द क्रियाविशेषण है । यदि 'शीघ्र' शब्द यहाँ न रक्खा जाय, तो कुछ पता नहीं कि काम किस प्रकार किया जाय, शीघ्र या धीरे धीरे ।

२३०—क्रियाविशेषण के चार भेद होते हैं—(१) कालवाचक, (२) स्थानवाचक, (३) परिमाणवाचक और (४) रीतिवाचक । क्रियाविशेषण के ये भेद अर्थ के अनुसार होते हैं ।

२३१—(१) कालवाचक से काल का बोध होता है । जैसे—अब, तब, कब, आज, कल, परसों, फिर, पीछे, आज-कल, बारबार, बहुधा, प्रतिदिन इत्यादि ।

२३२—(२) स्थानवाचक से स्थान का बोध होता है । जैसे—यहाँ, वहाँ, तहाँ, इधर, उधर, किधर, जिधर, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, निकट, दूर इत्यादि ।

२३३—(३) परिमाणवाचक अव्ययों से परिमाण का बोध होता है । जैसे—वह बहुत दौड़ा ।

अत्यन्त, अतिशय, खूब, सब था कुछ, लगभग, थोड़ा, किञ्चित्, अधिक, कम, इतना, उतना, कितना, जितना इत्यादि परिमाणवाचक अव्यय हैं ।

२३४—(४) रीतिवाचक अव्यय से निश्चय, अनिश्चय, प्रकार, स्वीकार, निषेध, अवधारण और कारण इत्यादि का बोध होता है ।

(क) निश्चय—सचमुच, निस्सन्देह, अलबत्ता ।

(ख) अनिश्चय—शायद, कदाचित्, यथासम्भव इत्यादि ।

(ग) प्रकार—ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, सहसा, अनायास, अचानक, यथा-तथा, आप ही आप, स्वयं, सेतमेंत इत्यादि ।

(घ) स्वीकार—हाँ, सच, जी, ठीक इत्यादि ।

(ङ) निषेध—नहीं, न, मतः ।

विधि अथवा निषेध के अर्थ में न और मत का प्रयोग होता है । यथा—वहाँ मत जाओ, इसे न खाना ।

(च) कारण—इसलिए, क्यों, अतः, अतएव इत्यादि ।

(छ) अवधारण—तो ही ।

यथा—(१) मैं वहाँ बैठा तो था । (२) वह चला ही तो गया ।

२३५—रूप के अनुसार क्रियाविशेषण के तीन भेद हैं—

(१) मूल (जो दूसरे शब्दों की सहायता से नहीं बनते ।)

जैसे—पास, कब, तक, ठीक इत्यादि ।

(२) यौगिक (जो शब्दों अवयवों के योग से बनते हैं ।) जैसे—
यहाँ तक, रात भर, सुखपूर्वक, निस्सन्देह इत्यादि ।

(३) स्थानीय† (दूसरे शब्द-भेद)—(क) 'तुम मेरी मदद पत्थर
करोगे ।' (ख) 'वह अपना सिर पड़ेगा ।' (ग) 'लीजिए
महाराज, मैं यह चला ।'

यद्यपि 'पत्थर', 'सिर' और 'यह' दूसरे शब्द भेद हैं, तथापि ये क्रियाविशेषण की भाँति प्रयुक्त हुए हैं ।

२३६—प्रयोग के अनुसार क्रियाविशेषण तीन प्रकार के हैं—

(क) साधारण (स्वतन्त्र)—तुम कब आओगे ?

* सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत में नहीं का प्रयोग होता है । जैसे—

(१) वह रोटी नहीं खाता । (२) मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ ।

(३) वह घर से अभी नहीं आया है ।

† क्रियाविशेषण के स्थान में प्रयुक्त होनेवाले दूसरे शब्द-भेद ।

(ख) संयोजक (उपवाक्य से सम्बन्ध रखनेवाले) जहाँ तुम हो, वहाँ हम हैं।

(ग) अनुबद्ध (अवधारण के अर्थ में शब्दों के साथ)—तुम तो यहीं थे। तुम उठे तक नहीं।

सम्बन्धसूचक

२३७—सम्बन्धसूचक—ऐसे अव्यय शब्द को, जिसके द्वारा वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का सम्बन्ध किसी अन्य शब्द-भेद के साथ प्रकट हो, सम्बन्ध-सूचक कहते हैं। जैसे—

मोहन घर के भीतर खड़ा है। श्याम बेंच के नीचे खड़ा है।

पहले वाक्य में मोहन और घर का सम्बन्ध भीतर शब्द के द्वारा दिखलाया गया है। दूसरे वाक्य में श्याम और बेंच का सम्बन्ध नीचे शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, सामने, अन्दर, बाहर इत्यादि सम्बन्धसूचक अव्यय हैं।

२३८—बहुधा सम्बन्धसूचक शब्दों के पहले सम्बन्ध कारक की विभक्तियाँ आती हैं। जैसे—

मेरी ओर, पेड़ के नीचे, उसके पास इत्यादि।

२३९—कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रियाविशेषण और सम्बन्ध-सूचक दोनों होते हैं—

क्रियाविशेषण—वह आगे दौड़ा।

सम्बन्धसूचक—मोहन श्याम के आगे है।

२४०—प्रयोग के अनुसार सम्बन्धसूचक अव्यय के दो भेद हैं—(१) सम्बद्ध और (२) अनुबद्ध।

२४१—जो सम्बन्धसूचक शब्द विभक्तियों के बाद आते हैं उन्हें सम्बद्ध कहते हैं। जैसे—

नाई, ओर, बिना, पहले, मारे, आगे, पीछे, पास इत्यादि सम्बद्ध अव्यय हैं।

उदाहरण—तुम्हारे आगे, उसके बिना, भूख के मारे इत्यादि।

आगे, पीछे, तले, बिना इत्यादि सम्बन्धसूचक अव्यय बिना विभक्ति के भी आते हैं जैसे—

चिराग तले अँधेरा, चार दिन आगे, राम बिना हित दूसर नहीं इत्यादि।

२४२—जो सम्बन्धसूचक अव्यय संज्ञा के विकृत रूप के साथ आते हैं, उन्हें अनुबद्ध कहते हैं। यथा—

तक; भर, सहित, समेत इत्यादि। जैसे—

घंटों तक, लोटे भर इत्यादि।

नोट—(१) ओर,* नाई, तरह, जगह, अपेक्षा इत्यादि के पहले की का प्रयोग होता है।

(२) परे और रहित के पहले से आता है। आगे, पीछे, बाहर, ऊपर, नीचे इत्यादि के पहले “के” के स्थान में “से” भी लाते हैं।

(३) रहित और सहित शब्दों के साथ कारकों की विभक्तियाँ नहीं भी आती।

(३) समुच्चयबोधक

२४३—समुच्चयबोधक—जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य-खण्डों के एकत्रित कर उनका पारस्परिक योग अथवा पृथक्त्व सूचित करें, उसे समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे—

* ओर के पहले संख्यावाचक विशेषण हो, तो के का प्रयोग होता है।
जैसे—
घर के दोनों ओर।

(१) मोहन और सोहन पढ़ते हैं। (२) मैं गया और वह लौट आया। (३) योगाभ्यास करना और बताशों पर नाचना दोनों कठिन बातें हैं। (४) तुम जाओ या सोहन। (५) स्लेट या पटरी पर लिखो। (६) मुझे दाल और रोटी पसन्द है।

समुच्चयबोधक अव्यक्त के दो मुख्य भेद हैं—(१) समानाधिकरण और (२) व्यधिकरण।

२४४— दो मुख्य शब्दों या वाक्यों को जोड़नेवाले अव्यय को समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय चार प्रकार के हैं—

- (१) संयोजक (मिलानेवाला)—और, व, तथा भी इत्यादि।
- (२) विभाजक (अलग करनेवाला)—अथवा, किंवा, या, चाहे, न कि इत्यादि।
- (३) विरोधदर्शक—परन्तु, मगर, पर, बल्कि, लेकिन इत्यादि।
- (४) परिणामदर्शक—इमलिए, से, अतः अतएव इत्यादि।

२४५—जिन अव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं। ये चार प्रकार के हैं—

- (१) कारणबोधक—क्योंकि, चूँकि, इमलिए, कि इत्यादि।
- (२) उद्देश्यवाचक—कि, जो, ताकि इत्यादि।
- (३) सकेतवाचक—जो...तो, यदि...तो, यद्यपि...तथापि, चाहे...परन्तु, तो भी इत्यादि।
- (४) स्वरूपवाचक—(इस समुच्चयबोधक अव्यय से पहले शब्द या वाक्य का निरूपण दूसरे शब्द या वाक्य से हो जाता है)। यथा — मैं समझता हूँ कि तुम कमजोर हो।

नोट—(क) जो अव्यय निरन्तर एक साथ आते हैं, उन्हें नित्यसम्बन्धी कहते हैं। जैसे—यदि...तो, जो...तो, तो...भी, जहाँ...तहाँ, जब...तब, जिधर...उधर इत्यादि।

(ख) समुच्चयबोधक अव्यय समान शब्दों या वाक्यों के बीच में आता है। यथा—राम और मोहन पढ़ते हैं।

(४) विस्मयादिबोधक

२४६—विस्मयादिबोधक—जिन अव्ययों से मन के आकस्मिक भाव अर्थात् विस्मय, शोक, उद्वेग इत्यादि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। इनका सम्बन्ध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ नहीं रहता। हाहा ! वाहवाह ! जय ! शाबास ! धिक् ! छिः छिः ! बाप रे ! राम राम । इत्यादि विस्मयादिबोधक अव्यय हैं।

शब्दरचना

२४७—अब तक शब्दों के भेद तथा उनके रूपान्तर का विचार किया गया है, अब आगे उनकी व्युत्पत्ति की विवेचना की जायगी। हिन्दी भाषा का भागडार अधिकांश प्राकृत तथा संस्कृत शब्दों ही पर अवलम्बित है। समयानुसार इस भाषा में फ़ारसी, अरबी, अँगरेज़ी तथा अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते गये।

२४८—यहाँ पर साधारण प्रचलित शब्दों की ही व्युत्पत्ति का वर्णन किया जायगा; क्योंकि विदेशी भाषाओं के शब्द भागडार से हमारी भाषा का बहुत कम सम्पर्क है। शब्द तीन प्रकार से बनाये जाते हैं—

(१) उपसर्गों के योग से। (२) प्रत्यय लगाकर—

(३) स्वतंत्र शब्दों के मिल जाने से—अर्थात् सामासिक पदों के बनने से।

(१) उपसर्ग

उपसर्ग—ये शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं; इनसे शब्दों के अर्थ में बहुधा विशेष परिवर्तन हो जाया करता है।

उदाहरण—प्र + हार = प्रहार = चोट, मार, मारना; आ + हार =

आहार = भोजन; वि + हार = विहार = क्रीड़ा, केलि; सं + हार = संहार = नाश, प्रलय

उपसर्ग के दो भेद हैं—(१) संस्कृत-उपसर्ग, (२) हिन्दी-उपसर्ग ।

निम्नलिखित संस्कृत-उपसर्ग हैं—

प्र, परां, अप, सम्, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, वप ।

२४४—कुछ संस्कृत के उपसर्ग तथा उनसे बने हुए शब्द —

उपसर्ग

शब्द

प्र (विशेष, अधिक, अतिशय के प्रयोग, प्रबल, प्रताप, प्रवेश, प्रणाम। अर्थ में) —

सम् (अच्छा, सहित) —

सम्भाषण, संगम, संयोग, समुचित इत्यादि ।

निर् (बाहर तथा निषेध के अर्थ में) —

निर्गमन, निलज्ज, निर्दोष, निर्यात इत्यादि ।

अप (बुरा, हीन, लघु) —

अपकार, अपवाद, अपमान, अपकर्षण अपकीर्ति, इत्यादि ।

अनु (पीछे, समान) —

अनुगामी, अनुरूप, अनुसार इत्यादि ।

अव (हीन, नीचे, अभाव) —

अवनति, अवगुण, अवनमन इत्यादि ।

दुर्, दुस् (बुरा, कुत्सित) —

दुर्गुण, दुष्ट, दुश्चरित्र, दुर्गचारी इत्यादि ।

अभि (ओर, पास) —

अभिमुख, अभिमत, अभिमान इत्यादि ।

वि (रहित, भिन्न, विशेष) —

विस्मरण, वियोग विदेश, विलक्षण इत्यादि ।

सु (अच्छा) —

सुलक्षण, सुकुमार, सुयश, सुजन इत्यादि ।

अति (आधिक) —

अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशक्त इत्यादि ।

परि (निकट, चारों ओर) —

परिजन परिक्रमा, परिश्रमण, परिध इत्यादि ।

वप (समीप, लघु, सदृश) —

वपनाम, वपवन, वपेक्षा, वपलब्धि इत्यादि ।

उपसर्ग**शब्द**

आ (तक, विपरीत)—

आजन्म, आसमुद्र, आक्रमण इत्यादि ।

प्रति (सामने, प्रत्येक, विरोध)— प्रत्यक्ष, प्रतिदिन, प्रत्युत्तर, प्रतीकार
इत्यादि ।

२५०—हिन्दी-उपसर्ग—

अ, अन, अध, औ, नि, सु, स, क इत्यादि ।

उपसर्ग शब्द

अ + काज = अकाज ।

अन + बन = अनबन ।

अध + पका = अधपका ।

औ + गुन = औगुन ।

नि + डर = निडर ।

सु + पास = सुपास ।

स + पूत = सपूत ।

क + पूत = कपूत ।

२५१—हिन्दी-भाषा में उर्दू-शब्दों का भी उपयोग होता है, अतः कुछ
उर्दू-उपसर्ग भी दिये जाते हैं—**उपसर्ग शब्द**

बद + ख्वाह = बदख्वाह ।

बद (खराब) = बदसूरत, बदनुमा, बदनसीब ।

बा (साथ, सहित) = बाकायदा ।

ला (बिना) = लापरवाह, लाचार ।

बे (बिना) = बेशक, बेशऊर, बेगुनाह, बेशुमार ।

उपसर्ग**शब्द**

हर (प्रत्येक) = हर घड़ी, हर साल ।

ना (नहीं) = नासमझ, नालायक ।

(२) प्रत्यय२५२—प्रत्यय—ये शब्दों के अन्त में लगाये जाते हैं । इनके बल से
शब्द-भेद तथा उनके अर्थ में भी अन्तर हो जाया करता है ।

उदाहरण—

मनुष्य + त्व = मनुष्यत्व ।

शिशु + ता = शिशुता ।

इन उदाहरणों में मनुष्य शब्द का अर्थ आदमी है।

त्व प्रत्यय लगाने से मनुष्यत्व का अर्थ आदमीयत्व हो जाता है। शिशु शब्द का अर्थ बच्चा है, पर ता प्रत्यय लगाने से इसका अर्थ बदल जाता है। शिशुता = बालपन, बचपन। प्रत्यय शब्दों के अन्त में लगाये जाते हैं। इनसे युक्त होने पर शब्दों के रूप तथा अर्थ में कुछ भिन्नता आ जाती है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं—

(१) धातु के अन्त में आनेवाले प्रत्यय अर्थात् कृदन्त।

(२) धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दभेदों के अन्त में आनेवाले प्रत्यय अर्थात् तद्धित।

कृदन्त

२५३—कारक-विभक्तियाँ भी प्रत्यय कही जाती हैं। क्रिया-प्रकरण में काल बनाने के हेतु जिन शब्दांशों का प्रयोग किया गया है, वे भी काल-प्रत्यय ही हैं। इन विभक्तियों को चरमप्रत्यय कहते हैं; कारण, कि इनके आगे कोई दूसरी विभक्ति फिर नहीं लग सकती। 'लड़के ने' इस शब्द में 'ने' चरमप्रत्यय है, क्योंकि इसके आगे और कोई प्रत्यय नहीं लग सकता। इसी प्रकार 'जाता है' क्रिया शब्द में 'जा' धातु के आगे 'ता है' लगाया गया है; अब इसके आगे कोई दूसरा प्रत्यय नहीं लग सकता। इस प्रकरण में जिन प्रत्ययों की विवेचना की गई है, वे कारक विभक्त तथा काल-प्रत्ययों से कुछ भिन्न हैं, क्योंकि इनके आगे अन्य विभक्तियाँ भी आ सकती हैं। यथा—

संज्ञा से—मनुष्य + त्व = मनुष्यत्व (इनसानियत)

धातु से—जल + आ + हुआ = जला हुआ—जले हुए को मत जलाओ।

२५४—धातुओं के अन्त में जो प्रत्यय लगाये जाते हैं, उन्हें कृत् प्रत्यय

कहते हैं और उन कृत् प्रत्ययों के योग से बने हुए शब्दों को कृदन्त कहते हैं ।

कृत् प्रत्ययों के योग से अग्रलिखित शब्दभेद बनने हैं—

संज्ञा

- (क) भाववाचक—चाल, दौड़, लगान, चढ़ाव, सिँचाई, मिलाप, बनाव, हँसी, बढ़ती, हँसना, लिखावट, चिलाहट इत्यादि । ये शब्द आ, आई, आव, अन, वट, हट, आय इत्यादि प्रत्ययों के लगाने से बनते हैं ।
- (ख) कर्तृवाचक—गवैया, रूवैया, चलैया, पढ़ैया, गानेवाला, पढ़नेवाला, चलनेवाला, कुदकड़, खेलकड़, पियकड़, बुझकड़ इत्यादि । (वैया, वाला, अकड़ इत्यादि प्रत्ययों के योग से ।)
- (ग) कमवाचक—ओढ़ना, ओढ़नी, सँघना (जिस वस्तु को सँघते हैं), लेखनी, चटनी इत्यादि (ना, नी, के योग से ।)
- (घ) करणवाचक—ठेला, भूला, भाड़ या भाड़न, बेलन, कतरनी, छनना, रंती, फौसी इत्यादि ।

विशेषण

- (क) कर्तृवाचक—खाऊ, लड़ाका इत्यादि । ये शब्द संज्ञा की नाई भी प्रत्युक्त होते हैं । जैसे—वह बड़ा लड़ाका है ।
- (ख) वर्तमानकालिक कृदन्त—चलता, बहता इत्यादि ।
उदाहरण—चलती चक्की, बहता पानी, मरता क्या न करता ।
यह कृदन्त धातु के आगे 'त' लगा देने से बनता है । कभी कभी इनके आगे 'हुआ' भी लगा देते हैं । जैसे—

चलता हुआ आदमी, बहता हुआ पानी ।

- (ग) भूतकालिक कृदन्त—पढ़ा-लिखा, बीता, सोचा इत्यादि । यह कृदन्त धातु के आगे 'आ' लगा देने से बनता है ।
नोट—इनके आगे कभी कभी 'हुआ' भी लगा देते हैं । जैसे—बीता हुआ, सोचा हुआ, लिखा हुआ इत्यादि ।

तद्धित.

२५५—धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के आगे प्रत्यय लगाने से जो शब्द तैयार होते हैं उन्हें **तद्धित** कहते हैं; और जो प्रत्यय उन शब्दों में लगाये जाते हैं उन्हें **तद्धितप्रत्यय** कहते हैं। तद्धित-प्रत्यय भी कई अर्थों में प्रयुक्त होते हैं—

(अ) भाववाचक संज्ञा—आ, आई, आस, आयत, आहट, पा, पन, त्व, ता इत्यादि प्रत्यय भाववाचक संज्ञा के अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—आपा, भलाइ, चौड़ाई मिठास, बहुतायत, बुढ़ापा, बचपन, मनुष्यत्व, दरिद्रता।

(आ) विशेषण—आ, आऊ, आड़ी, आलू, ईला, ऊ, ऐं, एरा, ला, वन्त, हरा, मान, वान्, स्वा ई, आलु, तर, तम इत्यादि।

जैसे—भूखा, ठगड़ा, प्यासा, टिकाऊ, खेलाड़ी, भगड़ातू, रसीला, नोकाला, बाज़ारू, धराऊ नवे, दसे, नवों, दसवों, चचेरा, फुफेरा, अगला, धनवन्त, दोहरा, मतिमान्*, श्रीमान्*, गुणवान्*, यशस्वी*, मानी*, दयालु*, लघुतर*, लघुतम*।

इन प्रत्ययों में अधिकांश हिन्दी-प्रत्यय हैं। संस्कृत-प्रत्ययों का वर्णन हिन्दी-व्याकरण में पूर्णरूप से नहीं किया जा सकता। यहाँ पर केवल प्रचलित हिन्दी-प्रत्यय ही दिखलाये गये हैं।

(इ) कुछ उनवाचक शब्द—जैसे, ढब्बा-ढिबिया, खाट-खटिया, फोड़ा-फुड़िया, साँप-सँपोला, छाता-छेतरी, सूप-सुपला।

ये शब्द या, इया, आला, री इत्यादि प्रत्ययों के योग से बने हैं।

(ई) † अपत्यवाचक शब्द—कुछ अपत्यवाचक शब्द ऐसे हैं, जो संस्कृत-प्रत्ययों से बने हैं। जैसे—

वासुदेव का पुत्र = वासुदेव

पुरु के पुत्र = पौरव

पर्वत की कन्या = पावती

कुरु के पुत्र = कौरव

दाशरथ का पुत्र = दाशरथ

पाण्डु के पुत्र = पाण्डव

* शुद्ध संस्कृत-प्रत्ययों से बने हैं।

† अपत्य = सन्तान।

(उ) सम्बन्धवाचक—कुछ शब्द संस्कृत-व्याकरण के नियमानुसार संस्कृत-प्रत्ययों के योग से बने हैं। यथा—

विष्णु से वैष्णव, देह से दैहिक इत्यादि।

(ऊ) कर्तृवाचक शब्द—हारा और इया आदि प्रत्ययों से बनते हैं। यथा—लकड़हारा, चुड़हारा, मखनियों, अर्द्धतिया।

(ऋ) अव्ययवाचक—भर, सो, ओ, तक, ना इत्यादि प्रत्ययों से। यथा—दिन भर, रात भर, परसों, बरसों, आज तक, इतना, उतना इत्यादि।

कुछ अव्ययवाचक संस्कृत-शब्द शुद्ध संस्कृत-प्रत्ययों के योग से बनते हैं। यथा—

क्रमशः, बहुधा, सर्वदा, एकत्र, विशेषतः इत्यादि।

(भृ) आदरसूचक शब्द—जी के योग से। यथा—बाबू जी, पिता जी, बच्चा जी, बबुआ जी।

(ए) सादृश्यसूचक—सा के योग से। यथा—तुम-सा, मुझ-सा, फूल-सा, चाँद-सा इत्यादि।

सूचना—उपर्युक्त प्रत्यय केवल उदाहरणार्थ दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत-प्रत्यय हैं, जो पाठ्य पुस्तकों से अभ्यासार्थ लिये जा सकते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) तद्धित किसे कहते हैं? कृदन्त और तद्धित में क्या अन्तर है?

(२) निम्नलिखित तद्धितान्त शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं? अलग अलग लिखो।

तबलचो, लुशर, दुधिया, दुधवाला, लखनऊ, बनारसी, इक्का, दुक्का, गँजेड़ी, तिसरायत, अमावस, ऊनी, जानकी, द्रौपदी, धरैया, चमरौटी, शैशव, अरुणिमा, लालिमा, यादव, दर्दनाक, नादिरशाही, रामानंदी, पुलकित, टकड़ा, हिन्दुआना, छुबीला, पिछला, खपरैल, कजरौटा, काशीवाल, गयावाल, हल-वाहा, टिकली, खिलाड़ी, भारी, ढोलकी, ढालू, बनैला, मैका, चाँदनी, बुढ़ापा, पीहर, प्रभुत्व, पाखंडित्य, मिठास, गौरव, सौमित्र, बौद्ध, पौत्र, नाली, टोकरी।

(३) समास

दो या अधिक शब्दों के बीच की विभक्तियों अथवा लगाव के शब्दों का लोप होकर जो एक शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। शब्दों के इस संयोग को समास कहते हैं। उदाहरण --

१—राज-मंदिर = राजा का मन्दिर

२—राजा-रानी = राजा और रानी

उदाहरण नम्बर १ में 'का' विभक्ति का लोप होकर 'राज-मन्दिर' एक स्वतंत्र सामासिक पद बना है। उदाहरण नम्बर २ में 'और' शब्द का लोप करके 'राजा-रानी' शब्द बनाया गया है।

नोट—जिस प्रकार शुद्ध संस्कृत-शब्दों में समास होने पर संस्कृत-व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्दों में कुछ उलट-फेर हो जाया करते हैं, उसी प्रकार ठेठ हिन्दी के शब्दों में भी समास करने पर बहुधा कुछ रूपान्तर हो जाया करते हैं—
यथा—

(क) राजन् * + पुत्र = राजपुत्र } संस्कृत
न + अन्त = अनन्त

(ख) पानी की शाला = पन-शाला
मीठा है बोल जिसका = मिठबोला
घोड़ का सवार = घोड़सवार } हिन्दी

नोट—सामासिक पदों को तोड़कर उनके पारस्परिक सम्बन्ध को अलग-अलग दिखाना विग्रह कहलाता है।

समास के मुख्य ४ भेद हैं—

(१) अव्ययीभाव, (२) तत्पुरुष, (३) द्वन्द्व और (४) बहुव्रीहि।

(१)—जो समास अव्यय और अन्य शब्दों के योग से बने, उसे अव्ययीभाव कहते हैं। ऐसा समूचा पद क्रिया-विशेषण अव्यय होता है। जैसे—

* राजः + पुत्रः = राजपुत्रः ।

प्रति-दिन, हरघड़ी, बे-खटके, प्रति-मास, यथा-शक्ति, आजन्म (जीवन भर), उपकूल, निडर, दिने-दिने, दिन-दिन, अनुदिन इत्यादि ।

सूचना— हिन्दी में संज्ञा तथा अन्य शब्द-भेदों की द्विरुक्ति (दोहराना) से भी अव्ययीभाव समास बनता है ।

यथा— हाथों-हाथ, एका-एक, घर-घर, बीचो-बीच इत्यादि ।

(२) जिस सामासिक शब्द का अन्तिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं । जैसे—

राज-मंदिर = राजा का मन्दिर

बुद्धि-हीन = बुद्धि से हीन

कार्य-कुशल = कार्य में कुशल

तत्पुरुष समास का पहला पद कर्म, कारण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध और अधिकरण कारकों में से किसी एक कारक की विभक्ति से युक्त रहता है । समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है । जैसे—

चित्त-चोर = चित्त को चुरानेवाला (कर्मतत्पुरुष)

शोकाकुल = शोक से आकुल (करणतत्पुरुष)

यज्ञ-वेदी = यज्ञ के लिए वेदी (सम्प्रदानतत्पुरुष)

सर्प-भय = सर्प से भय (अपादानतत्पुरुष)

राज-भवन = राजा का भवन (सम्बन्धतत्पुरुष)

पुरुषोत्तम = पुरुषों में उत्तम (अधिकरणतत्पुरुष)

(अ) अभाव अथवा निषेध अर्थ में शब्द के पहले 'अ' या 'अन' लगा देते हैं । ऐसे समास को नञ् तत्पुरुष कहते हैं । यथा—

अयोग्य = न + योग्य

असीम = न + सीमा

अन्याय = न + न्याय

अनेक = न + एक

अनीश = न + ईश

(आ) विग्रह करने में जब तत्पुरुष समास के दोनों पद एक ही विभक्ति में होते हैं, तब समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास होता है ।

समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास विशेष्य विशेषण या उपमानोपमेयभाव सूचित करता है। यथा—

१—विशेष्य-विशेषण भाव* [विशेष्य और विशेषण के योग से]—

नील-कमल = नीला कमल; सद्-गुण = सद् (अच्छे) गुण

सूचना—दो विशेषण पदों के योग से भी कर्मधारय समास होता है। यथा—परम-सुन्दर, श्याम-सुन्दर इत्यादि।

२—उपमानोपमेयभाव (उपमा और उपमेय के योग से)—

विद्या-धन = विद्यारूपी धन, चन्द्र-वदन = चन्द्रवत् वदन

(३) जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाचक हो, उसे द्विगु कहते हैं। यह समासममूह (समाहार) के अर्थ में आता है। यथा—नव-रत्न, नव-निधि, त्रि-लोक,

दुःश्री, चौश्री, अठनी, पनसेरी इत्यादि।

(३) बहुव्रीहि—जिस समास में कोई शब्द प्रधान न हो और जो स्वयं किसी दूसरे संज्ञा शब्द का विशेषण होकर साङ्केतिक अर्थ बतलावे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।

कभी-कभी समस्त पद विशेष्यवत् भी प्रयुक्त होता है। यथा—
दशानन = दाता हैं आनन (मुख) जिसके = रावण।

पीताम्बर = पीता (पीला) है अम्बर जिसका = कृष्ण भगवान्।

नोट—यदि पीताम्बर का अर्थ केवल पीला कपड़ा हो, तो नियमानुसार यह कर्मधारय समास होगा। विग्रह करने में जब बहुव्रीहि समास के दोनों पद एक ही विभक्ति में आते हैं,

*कभी-कभी दूसरा पद विशेषण भी होता है।

जैसे—मुनिवर, नराधम, नरवर इत्यादि।

तब उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं। और यदि वे भिन्न विभक्तियों में हों तो उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि कहते हैं।

समानाधिकरण—पीताम्बर, चतुर्भुज ।

व्यधिकरण—चन्द्रचूड़ = चन्द्र है चूड़ा पर जिसके (महादेव)

चन्द्रमौलि = चन्द्र है मौलि में जिसके (महादेव)

(४) - द्वन्द्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। जिन शब्दों के योग से यह समास बनता है, उनके बीच में आनेवाले 'और' या इसी अर्थ के अन्य शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे—

माता-पिता = माता और पिता

रात-दिन = रात और दिन

हरि-हर = हरि और हर

समास-सम्बन्धी कुछ विशेष बातें

सामासिक पदों का प्रयोग अधिकतर संस्कृत में होता है। हिन्दी-भाषा में संस्कृत-शब्दों का बाहुल्य है; अतः संस्कृत-व्याकरण के नियमानुसार कुछ प्रचलित संस्कृत सामासिक पदों की विवेचना की गई है। हिन्दी-भाषा में व्यवहृत सामासिक पद भी इन्हीं नियमों के अन्तर्गत हैं। हाँ, समास होने पर इन शब्दों में जो रूपान्तर हो जाया करते हैं, वे संस्कृत-व्याकरण के नियमों से भिन्न हैं।

समास के सम्यक् प्रयोग से हम अपने मनोगत विचार दूसरों पर संक्षेप रीति से प्रकट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कथन में एक प्रकार की रोचकता आ जाती है। पर भाषा में हमें अधिकतर उन्हीं सामासिक पदों को व्यवहार में लाना चाहिए जो बहुधा बोल-चाल में आते हैं। अन्यथा हमारी उक्त ककश तथा कण-कटु हो जायगी।

(१) द्वन्द्व समास में ज्वलित, मान्य और अल्प स्वरवाले शब्द पहले आते हैं। जैसे—

राईनोन, राजारानी, राम-लक्ष्मण, सीताराम, राधाकृष्ण, दालरोटी इत्यादि ।

(२) द्वन्द्व समास के दोनों पद यदि भिन्न लिङ्ग के हों तो लिङ्ग-निर्णय मुहाविरे के अनुसार होगा । यथा—

कितने दिन-रात गुज़र गये ?

बहुव्रीहि का लिङ्ग विशेष्य के लिङ्ग के अनुसार तथा तत्पुरुष, कर्म-धारय, और द्विगु के लिङ्ग अन्तिम पद के अनुसार होते हैं ।

उदाहरण—

कर्मधारय—देखो वह नील-कमल कैसा खिला हुआ है ।

तत्पुरुष— { यह राज-भवन कितना बड़ा है ?
यह वृक्ष-शाखा कितनी टेढ़ी है ?

कर्मधारय—यह देखो महाराज दशरथ की महारानी कौशल्या आ रही हैं ।

बहुव्रीहि—महाराज, पुण्यतोया जाह्नवी की धारा में स्नान कर लीजिए ।

(३) समास होने में समान शब्द का केवल स अक्षर रह जाता है ।

जैसे—

समान + गोत्र = सगोत्र; समान + पिण्ड = सपिण्ड ।

(४) धर्म और जातीय शब्दों के योग में 'समान' शब्द का 'स' विकल्प से होता है । जैसे—

सधर्मा = समानधर्मा; सजातीय = समानजातीय ।

(५) अहन्, राजन् और सखि शब्द बहुधा 'अह', 'राज' और 'सख' हो जाते हैं । जैसे—

सप्त + अहन् = सप्ताह, महा + राजन् = महाराज, रुत + सखि = मरुत्सख

(६) पुरुष शब्द के पहले यदि कु आवे तो विकल्प से 'कु' का 'का' हो जाता है । यथा—कु + पुरुष = कापुरुष, कुपुरुष ।

(७) बहुत-से संस्कृत सामासिक शब्दों के प्रथम पद में विभक्ति का लोप नहीं होता, ऐसे समास को अलुक्समास कहते हैं । यथा—युधिष्ठिर, मनसिज, सरसिज, खेचर, वनेचर ।

(८) कभी कभी सामासिक पद के पारस्परिक सम्बन्ध बतानेवाले शब्द लुप्त रहते हैं। ऐसे समास को मध्यमपदलोपी समास कहते हैं।

जैसे—घृतोदन = घृतमिश्रित ओदन।

दहीबड़ा = दही में डूबा हुआ बड़ा।

(९) महत् शब्द का रूप बहुधा 'महा' हो जाता है। वैसे—महाराज, महावीर।

इस नियम के विपरीत महदुपकार, महत्कार्य इत्यादि शब्द भी मिलते हैं।

(१०) सामासिक शब्द के अन्त में 'रात्रि' शब्द का 'रात्र' हो जाता है।
जैसे—नव + रात्रि = नवरात्र, अहो + रात्रि = अहोरात्र।

(११) अक्षि (आँख) और नाभि शब्दों के रूप क्रम से 'अक्ष' 'नाभ' हो जाते हैं। जैसे—

पुण्डरीक + अक्षि = पुण्डरीकाक्ष, पद्म + नाभि = पद्मनाभ

(१२) कुछ शब्द नियमविरुद्ध बने हैं। जैसे—

दम्पती = जाया + पति, अन्योन्य = अन्य + अन्य, परस्पर = पर + पर

(१३) समास में संख्यावाचक विशेषणों के रूप विकृत हो जाते हैं।
जैसे—तिपाई, चौदह, पंद्रह, उन्नीस, चौअन्नी इत्यादि।

(१४) कहीं कहीं समस्त पद में कई समास होते हैं। ऐसी दशा में अन्तिम समास मुख्य समझा जाता है। जैसे—

गुरु-जन-लाज = तत्पुरुष समास

वचन-नखत-अवली = तत्पुरुष समास

विग्रह करते समय प्रत्येक सामासिक खण्ड को अलग अलग कर देना चाहिए। यथा—

गुरु + जन = कर्मधारय। गुरुजनों की लाज = गुरु-जन-लाज = तत्पुरुष।

पुनरुक्ति

२५६-कभी कभी बोलचाल में अथो की विशेषता के लिए शब्दों को दोहरा दिया करते हैं। ऐसे शब्दों का पुनरुक्त कहते हैं। पुनरुक्त शब्द कभी कभी विकृत हो जाते हैं।

उदाहरण—

- (१) संज्ञा की पुनरुक्ति—कौड़ी कौड़ी, घर घर इत्यादि।
- (२) सर्वनाम की पुनरुक्ति—मैं तुमसे क्या क्या कहूँ ?
- (३) विशेषण की पुनरुक्ति—मंत्री जी ने प्रत्येक बालक को दो दो पुस्तकें दीं। और भी—ऊँचा नीचा, ढीला ढाला, अच्छे अच्छे, सीधा सादा, नये नये।
- (४) क्रिया की पुनरुक्ति = बोलना-चालना, पूछना-पाछना इत्यादि।
पूर्वाकालिक क्रिया—रो रोकर, हँस हँसकर इत्यादि।
- (५) अव्यय की पुनरुक्ति—बारबार, धीरे धीरे, फटपट।
- (६) अनुकण्णवाचक अथवा निरर्थक शब्द। जैसे—
पटपट, सटपट, पनपन, भड़भड़, सटरपटर, लथरपथर इत्यादि।
नोट—पुनरुक्त शब्द यदि सामासिक शब्दों की तरह तोड़े जा सकते हैं तो उनकी गणना सामासिक शब्दों ही में हो सकती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) समास के प्रयोग से हमें क्या सुविधा है ?
- (२) कर्मवारय बहुव्रीहि और द्विगु समासों में क्या भेद है ?
- (३) नीचे लिखे समासों के नाम विग्रह-सहित लिखो—
(अ) नीलकमल, पीताम्बर, चतुर्गनन, लम्बोदर, कनकटा, मिठबोला, बारहसिंगा, नीलकंठ, पाप-पुण्य, घनश्याम, अल्पबुद्धि, बनमानुष, लखपती, अनादि, प्रतिदिन, यथास्थान, त्रिलोक, सप्ताह, आजानुबाहु, रक्तनयन, नष्टमति, अज्ञान, यावज्जीवन।

- (आ) (१) अञ्जलिगत शुभसुमन जिमि समसुगन्धकर दोय ।
 (२) संतसरलचित जगतहित, जानि स्वभावसनेहु ।
 बालविनय सुनि करि कृपा, रामचरणरति देहु ॥
 (३) उदित उदयगिरिमञ्च पर, रघुबरबाल पतंग ।
 विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचनभृङ्ग ॥
 (४) कुञ्जरमणिकंठाकलित, उर तुलसी की माल ।
 वृषभकन्ध केहरि ठवनि, बलनिधि बाहु विशाल ॥
 (५) राजत राजसमाज मँह, कोशलराजकिशोर ।
 सुन्दर श्यामल गौर तनु, विश्वविलोचनचोर ॥
 (६) पतिदेवता सुतोय मँह, मातु प्रथम तव रेख ।
 (७) सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदामिनि त्रिपुरारिपिबारी ॥
 (८) दुखजलनिधि डूबी, का सहारा कहाँ है ?
 (९) स्वकुलजलज का है जो समुत्फुल्लकारी,
 मम परम-निराशा-यामिनि का विनाशी ।
 ब्रजजनविहगों के वृन्द का मोददाता,
 वह दिनकरशोभी रामभ्राता कहाँ है ?
 (१०) साथ निशिनाथमुखी, पाथ-नाथ-नन्दिनी-सी,
 तुलसी विलोके चित्त, लाइ लेत संग हैं ।
 (११) बलकलबसन धनुषबान पाणितूण कटि-
 रूप के निधान, घनदामिनिबरन हैं ।
 (इ) (१) पुनरुक्त किसे कहते हैं ! पुनरुक्त शब्दों की गणना क्या सामासिक
 शब्दों में हो सकती है ? (२) पुनरुक्त शब्दों के कुछ उदाहरण दो ।

कारकविभक्तिप्रयोग

२५७—कारकों की विभक्तियों का प्रयोग वाक्यों के समुचित प्रयोगों ही पर अवलम्बित है, अर्थात् वाक्य में प्रयुक्त हुए बिना किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के साथ कारक की कोई भी विभक्ति नहीं आ सकती । विभाक्तप्रयोग के कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं—

२५८—कर्ता कारक का चिह्न 'ने'—

(१) वाक्य में अपूर्णभूत काल को छोड़कर कर्तृवाच्य में शेष भूतकालों के साथ सकर्मक क्रिया के कर्ता के आगे ने आता है। जैसे—

१—मैंने तुम्हें देखा है (आसन्न भूत)।

२—गोविन्द ने मुझे एक पुस्तक दी (सामान्य भूत)।

३—उसने मेरा पत्र पढ़ लिया होगा (सन्दिग्ध भूत)।

४—मैंने तुमसे यह कहा था (पूर्ण भूत)।

(२) सम्बोधन कारक के साथ ने विभक्ति नहीं आती—

जैसे—मोहन, कहीं जा रहे हो ?

(३) बकना, भूलना, बोलना आदि धातुओं के साथ कर्ता में ने चिह्न नहीं आता। जैसे—

तुम क्या बकते थे ? मैं तो भूल गया, गोविन्द किताब लाना भूल गया, वह क्या बोला ?

(४) नहाना, छींकना आदि अकर्मक क्रियाओं के साथ 'ने' आता है।

जैसे—(१) राम ने नहाया है। (२) तुमने छींका ॥

(५) जिन धातुओं के अंत में जाना, चुकना और सकना हों. उनके कर्ता के साथ 'ने' चिह्न नहीं आता। जैसे—

(१) वह चला गया। (२) मोहन खा चुका। (३) तू मुझे देख न सका।
नोट—

(अ) जब वाक्य में मुख्य क्रिया का रूप कर्ता के लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो कर्ता के साथ ने चिह्न नहीं आता। क्रिया के इस प्रयोग को कर्तरिप्रयोग कहते हैं। जैसे—

(१) राम गीता गाता है। (२) मोहन किताब पढ़ता है।

(आ) कभी कभी क्रिया का रूप वाक्य में कर्म के पुरुष, लिङ्ग और वचन के अनुसार होता है। इस प्रयोग को कर्मणिप्रयोग कहते हैं।
जैसे—

(१) राम ने बत्ती जला दी । (२) जानकी ने आम खाया ।

(३) जब क्रिया का रूप अन्य पुरुष, पुल्लिङ्ग एकवचन में हो अर्थात् जिसके पुरुष, लिङ्ग और वचन कर्ता और कर्म के अनुसार हों, तब भावेप्रयोग होता है ।

जैसे—लड़की ने गुड़ियों को जला दिया ।

२५९—कर्म कारक का चिह्न 'को'*

(१) कर्मवाच्य में जब क्रिया का कर्म कर्ता कारक में हो जाता है, तब उसके साथ 'को' विभक्ति नहीं आती ।

जैसे—(१) मैंने तुमको देखा । (कर्तृवाच्य)

(२) तुम मुझसे देखे गये । (कर्मवाच्य)

(२) भावे प्रयोग (कर्तृवाच्य) में सकर्मक क्रिया के कर्म के साथ को विभक्ति आती है । जैसे—

लड़की ने गुड़ियों को जला दिया ।

सूचना—करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन कारकों की विभक्तियों के विषय में कारक प्रकरण में लिखा जा चुका है ।

पद-व्याख्या

२६०—किसी वाक्य का अर्थ भली भाँति स्पष्ट करने के लिए उस वाक्य के शब्दों का व्याकरण-सम्बन्धी पारस्परिक लगाव बताना परमावश्यक है । वाक्यगत शब्दों के भेद तथा प्रभेद बताने की रीति का पदव्याख्या या पदपरिचय कहते हैं ।

२६१—शब्दभेदों की व्याख्या में निम्नलिखित वर्णन आवश्यक हैं—

(१) संज्ञा - प्रकार, लिङ्ग, वचन, कारक और सम्बन्ध ।

* विशेष विवरण के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय-प्रकरण देखिए ।

- (२) सर्वनाम—प्रकार, पुरुष, लिङ्ग, वचन, कारक और सम्बन्ध ।
 (३) विशेषण—प्रकार, लिङ्ग, वचन और उसका विशेष्य ।
 (४) क्रिया—प्रकार, वाच्य, अर्थ, काल, पुरुष, प्रयोग* और उसका कर्ता (सकर्मक हो तो उसका कर्म भी बताया जा सकता है) ।
 (५) क्रियाविशेषण—प्रकार और उसकी क्रिया
 (६) समुच्चयबोधक—प्रकार, वे शब्द, वाक्य अथवा वाक्यांश जिन्हें यह मिलाता है ।
 (७) सम्बन्धसूचक—प्रकार, दूसरे शब्दों या वाक्यों के साथ इसका सम्बन्ध ।
 (८) विस्मयादिवोधक—जो भाव यह सूचित करे ।

विशेष्य

उदाहरण—

वाक्य—(१) हमारे घर में छः आदमी हैं ।

हमारे—पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तमपुरुष, बहुवचन, सम्बन्ध कारक, सम्बन्धी शब्द 'घर' है ।

घर—संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिङ्ग, एकवचन, में विभक्ति से युक्त, अधिकरण कारक, 'हैं' क्रिया-द्वारा आदमी शब्द से सम्बन्ध रखता है ।

छः—संख्यावाचक विशेषण, निश्चित, गणनावाचक, पूर्णाङ्कबोधक, इसका विशेष्य आदमी है ।

आदमी—संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिङ्ग, बहुवचन, हैं क्रिया का कर्ता ।

हैं—क्रिया, अकर्मक†, (नञ्प्रत्ययार्थ, सामान्य वर्तमानकाल, कर्तरिप्रयोग, आदमी इसका कर्ता है ।

* प्रयोग लिखने के बाद लिङ्ग, वचन, पुरुष दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं ।

† अकर्मक क्रिया में वाच्य दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

वाक्य—(२) हाय ! उस समय एक भयानक शेर निकला ।

हाय—विस्मयादिबोधक अव्यय, शोकबोधक ।

उस—सार्वनामिक विशेषण, मूल शब्द (वह), पुँल्लिङ्ग एकवचन, इसका विशेष्य समय है ।

समय—संज्ञा, जातिवाचक, पुँल्लिङ्ग एकवचन, आधिकरण कारक की विभक्ति लुप्त है ।

भयानक—विशेषण, गुणवाचक, पुँल्लिङ्ग, एकवचन, इसका विशेष्य शेर है ।

शेर—संज्ञा, जातिवाचक, पुँल्लिङ्ग, एकवचन निकला क्रिया का कर्त्ता ।

निकला—क्रिया, अकर्मक, निश्चयार्थक, सामान्य भूत काल, कर्त्तरिप्रयोग, इसका कर्त्ता शेर है ।

वाक्य—(३) प्रातःकाल नहाना स्वास्थ्यकर है ।

नहाना—क्रिया का साधारण रूप*, संज्ञा की तरह प्रयुक्त, है क्रिया का कर्त्ता ।

स्वास्थ्यकर—विशेषण, गुणवाचक, है क्रिया का पूरक ।

२६२—नोट—एक ही शब्द भिन्न प्रयोगों के बल से भिन्न शब्द-भेदों की नाईं प्रयुक्त हो सकता है ।

उदाहरण—

(१) यह एक बूढ़ा आदमी है—विशेषण

(२) बूढ़ों को ऐसा न करना चाहिए—संज्ञा

(३) मेरे सिर पर एक पत्थर है—संज्ञा

* इसे क्रियार्थक संज्ञा भी कहते हैं ।

- (४) तुम क्या पत्थर पढ़ोगे—क्रियाविशेषण
 (५) वह एक अच्छा आदमी है—विशेषण
 (६) अच्छों के साथ रहने से अच्छे बन जायेंगे—संज्ञा
 (७) अच्छा, मैं कल ज़रूर आऊँगा—अव्यय
 (८) यह एक छड़ी है—विशेषण
 (९) एक ने कहा मैं बीमार हूँ—सर्वनाम
 (१०) रामहि केवल प्रेम पियारा—विशेषण
 (११) मैं तो केवल बैठा रहूँगा—क्रियाविशेषण
 (१२) मैं सब कुछ कर सकता हूँ, केवल एक तुम्हारा प्रेम मुझे
 रोकता है—समुच्चयबोधक
 (१३) मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहता—संज्ञा
 (१४) तुम हमारे साथ चलो—सम्बन्धसूचक
 (१५) तुम तो खूब हाँ में हाँ मिलाले हो—संज्ञा
 (१६) क्या तुम भी चलोगे ? हाँ—क्रियाविशेषण
 २६३—कुछ कठिन शब्द-भेदों का पदपरिचय (संक्षेप में)—

(१) मुझे जाना है ।

मुझे = मुझको = मेरे लिए = सम्प्रदान ।

जाना—क्रियार्थक संज्ञा—है क्रिया का कर्ता ।

(२) भोजन के समय हँसना न चाहिए* ।

चाहिए—औचित्य के अर्थ में, सामान्य वर्तमान,

इसका कर्ता है हँसना ।

* संयुक्त क्रियाओं को तोड़कर प्रत्येक अंग का अलग-अलग पदपरिचय दिखाना ही उचित जान पड़ता है ।

(३) तुम्हारी मदद करनी चाहिए ।

मदद—करनी (क्रियार्थक संज्ञा) का कर्म ।

(४) संवत् १९५७ वि० में अकाल पड़ा था ।

संवत् १९५७ वि० में = १९५७ विक्रमी संवत् में ।

१९५७—संख्यावाचक विशेषण, इसका विशेष्य संवत् है ।

विक्रमी—गुणवाचक विशेषण, इसका विशेष्य संवत् है ।

(५) वह पागल हो गया है ।

पागल—हो गया है क्रिया की पूर्ति ।

(६) वह चार मील चला ।

मील = मील तक । यहाँ मील शब्द संज्ञा है । सम्बन्धसूचक

तक के द्वारा वह और मील शब्द का सम्बन्ध सूचित होता है ।

(७) कादम्बरी जैसी पुस्तक । (जैसी सरीखी—सम्बन्धसूचक)

कादम्बरी जैसी = कादम्बरी के सदृश ।

(८) उसने मोहन को भाई करके जाना,

भाई करके = भाई के समान—सम्बन्धसूचक अव्यय

(९) “तुम किया चाहोगे, तो सफाई होनी कौन कठिन है ?” तुम

किया चाहोगे = यदि तुम इसे किया चाहोगे ।

किया—भूतकालिक कृदन्त का रूप—चाहोगे क्रिया की पूर्ति ।

(१०) तुम वहाँ जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा ।

नहीं तो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय—दोनों उपवाक्यों को मिलाता है ।

नहीं तो का पदपरिचय दूसरी रीति से दिखाया जा सकता है—

नहीं तो पछताना पड़ेगा—(यदि तुम) नहीं जाओगे, तो (तुम्हें) पछताना पड़ेगा ।

नहीं—क्रियाविशेषण । यदि.. तो व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय । ऐसी अवस्था में समूचा वाक्य स्पष्ट रीति से विभक्त होने पर इस प्रकार लिखा जायगा—

तुम वहाँ जाओ; और यदि तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा ।

(११) तुम चाहे जो कहो, मैं तो ऐसा ही करूँगा ।

चाहे—क्रियाविशेषण—जो शब्द की विशेषता बतलाता है ।

(१२) मुझसे चला नहीं जाता ।

चला = चलना । जाता क्रिया का कर्ता ।

नोट—संयुक्त क्रिया में जाना क्रिया प्रायः होना क्रिया का अर्थ रखती है । इसी प्रकार वह बुद्धिमान् मालूम पड़ता है = वह बुद्धिमान् मालूम होता है ।

इस वाक्य में पड़ता है अकर्मक क्रिया है; इसकी पूर्ति मालूम शब्द है ।

देखिए—चला-चली, कहा-कही इत्यादि पद संज्ञा की नाई प्रयुक्त होते हैं ।

उदाहरण—“हय चले हाथी चले, संज्ञा छोंड़ि साथी चले; ऐसी चलाचली में अचल हाड़ा है रह्यो ।” (भूषणी)

(१३) मोहन से बैठा नहीं जाता ।

मोहन से—अर्थतः कर्ता कारक है; पर स्वरूपतः करण कारक में आया है ।

(१४) वह दिन को—सोता है ।

दिन को—कर्म कारक की विभक्ति से युक्त अधिकरण कारक ।

(१५) वह कल आया ।

कल—कालवाचक क्रियाविशेषण ।

वाक्य-विभाग

२६४—जिस शब्द-समूह से कोई पूरा भाव प्रकट हो उस वाक्य कहते हैं।

उदाहरण—वह नदी में स्नान करता है।

यदि हम केवल वह नदी में कहें, तो हमारा पूर्ण विचार प्रकट न होगा। सुननेवाला पूछ सकता है कि नदी में क्या हो रहा है ? हमें इस प्रश्न के उत्तर में कुछ ऐसे शब्द कहने पड़ेंगे जिनसे सुननेवाला हमारा आशय पूरा पूरा समझ जाय। हमारा उत्तर इस प्रकार हो सकता है—

(१) वह नदी में स्नान कर रहा है।

या

(२) वह नदी में तैर रहा है।

या

(३) वह नदी में डूब रहा है इत्यादि।

इन कथनों से पूरा भाव प्रकट होता है। इसलिए प्रत्येक कथन, जो एक शब्दसमूह है, वाक्य हुआ। प्रत्येक वाक्य में हम किसी न किसी वस्तु अथवा पुरुष के बारे में कुछ कथन करते हैं।

जिसके विषय में कुछ कथन किया जाता है, उस उद्देश्य कहते हैं।

यथा—

राम लिखता है।

इस वाक्य में राम उद्देश्य है, क्योंकि राम ही के विषय में कथन किया गया है।

उद्देश्य के विषय में जो कथन किया जाता है वह विधेय कहलाता है। ऊपर के वाक्य में लिखता है राम के बारे में कहा गया है, अतः यह विधेय है।

वाक्य-भेद

२६५—(क) अर्थ के अनुसार वाक्यों के सात भेद हैं—

- (१) विधानार्थक— { अ—स्वीकारवाचक—मैं पढ़ रहा हूँ ।
आ—निषेधवाचक—मैं नहीं जाऊँगा ।
- (२) आज्ञार्थक— { अ—पुस्तक मुझे दो—आज्ञा ।
आ—जरा मेरी बात तो सुनिए—प्रार्थना ।
इ—प्रातःकाल उठा करो—शिक्षा या उपदेश ।

(३) प्रश्नसूचक—तुम कहाँ जा रहे हो ?

(४) इच्छाबोधक—तुम्हें ईश्वर दीघोषु करे ।

(५) सदेहसूचक—कदाचित् वह आज लौटे ।

(६) संकेतार्थ—कहो तो चलें, गुरु जी न होते, तो लड़के भाग जाते ।

(७) विस्मयादिबोधक—तुम कैसे पागल हो !

नोट—कहीं कहीं प्रश्नसूचक वाक्य अर्थतः विस्मयादिबोधक होते हैं । जैसे—

मोहन, क्या तुम पागल हो गये हो जो ऐसा करते हो !

इस वाक्य से वक्ता का तात्पर्य प्रश्न से नहीं है—वह यहाँ पर यह जताना चाहता है कि मोहन का ऐसा करना पागलपन है ।

(ख) स्वरूपतः* वाक्य तीन प्रकार के होते हैं ।

२६६—(१) साधारण वाक्य—जिसमें मुख्य विधेय (समापिका क्रिया) एक ही हो । जैसे—

अ—मोहन जा रहा है ।

आ—तुम यहाँ आओ ।

इ—मोहन और सोहन नाच रहे हैं ।

(२) मिश्रवाक्य—जिसमें एक मुख्य वाक्य हो, और इस मुख्य वाक्य के मुख्य विधेय के आश्रित एक वा अनेक वाक्य हों। जैसे—

(अ) मैं समझता हूँ कि तुम बहुत कमजोर हो।

इस कथन में मैं समझता हूँ मुख्य वाक्य है और शेष अंश कि तुम बहुत कमजोर हो आश्रित वाक्य है। 'कि' समुच्चय-बोधक द्वारा ये दोनों वाक्य मिले हुए हैं। तुम बहुत कमजोर हो—इस उप-वाक्य का अर्थ मुख्य वाक्य के बिना पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः कि तुम बहुत कमजोर हो आश्रित वाक्य है।

(अ) उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में ६० रुपये से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन उपाय है, जिसके द्वारा इसके दूने रुपये जमा हों।

(मुख्य वाक्य, तीन आश्रित वाक्य)

(३) संयुक्त वाक्य—जिस कथन में दो या दो से अधिक ऐसे वाक्य हों जो एक दूसरे के आश्रित न हों, अर्थात् जो अपना अर्थ अलग अलग स्वतन्त्र रूप से प्रकट करें, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे—

तुम रोते हो और मैं नाचता हूँ।

इस कथन में दो वाक्य हैं। ये दोनों वाक्य समानाधिकरण वाक्य हैं। अर्थ के लिए ये दोनों एक दूसरे के आश्रित नहीं हैं, अर्थात् ये दोनों अलग अलग एक पूर्ण अर्थ के द्योतक हैं।

उद्देश्य और विधेय

२६७—प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य* और विधेय का होना परमावश्यक है।

संज्ञा अथवा संज्ञा के बदले आनेवाले शब्द ही उद्देश्य हो सकते हैं।

* मुख्य उद्देश्य कर्त्ता कारक में होता है।

उदाहरण —

- (१) मोहन पढ़ता है—संज्ञा ।
- (२) वह सोता है—सर्वनाम ।
- (३) बूढ़े ही यहाँ रहते हैं—विशेषण (संज्ञावत् प्रयुक्त) ।
- (४) मरना कठिन है—क्रिया (संज्ञावत् प्रयुक्त) ।
- (५) वह क्या लेगा, अभी निश्चित नहीं है—
(उपवाक्य) ।

जो शब्द उद्देश्य या विधेय की विशेषता जताने के लिए व्यवहृत होते हैं, वे क्रमशः उद्देश्य अथवा विधेय के विस्तार कहे जाते हैं ।

उद्देश्य का विस्तार

२६८—निम्नलिखित शब्द-भेद उद्देश्य के विस्तार हो सकते हैं—
समानाधिकरण शब्द—संज्ञा अथवा सर्वनाम ।

- (१) मैं मोहनलाल इक्क़रार करता हूँ कि...इत्यादि ।
- (२) तुम्हारे भाई मोहनलाल ने यह मुझसे कहा है ।

विशेषण अथवा विशेषण के समान

आनेवाले शब्द या वाक्यांश

- (१) काला घोड़ा बीमार है—विशेषण ।
- (२) बहता पानी अधिकतर स्वच्छ होता है—वर्तमानकालिक कृदन्त ।
- (३) (अ) सड़ा फ़ज्र हार्निका/क है—भूतकालिक कृदन्त ।
“ (आ) पढ़ी हुई किताब मेज़ पर है—कर्मवाच्य भूतकालिक कृदन्त ।
- (४) झगड़ा करनेवाला आदमी मारा गया }
हाथ की लिखी हुई पुस्तकें दुर्लभ हैं } वाक्यांश
चनुर्धारी वीरशिरोमणि लक्ष्मण जी आ रहे हैं—सामासिक पद
(विशेषणवत्) ।

(५) संज्ञा व सर्वनाम (सम्बन्धकारक में)—(१) रामदास की किताब मेज पर है। (२) तुम्हारी किताब मेज पर है।

(६) क्रियाविशेषण—यहाँ धीरे धीरे चलना मना है।

(७) पूर्वकालिक क्रियापद—खाकर दौड़ना ठीक नहीं है—

क्रियाविशेषणवत्। विद्यार्थी होकर तुम ऐसे आलसी बने हो—
विशेषणवत्।

नोट—जब साधारण क्रिया उद्देश्य होती है, तब निम्नलिखित
शब्द-भेद उद्देश्य के विस्तार हो सकते हैं—

संज्ञा अथवा सर्वनाम	{	(१) उसको देखना कठिन है—कर्म।	}	अधिकरण
		(२) दाँत से पीसना कठिन है—करण।		
		(३) तुमको देना कठिन है—सम्प्रदान।		
		(४) हाथ से गिरना कठिन है—अपादान।		
		(५) राजा का आना अच्छा है—सम्बन्ध।		
		(६) गंगा में नहाना अच्छा है।		
		(७) बताशे पर नाचना कठिन है।		

क्रियाविशेषण { (१) वहाँ जाना उचित नहीं है।
(२) धीरे धीरे चलना ठीक है।

सूचना—उक्त रीति से उद्देश्य बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता
है। यथा—

(१) मेरे भाई का सबसे छोटा लड़का इस पाठशाला में
पढ़ता है।

(२) 'सियाराम प्रेम पियूष पूरण होत जन्म न भरत को।'
विधेय की क्रिया का विस्तार

२६९—वाक्य में मुख्य विधेय का काम केवल क्रिया करती है।
उदाहरण—मोहन सो रहा है।

निम्नलिखित शब्दभेद विधेय की क्रिया के विस्तारक हो सकते हैं।

(१) संज्ञा अथवा सर्वनाम { राम किताब पढ़ रहा है।
(कर्म कारक में) { राम तुमको देखता है।

(२) क्रियाविशेषण { वह तेज़ दौड़ा।
अथवा क्रियाविशेषण वाक्यांश* { वह कभी न कभी जरूर आयेगा।
राम धीरे धीरे चलता है।

(३) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त—वह दौड़ते दौड़ते थक गया।
तत्कालबोधक कृदन्त—वह यह पीते ही बेहोश हो जाता है।

(४) (अ) अकर्मक क्रिया की पूर्ति—

विशेषण—मेरा घोड़ा काला है।

संज्ञा— { मोहन लड़का है।
{ वह संन्यासी हो गया।

(आ) सकर्मक क्रिया की पूर्ति—

संज्ञा—ऋषियों ने उसे राजा बनाया।

मैंने तुम्हें विद्यार्थी समझा।

(५) सम्बन्ध-सूचकान्त पद—वह मेरे पास खड़ा है।

(६) पूर्वकालिक क्रियापद—वह रुपया देकर लौट आया। वह सोकर उठा।

- | | |
|---|---|
| (७) संज्ञा अथवा सर्वनाम
(कर्म, करण, सम्प्रदान,
अपादान और अधिकरण
कारकों में) | } (१) राम किताब पढ़ रहा है ।
} (२) उसने साँप को छड़ी से मार
डाला ।
} (३) मैंने तुमको एक किताब दी ।
} (४) वह गाँव से आया ।
} (५) मैं छत पर खड़ा हूँ । |
|---|---|

(८) उपवाक्य—मैंने समझा (कि) वह चला गया ।

सूचना—विधेय की क्रिया के विस्तार में आये हुए संज्ञा शब्द विशेषण अथवा विशेषण के समान व्यवहृत शब्दों के द्वारा यथास्थान बढ़ाये जा सकते हैं । जैसे—

(१) राम संस्कृत की किताब पढ़ रहा है ।

(२) राम हमारे पण्डित जी की लिखी हुई संस्कृत की किताब पढ़ रहा है ।

(३) मैं तुम्हारे भाई रामदास को जानता हूँ । (समानाधिकरण शब्द)

(४) वह एक दुष्ट लड़का निकला ।

(५) गोविन्द घर में गोल मेज़ पर बैठा हुआ है ।
 (अधिकरण कारक)

(९) क्रियाविशेषण पद—जो पद क्रियाविशेषण के भाव सूचित करते हैं, उन्हें क्रियाविशेषण पद कहते हैं । इन पदों से निम्नलिखित अर्थ सूचित होते हैं—

(१) कालवाचक—मैं आज जाऊँगा । वह कल गया । वह दो महीने कैदखाने में रहा ।

(२) स्थानवाचक—तुम कहाँ जाओगे ? वह लखनऊ में रहता है ।

वह कलकत्ता से आता है।

(३) तादर्थ्यवाचक—मैं तुम्हारे लिए यहाँ ठहरूँगा।

(४) परिमाणवाचक—वह पाँच कोस गया।

(५) रीतिवाचक—वह मुझे भलीभाँति पहचानता है।

(६) करणवाचक—पानी बरसने से पृथ्वी ठंडी हो जायगी।

नोट—वह रात को जायगा। इस वाक्य में “रात को” काल-वाचक है।

वाक्यविश्लेषण*

२७०—वाक्यों के मुख्य अवयवों को अलग करने तथा उनके पारस्परिक सम्बन्ध के दिखलाने की रीति को वाक्यांशश्लेषण कहते हैं।

अ—साधारण वाक्य

२७१—साधारण वाक्यविश्लेषण में वाक्य के निम्नलिखित अवयव दिखाये जाते हैं—

- | | | |
|--|---|----------|
| (१) वाक्य का मुख्य उद्देश्य | } | उद्देश्य |
| (२) मुख्य उद्देश्य के विस्तारक शब्द
(यदि कोई हों) | | |
| (३) मुख्य विधेय (समापिका क्रिया) | } | विधेय |
| (४) मुख्य विधेय की पूर्ति (यदि कोई हो) | | |
| (५) कर्म (यदि मुख्य क्रिया सकर्मक हो) | | |
| (६) कर्म के विस्तारक शब्द (यदि कोई हों) | | |
| (७) क्रियाविशेषण पद (यदि कोई हो) | | |

उदाहरण—

(१) मोहन का घोड़ा रामदास के खेत में सूखी घास खा रहा था।

* वाक्यविश्लेषण को कोई कोई वाक्य-पृथक्करण, वाक्य-विन्यास या वाक्य-विभाजन कहते हैं।

मोहन का घोड़ा.....खा रहा था—साधारण वाक्य

- (क) { घोड़ा—मुख्य उद्देश्य
मोहन का—मुख्य उद्देश्य का विस्तार
- (ख) खा रहा था—मुख्य विधेय ।
- (ग) { घास—कर्म
सूखी—कर्म का विशेषण
रामदास के खेत में—क्रियाविशेषण पद

(२) मैं रामदास को बुद्धिमान् समझता था ।

मैं रामदास को बुद्धिमान् समझता था—साधारण वाक्य

- (क) मैं—मुख्य उद्देश्य (ख) समझता था—मुख्य विधेय
- (ग) रामदास को—कर्म (घ) बुद्धिमान्—कर्म-पूर्ति

(३) वह बड़ा ही बेईमान निकला—साधारण वाक्य

- (क) वह—मुख्य उद्देश्य (ख) निकला—मुख्य विधेय
- (ग) बड़ा ही बेईमान—पूर्ति

नोट—विस्मयादिबोधक अव्यय और सम्बोधन कारक के शब्द विश्लेषण में नहीं लिये जाते ।

आ—मिश्र वाक्य

२७२—मिश्र वाक्यों में प्रधान उपवाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों के साथ व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्ययों के द्वारा मिला हुआ होता है । यथा—मैं समझता हूँ कि तुम बहुत कमजोर हो ।

इस वाक्य में 'मैं समझता हूँ' प्रधान उपवाक्य है, और शेष 'कि तुम बहुत कमजोर हो' आश्रित उपवाक्य है । मिश्र वाक्य में आये हुए आश्रित उपवाक्य का अर्थ पूर्णरूप से मुख्य उपवाक्य के साथ ही प्रकाशित हो सकता है । यदि प्रधान उपवाक्य "मैं समझता हूँ" अलग कर दिया जाय, तो शेष वाक्य "कि तुम कमजोर हो"

स्वतः पूर्ण अर्थ का द्योतक नहीं हो सकता। ऐसे वाक्य आश्रित वाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि इनके अर्थ का स्पष्टीकरण मुख्य उपवाक्य ही पर आश्रित है।

२७३—आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं—

- (१) संज्ञा उपवाक्य, (२) विशेषण उपवाक्य,
(३) क्रियाविशेषण उपवाक्य।

(१) जो उपवाक्य संज्ञा की भाँति व्यवहृत होता है, उसे “संज्ञा उपवाक्य” कहते हैं। जैसे—

मैं नहीं जानता कि वह कब मर गया। कि वह कब मर गया “जानता” क्रिया का कर्म है। अतः यह संज्ञा की भाँति प्रयुक्त हुआ है। “वह कब मर गया” इस उपवाक्य को हम एक संज्ञापद में भी परिणत कर सकते हैं। समूचा वाक्य इस प्रकार रक्खा जा सकता है—मैं उसका मरणकाल नहीं जानता।

(२) जो उपवाक्य विशेषण की भाँति व्यवहृत होता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे—

वह लड़का, जो दुष्टता करता है, दण्ड पाता है। ‘जो दुष्टता करता है’ विशेषण की भाँति लड़का शब्द की विशेषता बतलाता है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। वह लड़का, जो दुष्टता करता है, दण्ड पाता है = दुष्ट लड़का दण्ड पाता है।

(३) जो उपवाक्य क्रियाविशेषण की भाँति व्यवहृत होता है, उसे क्रियाविशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे—

ज्यों ही वह यहाँ पहुँचेगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ज्यों ही वह यहाँ पहुँचेगा—यह उपवाक्य चला जाऊँगा क्रिया की विशेषता बतलाता है, अतः यह क्रियाविशेषण उपवाक्य है। ज्यों ही वह यहाँ पहुँचेगा = उसके यहाँ पहुँचते ही।

नोट—जिस उपवाक्य में मुख्य विधेय होता है उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं। जैसे—

उस दिन सावित्री ने अपने मन में सोचा कि आज पति का साथ एक क्षण के लिए भी न छोड़ूँगी। इस वाक्य में उस दिन सावित्री ने अपने मन में सोचा मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि मुख्य विधेय सोचा इसी वाक्य में है। शेष अंश कि आज पति का साथ न छोड़ूँगी संज्ञा उपवाक्य है और यह सोचा क्रिया का कर्म है।

२७४—मुख्य उपवाक्य प्रायः आश्रित उपवाक्य के पहले आता है, पर कभी कभी आश्रित उपवाक्य ही पहले आता है। जैसे—(१)

वह कहाँ रहता है, मुझे नहीं मालूम।

(२) जब वह नाचने लगेगा, मैं चला जाऊँगा।

संज्ञा उपवाक्य

२७५—संज्ञा की भाँति व्यवहृत होने से संज्ञा उपवाक्य निम्नलिखित स्थानों में प्रयुक्त होता है—

(१) किसी क्रिया का उद्देश्य—मोहन यहाँ कब पहुँचेगा, अभी बताया नहीं जायगा।

(२) किसी क्रिया का कर्म—मैं समझता हूँ कि तुम अभी यहाँ दो चार दिन और ठहरोगे।

(३) किसी क्रिया की पूर्ति—मेरा विचार है कि वहाँ पहुँचने में तुम्हें १० दिन लगेंगे।

(४) समानाधिकरण शब्द—

(अ) तुम्हारे इस संवाद ने कि मोहन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया मेरे हृदय को बड़ा आनन्द पहुँचाया।

(आ) इस यात्रा में सन्तोष की बात यह है कि जहाज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं ।

सूचना—संज्ञा उपवाक्य जब उद्देश्य के स्थान में और उपवाक्यों से पहले आता है तब उसके पहले “कि” समुच्चयबोधक नहीं आता; शेष तीन हालतों में मुख्य उपवाक्य से संज्ञा उपवाक्य “कि” के द्वारा मिला हुआ होता है । कहीं कहीं “कि” लुप्त रहता है ।

उदाहरण—मुझे म लुप्त नहीं (कि) वह क्या करता है । “कि” के अर्थ में जो शब्द भी आता है ।

यथा—यही कारण है जो यह बात उनकी समझ में नहीं आती—
का० गु०

किसी मनुष्य का ऐसी वस्तु जो पूरा अर्थ रखती हो संज्ञा उपवाक्य हो सकती है । यथा—

मेरे मित्र ने कहा, “तुम्हारी किताब कहाँ है ?”

इस वाक्य में “तुम्हारी किताब कहाँ है ?” कहाँ क्रिया का कर्म है ।
अतः यह संज्ञा उपवाक्य है

विशेषण उपवाक्य

२७६—विशेषण उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है यथा—

(अ) पौधा जो तुमने कल लगाया अज सूख गया ।

(आ) वह लड़का कहाँ है जो नित्य यहाँ आया करता था ।

(इ) वह जिसे तुम देखना नहीं चाहते यहीं है ।

इन तीनों उदाहरणों में विशेषण उपवाक्य क्रमशः पौधा, लड़का और वह शब्द की विशेषता बताते हैं । विशेषण उपवाक्य बहुधा जो तथा ‘जो’ के अन्य रूपों के द्वारा दूसरे शब्दों से मिला हुआ होता है । जो शब्द से बने हुए अन्य रूप जिसने, जिसमें, जितना, जिसको इत्यादि हैं ।

क्रियाविशेषण उपवाक्य

२७७—क्रियाविशेषण उपवाक्यों से काल, रीति, परिमाण, कार्य-कारण, स्थान आदि के भाव सूचित होते हैं ।

उदाहरण—

- (१) जब तुम सोते हो, तब मैं पढ़ता हूँ—कालवाचक ।
- (२) नहाँ तुम ठहरोगे, वहाँ मैं भी ठहरूँगा—स्थानवाचक ।
- (३) जैसा तुम क्रूर हो, वैसा मैं नहीं क्रूर सकता—रीतिवाचक ।
- (४) पाँच उतना ही फैलाना चाहिए, जितनी लम्बी चादर हो—परिमाणवाचक ।
- (५) (अ) मैं फिर ऐसी बात न कहूँगी, क्योंकि वह इससे
रुष्ट होता है ।
(आ) यदि वह इसे मान ले, तो मैं वहाँ चलूँ ।

} कार्यकारण

२७८—मिश्र वाक्य में आनेवाले, समुच्चायक (मिलानेवाले) शब्द ।

- (१) संज्ञा उपवाक्य को बहुधा 'कि' शब्द मिलता है ।
- (२) विशेषण उपवाक्य को जो, जिसने, जिसको तथा ऐसे ही जो शब्द के अन्य रूपान्तर मिलते हैं ।
- (३) क्रियाविशेषण उपवाक्यों के साथ 'जब-तब', 'ज्यों ही त्यों ही', 'जहाँ-वहाँ', 'ज्यों-त्यों' इत्यादि शब्द आते हैं

२७९—कुछ नित्य सम्बन्धी समुच्चायक शब्द जो मिश्र वाक्य में आते हैं, नीचे दिये जाते हैं—

यद्यपि	—तथापि	जब	—तब
*यदि	—तो	ज्यों ही	—त्यों ही
जहाँ	—वहाँ	जो	—तो
ऐसे	—जैसे	चाहे	—परन्तु
जैसे	—वैसे	ज्यों ज्यों	—त्यों त्यों
चूँकि	—इसलिए ।		

* कभी कभी यदि का काम जो से निकलता है । जैसे—जो जाना है, तो जाओ ।

२८०—नित्य सम्बन्धी शब्दों में कोई कोई कभी लुप्त रहते हैं। यथा—
ज्यों ही वह यहाँ आया, मैं उठ खड़ा हुआ=ज्यों ही वह यहाँ
आया (त्यों ही) मैं उठ खड़ा हुआ।

विश्लेषण के उदाहरण

(१) इस यात्रा में सन्तोष की बात यह है कि जहाज बहुत बड़े-बड़े
होते हैं।

यह वाक्य मिश्र-वाक्य है। इससे मुख्य अंश इस प्रकार हैं—

(अ) इस यात्रा में संतोष की बात यह है—मुख्य उपवाक्य।

(आ) कि जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं—संज्ञा उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य
में प्रयुक्त यह शब्द का समानाधिकरण।

(२) शेक्सपियर के दूसरे नाटक वे हैं, जो उसने अपनी कल्पनाशक्ति
की प्रौढ़ता और ईश्वरदत्त प्रतिभा से रचे हैं।

समूचा वाक्य मिश्र-वाक्य है।

(अ) शेक्सपियर के दूसरे नाटक वे हैं—मुख्य उपवाक्य।

(आ) जो उसने अपनी कल्पना-शक्ति की प्रौढ़ता और ईश्वरदत्त प्रतिभा
से रचे हैं—विशेषण उपवाक्य।

(अ) मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त वे शब्द की विशेषता सूचित
करता है।

(३) पहले कुछ लोग समझते थे कि जो समय खेल में व्यतीत होता है,
व्यर्थ जाता है।

समूचा वाक्य मिश्र-वाक्य है।

(अ) पहले कुछ लोग समझते थे—मुख्य उपवाक्य।

(आ) (वह समय) व्यर्थ जाता है—संज्ञा उपवाक्य,

(अ) उपवाक्य की क्रिया समझते थे का कर्म।

(इ) जो समय खेल में व्यतीत होता है—विशेषण उपवाक्य,

(आ) उपवाक्य में आये हुए 'समय' शब्द की विशेषता सूचित
करता है।

(४) ज्यों ही वह यहाँ आया, उसका भाई घर छोड़ कर भाग गया—
मिश्र वाक्य

(अ) उसका भाई घर छोड़कर भाग गया—मुख्य उपवाक्य ।

(आ) ज्यों ही वह यहाँ आया—क्रियाविशेषण उपवाक्य (कालवाचक),

(अ) उपवाक्य की क्रिया भाग गया की विशेषता बताता है ।

संयुक्त वाक्य

संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं । इन उपवाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए बहुधा निम्नलिखित समुच्चयबोधक अव्यय व्यवहृत होते हैं—

और या, लेकिन, परन्तु, इसलिए, सो, किन्तु, वरन्, नहीं तो, भी, चाहे-चाहे, न-न ।

संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्य आपस में चार प्रकार के सम्बन्ध सूचित करते हैं ।

(१) संयोजक

(अ) सध्या-समय पूर्व दिशा में चन्द्रमा का प्रकाश हुआ और कुई फूली ।

(आ) तुम्हीं नहीं, मोहन भी दोषी है । (इ) वह जुग्राड़ी है, और चोर भी ।

(२) विभाजक

(अ) तुम चोर हो, या तुम्हारा भाई ।

(आ) वह न चोर है, न जुग्राड़ी ।

(३) विरोध सूचक

(अ) वह दिन-रात परिश्रम करता था, परन्तु परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका ।

(आ) मैंने उसे बहुत कुछ समझाया, पर उसने मेरा कहना न माना । पर, परन्तु, किन्तु, मगर, इत्यादि विरोधसूचक समुच्चय-बोधक अव्यय हैं ।

* ये अव्यय समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहे जाते हैं ।

१ (४) परिणामसूचक

(अ) उसने व्यायाम करना छोड़ दिया, इसलिए दुर्बल हो गया ।

(आ) उसने गुरुजनों का कहना नहीं माना, अतः वह इस दशा को प्राप्त हुआ है ।

नोट—कहीं कहीं समुच्चयबोधक अव्यय लुप्त रहते हैं । वाक्य-विश्लेषण में इन लुप्त अव्ययों को दिखा देना ही उचित है ।
उक्ति की रोचकता तथा मौल्य बढ़ाने के लिए बहुधा वाक्य संचिप्त रीति से कहे जाते हैं ।

यथा—(अ) सुनते हैं; तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है = (हम) सुनते हैं;
(कि) तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है ।

(आ) गोविन्द ने बड़ी नम्रता से गुरु जी को प्रणाम कर आदरपूर्वक आसन दिया और पूछा, “महाराज, कहाँ से आते हैं ?” = गोविन्द ने बड़ी नम्रता से गुरु जी को प्रणाम कर आदरपूर्वक आसन दिया और (गोविन्द ने) पूछा, “महाराज, (आप) कहाँ से आते हैं ?”

विश्लेषणविधि

इन्द्र की यह बात सुन नारद जी उसका क्षुद्र आशय तुरन्त ताड़ गये, और भीतर से कुछ रुष्ट होकर उसी क्षण वहाँ से चले गये ।

समूचा वाक्य संयुक्त वाक्य है ।

(अ) इन्द्र की यह बात सुन नारद जी उसका क्षुद्र आशय तुरन्त ताड़ गये । मुख्य उपवाक्य, (आ) उपवाक्य का समानाधिकरण ।

(आ) और भीतर से कुछ रुष्ट होकर उसी क्षण वहाँ से चले गये — मुख्य उपवाक्य, (अ) उपवाक्य का समानाधिकरण ।

कोष्ठक प्रयोग-द्वारा वाक्यों का विश्लेषण

वाक्य-विश्लेषण कोष्ठक-द्वारा भी सम्यक् प्रकार से दिखलाया जाता है । प्रत्येक वाक्य का उदाहरण इस प्रकार है—

साधारण वाक्य

मोहन के छोटे भाई ने बड़े परिश्रम के बाद यह अपूर्व पारितोषिक पाया है ।

(१) मोहन के छोटे भाई ने बड़े परिश्रम के बाद यह अपूर्व पारितोषिक पाया है—साधारण वाक्य

उद्देश्य		विधेय				
मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य के विस्तार	मुख्य विधेय	कर्म	कर्म का विस्तार	पूर्ति	क्रियाविशेषण पद
भाई ने	(१) मोहन के २) छोटे	पाया है	पारितोषिक	यह (१) अपूर्व (२)		बड़े परिश्रम के बाद

पिश्र वाक्य

(२) जब श्री रामचन्द्र ने मृग पर बाण चलाया, तब वह अपना कपट रूप छोड़ राक्षस बन कर बाण की चोट से कराहता हुआ सुरधाम को सिवारा ।

उपवाक्य	उपवाक्य के प्रकार और सम्बन्ध	समुच्चय-बोधक अव्यय	उद्देश्य		विधेय			
			मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	मुख्य विधेय	पूर्ति	क्रियाविशेषण पद	कर्म का विस्तार
(क) — (तब) वह अपना कपट रूप छोड़... सुरधाम को सिवारा	मुख्य उपवाक्य	तब	वह		सिवारा		(१) अपना कपट रूप छोड़ (२) राक्षस बनकर (३) बाण की चोट से कराहता हुआ (४) सुरधाम को	
(ख) — (जब) श्रीरामचन्द्र जी ने मृग पर बाण चलाया	क्रियाविशेषण उपवाक्य, (क) का आश्रित	जब	श्रीरामचन्द्र ने		चलाया		मृग पर	बाण

संयुक्त वाक्य

(१) “रावण के मरने पर विभीषण ने उसकी अन्तिम संस्कार-क्रिया की और पीछे रामचन्द्र की आज्ञा से बड़ी धूमधाम के साथ लक्ष्मण जी ने लङ्का में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक किया।”

उपवाक्य	उपवाक्य के प्रकार और सम्बन्ध	समुच्चय-बोधक अन्य	उद्देश्य		विधेय			
			मुख्य उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	मुख्य विधेय	पूर्ति	क्रिया विशेषण पद	कर्म कर्म का विस्तार
(क) रावण के मरने पर विभीषण ने...की	समानाधिकरण उपवाक्य (ख) का	x	विभीषण ने	x	की	...	रावण के मरने पर	संस्कार क्रिया
(ख) पीछे रामचन्द्र की आज्ञा से...किया	समानाधिकरण उपवाक्य (क) का	और	लक्ष्मण जी ने	...	क्रिया	...	(१) पीछे (२) रामचन्द्र की आज्ञा से (३) बड़ी धूमधाम के साथ (४) लङ्का में जाकर	राज्याभिषेक का

विश्लेषण-सम्बन्धी विशेष बातें

२८१—वाक्य-विश्लेषण में निम्नालिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए—

(अ) वाक्य के लुप्त कर्ता को प्रकट कर देना चाहिए ।

उदाहरण—कहाँ जाओगे ? = तुम कहाँ जाओगे ?

(आ) सम्बन्धनकारक की संज्ञायेँ तथा विस्मयादिबोधक अव्यय विश्लेषण करते समय छाड़ दिये जाते हैं ।

(इ) वाक्यगत प्रक्षिप्त वाक्य विश्लेषण में स्थान नहीं पाते । जैसे—कल रात भर—क्या कहूँ—मैं साता हो रह गया । क्या कहूँ (मैं क्या कहूँ यह प्राक्षिप्त वाक्य है ।

(ई) कभी कभी दो या दो से अधिक उद्देश्यों का एक ही विधेय होता है ।

यथा—(१) दाल भात बंगालियों का भोजन है ।

(२) राजा रानी, अमीर गरीब, सभी इमको चाहते हैं ।

(उ) एक उद्देश्य के बहुधा कई विधेय भी होते हैं । ऐसी अवस्था में जितने विधेय होंगे उतने ही उपवाक्य होंगे ।

यथा—मोहन जाड़े और गर्मी में काम करता है और वर्षा में विश्राम करता है ।

विश्लिष्ट हाने पर उपवाक्यों का रूप इस प्रकार होगा—

(१) मोहन जाड़े और गर्मी में काम करता है । (२) मोहन वर्षा में विश्राम करता है ।

(ऊ) कभी कभी वाक्य में आश्रत तथा समानाधिकरण उपवाक्य दोनों परस्पर मिले हुए होते हैं ।

उदाहरण—जब बहेलिये ने देखा कि दमयन्ती उसका कहना नहीं मानती, वह उस पर क्रुद्ध हुआ और (उत्तन) दमयन्ती को मारने के लिए बाण चलाया ।

इस वाक्य में वह उस पर क्रुद्ध हुआ और (उसने) दमयन्ती को मारने के लिए बाण चलाया दोनों उपवाक्य परस्पर समानाधि-

करण हैं। ऐसी दशा में यदि मुख्य क्रिया-द्वारा मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों मिले हुए हों, तो वाक्य मिश्र वाक्य कहा जाता है; और यदि मुख्य क्रिया समानाधिकरण वाक्यों को मिलती है, तो समूचा वाक्य संयुक्त वाक्य होगा।

(ऋ) समानाधिकरण उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चयबोधक-द्वारा मिले हुए होते हैं। कुछ समानाधिकरण समुच्चयबोधक—और, तथा, भी, अथवा, या, या या, क्या-क्या, नहीं ता, न कि, परन्तु, मगर, इसलिए, अतएव सा।

२८२—मुख्य उपवाक्य आश्रित उपवाक्यों से व्यधिकरण समुच्चय-बाधकों द्वारा जोड़े जाते हैं। कुछ व्यधिकरण समुच्चयबोधक—कि, ताकि, तो भी, जो—तो, चाहे—परन्तु, मानाँ, अथात्, यद्यपि—तथापि, इसलिए कि, क्योंकि।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) वाक्य किसे कहते हैं।

(२) उद्देश्य और विधेय की परिभाषा पृथक् पृथक् उदाहरण सहित लिखो।

(३) किस प्रकार के पद विधेय के अन्तर्गत हो सकते हैं?

(४) निम्नलिखित वाक्यों का विश्लेषण करो—

(क) वह कहाँ जा रहा है?

(ख) अब मैंने भी तपोवन के निहू देखे।

(ग) तुम तो इस बात को जानते ही हो।

(घ) इस बात के सुनते ही सब ऋषि मुनि और राजा बोल उठे कि प्रथम पूजने योग्य हवि ही हैं।

(ङ) एक समय जब कि ऋतुराज के समागम से कमल वन विकसित हुआ, आम में बौर लगने लगे, कोकिल शीतल वायु के प्रवाह वृक्ष पर बैठी कुहू शब्द कर रही थी, और नाना प्रकार के फूलों पर अमर भ्रमण कर रहे थे, मैं माता के साथ अञ्जोद सरोवर में स्नान करने को गई और वहाँ पहुँचकर तीर पर के सुन्दर सुन्दर

वृक्ष और कुञ्जों में भ्रमण करने लगी; न जाने* उनके रूप-सम्पत्ति ने, यौवनकाल ने, वसन्त-ऋतु ने, उस स्थल ने, वा अनुराग ने मुझे उन्मत्त कर दिया ।

(च) जो हो, अब यहाँ से प्रस्थान करना उचित है ।

(छ) ऐसा न हो कि ये पीछे क्रोधान्ध होकर शाप दे दें ।

(ज) कुमार के वियोग से मेरी यही दशा थी कि मैं नहीं जानती थी कि जागती थी वा सोती, अकेली थी वा दुकेली, सुख में थी वा दुख में उत्कण्ठा ने आक्रान्त किया था वा व्याधि ने ।

(झ) भ्रान्त पथिक का दिशाभ्रम, गूंगे का स्वाद, अनमिल-सम्भाषण करनेवाले की बात, नास्तिकों का चार्वाकशास्त्र, और उन्मत्त का सुरापान जैसा भयङ्कर होता है, उसी प्रकार वह पत्रिका मुझे भयङ्कर बोध हुई ।

(ञ) अब जान पड़ा है कि फूल में कीड़े हैं, कोमल पत्तों में काँटे हैं, आकाश में मेघ हैं, निर्मल नदी में भँवर है, फल में विष है, बाग में साँप हैं, मनुष्य के हृदय में केवल अपना आदर है ।

(ट) हम लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे भेष्ट मानें और कभी झूठ न बोलें, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों न होती हो ।

(ठ) जिसका यश भुजा पर खरूपी लेखनी से लिखा है, जिसने वङ्ग-देश में अपने शत्रुओं के समूह को युद्ध में बारंबार पराजित किया, जिसने सिंधु नदी के सप्तमुखों को पार करके वाहियों को लड़ाई में जीता, जिसका वशरूपी वायु आज तक दक्षिण समुद्र को सुगन्धित कर रहा है, उस चन्द्र नामक राजा ने विष्णु में ध्यान धर विष्णुपदगिरि में भगवान् विष्णु की यह ध्वजा स्थापित की है ।

(ड) शेर और चीते में इस बात पर कि जंगल का स्वामी कौन है बर्बाद लड़ाई हुई ।

(ढ) अपना काम अच्छी तरह से करो, नहीं तो बदन मी होगी ।

* न जाने = शुद्ध संस्कृत वाक्य है । परम्परा से हिन्दी में भी यों ही प्रयोग चला आया है ।

- (ग) तुम काशी में रहते हो, यह हमें मालूम है ।
 (त) वह केवल यही जानता है कि मैं अकेला हूँ ।
 (थ) कपि करि हृदय विचार, दीन्ह मुद्रिका डारि तब ।
 जनु अशोक अंगार, दीन्ह हर्षि उठि कर गहेउ ॥
 (द) जिस प्रिय बिन सूना ग्राम सारा दुआ है,
 प्रतिसदन बड़ी ही छा गई है उदासी ।
 जिस बिन ब्रज भू में है न होता उजाला,
 वह निपट निराली कान्तिवाला कहाँ है !

वाक्य-रचना-विचार

२८३—वाक्य-रचना में हमें वाक्य के पदों का पारस्परिक सम्बन्ध, अर्थ, वाग्धारा एवं उनके क्रम का विचार करना पड़ता है । केवल शब्द-समूह ही से वाक्य नहीं बन सकता । शुद्ध वाक्य-रचना के लिए उपर्युक्त बातें भी विचारणीय हैं । यदि हम कहें—‘राजा है में घोड़ा का घर’ तो इसका कोई कुछ भी अर्थ न समझेगा । अपना भाव दूसरों पर प्रकट करने के लिए हमें इस शब्दसमूह के पदक्रम में कुछ हेर फेर करना होगा । शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा—राजा का घोड़ा घर में है ।

२८४—वाक्यार्थबोध के लिए वाक्य में तीन बातों का होना परमावश्यक है—

(१) आकांक्षा, (२) योग्यता और (३) आवृत्ति ।

(१) वाक्यार्थ स्पष्टीकरण के लिए पदों में परस्पर अन्वय की जो चाह होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं ।

यदि हम “राम घर” इतना कहकर रुक जायँ, तो सुननेवाले की यह इच्छा कि राम और घर शब्द का क्या सम्बन्ध है, पूरी नहीं हो सकती । जब तक हम यह नहीं कहते कि ‘राम घर पर हैं’, इन पदों में परस्पर अन्वय की चाह बनी रहती है ।

(२) वाक्यों में पदों के पारस्परिक अर्थ-सम्बन्धी औचित्य को योग्यता कहते हैं।

यदि कहा जाय कि मोहन कपड़ों से स्नान करता है, तो कोई भी इसका अर्थ न समझेगा; क्योंकि स्नान करने का काम कपड़ा से नहीं होता। यदि कहा जाय कि 'मोहन जल से स्नान करता है', तो अर्थ स्पष्ट हो जायगा।

(३) पदस्थापन में पदों की पारस्परिक उचित समीपता को आसत्ति कहते हैं। यदि हम पानी शब्द कहकर रुक जायँ, और चार घंटे बाद बरसता है कहें, तो यह वाक्य नहीं हो सकता; क्योंकि बिना आसत्ति के अर्थ प्रकट हो ही नहीं सकता। अतः दोनों शब्द साथ साथ कहने पड़ेंगे। यथा—पानी बरसता है।

२८५—कर्त्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय*।

(अ) वाक्य में जब कर्त्ता कारक का चिह्न ने नहीं रहता, तब क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्त्ता के लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं।

जैसे—(१) लड़का आम खाता है। (२) लड़के आम खाते हैं।

(३) लड़की आम खाती है। (४) लड़कियाँ आम खाती हैं।

(आ) जब कर्त्ता के साथ ने विभक्ति आती है और कर्म के साथ को का चिह्न नहीं होता, तब क्रिया के लिङ्ग, वचन और पुरुष कर्म के लिङ्ग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं।

जैसे—(१) मैंने रोटी खाई। (२) मोहन ने आम खाया।

(३) लड़की ने आम खाया।

(इ) यदि कर्त्ता का चिह्न ने हो और कर्म का चिह्न को भी हो तो, क्रिया पुँल्लिङ्ग एकवचन, अन्य पुरुष में होगी।

जैसे—(१) लड़की ने मोहन को देखा। (२) राम ने रावण को मारा। (३) लड़कियों ने लड़कों को देखा है।

(ई) यदि किसी क्रिया के एक से अधिक विभक्त राहत कर्त्ता, लिङ्ग, वचन और पुरुष में समान हों और और शब्द से संयुक्त हों, तो वह क्रिया बहुवचन में उसी लिङ्ग की होगी।

जैसे—(१) मोहन और गोविन्द खा रहे हैं। (२) सीता और लक्ष्मी पढ़ रही हैं। (३) मोहन सोहन और रामप्रसाद आ रहे हैं। (४) प्रभावती, ज्ञानेश्वरी और शान्ति एक ही कक्षा में पढ़ती हैं।

(उ) जब दो चिह्नरहित कर्त्ता आपस में इस प्रकार संयुक्त हों कि दोनों से एक ही सम्मिलित भाव सूचित हो, तो क्रिया एकवचन होगी।

जैसे—मुझे दाल भात अच्छा नहीं लगता। तुम्हें रोटी तरकारी अच्छी लगती है ?

(ऊ) यदि वाक्य में दो या दो से अधिक चिह्नरहित कर्त्ता भिन्न लिङ्ग और वचन के हों, तो क्रिया प्रायः बहुवचन में होगी और उसका लिङ्ग अन्तिम कर्त्ता के लिङ्ग के अनुसार होगा।*

जैसे—दो लड़के, तीन स्त्रियाँ, और चार मर्द इस काम को पाँच दिन में करते हैं।

(अ) चिह्नरहित दो कर्त्ता या शब्द से मिले हों, तो क्रिया के लिङ्ग और वचन दोनों अन्तिम कर्त्ता के अनुसार होंगे।

यथा—मोहन की बहन या सोहन का भाई यहाँ पढ़ेगा।

(इ) आदर के अर्थ में एकवचन विभक्तिरहित कर्त्ता की क्रिया बहुवचन होती है।

यथा—गुरु जी कहॉ हैं ?

नोट—प्राण और दर्शन शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं ।

(लृ) यदि वाक्य में विभक्ति रहित कर्त्ता तीनों पुरुष के हों, तो क्रिया उत्तमपुरुष की होगी । जैसे—तुम, वह, और हम पढ़ेंगे ।

नोट—वाक्य में क्रमशः मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और उत्तम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए ।

यदि कर्त्ता केवल मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के हों तो पहले मध्यम पुरुष का कर्त्ता आना चाहिए ।

(ए) यदि क्रिया का कर्म न हो अथवा लुप्त हो, तो विभक्ति-युक्त कर्त्ता की क्रिया एकवचन, पुँल्लिङ्ग, और अन्य पुरुष में होगी ।

यथा—(१) उसने कहा है ।

(२) उन्होंने देखा है ।

(३) उस स्त्री ने कहा था ।

(ऐ) साधारण क्रिया (क्रियाथक संज्ञा) जब कर्त्ता कारक में होती है, तो उसकी क्रिया सदा एकवचन, पुँल्लिङ्ग और अन्य पुरुष में होती है ।

यथा—(१) भोजन के उपरान्त दौड़ना अच्छा नहीं है ।

(२) तुम्हारा रूठना मुझे अच्छा नहीं लगता ।

नोट—साधारण क्रिया विभक्तिरहित कर्म के सहित—

(१) तुम्हें अभी लकड़ी काटनी है ।

(२) मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी ।

विशेष्य और विशेषण का अन्वय

२८६—हिन्दी में आकारान्त विशेषण शब्दों ही के रूप में यथा-ममय विकार हुआ करता है । इस प्रकार के रूपान्तर पहले दिखाये जा चुके हैं ।

२८७—विशेषण के लिङ्ग और वचन विशेष्य के लिङ्ग और वचन के अनुसार होते हैं ।

जैसे—(क) { यह कपड़ा नीला है ।
यह साड़ी नीली है ।
(ख) { वह एक अच्छा लड़का है ।
वह एक अच्छी लड़की है ।

वाक्य में यदि कर्म विभक्तिचिह्न से युक्त न हो, तो विधेय विशेषण* कर्म का अनुसरण करेगा ।

जैसे—(१) मैंने अपनी बाँह टेढ़ी कर ली । (२) उसने अपना मुँह टेढ़ा कर लिया ।

जब कर्म विभक्तियुक्त रहता है, तो विधेय विशेषण या तो एकवचन पुल्लिङ्ग होगा या कर्म के अनुसार होगा ।

जैसे—मैं तुम्हारी पीठ को नील (नीला) कर दूँगा ।

यदि भिन्न लिङ्ग के कई विशेष्य हों और उनके पहले एक ही विशेषण पद हो, तो वह विशेषणपद लिङ्ग और वचन में अपने समीपवर्ती विशेष्य के अनुसार होगा । यथा—छोटे लड़के और लड़कियाँ ।

२८८—वर्तमानकालिक कृदन्त बहुधा विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है; पर जब इसका प्रयोग क्रियाविशेषण की तरह होता है, तो अन्तिम आ का ए हो जाता है ।

जैसे—चलता आदमी—पुँल्लिङ्ग—(विशेषणवत्) ।

चलती चकी—स्त्रीलिङ्ग—(विशेषणवत्) । वह लड़का

चलते चलते थक गया—(क्रियाविशेषणवत्) । वह

लड़की चलते चलते गिर पड़ी—क्रियाविशेषणवत्) ।

संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय

२८९—सर्वनाम के लिङ्ग और वचन उस संज्ञा के लिङ्ग और वचन के समान होते हैं जिसके स्थान में वह प्रयुक्त होता है

* जो विशेषण विधेय का अंश हो, उसे विधेय विशेषण कहते हैं ।

जैसे—(१) मोहन ने कहा कि मैं खाऊँगा । (२) लड़कों ने कहा कि हम हँसेंगे । (३) लड़की ने कहा कि मैं जाऊँगी ।
नोट—सब नाम शब्दों के प्रयोग पहले दिखा दिये गये हैं ।

सम्बन्ध और सम्बन्धी का अन्वय

२९०—सम्बन्धी के लिङ्ग और वचन के अनुसार सम्बन्ध के चिह्न भी बदल जाते हैं ।

जैसे—राजा का घोड़ा, राजा के लड़के । मोहन की किताब, मोहन की किताबें । इस पाठशाला के लड़के, इस पाठशाला की लड़कियाँ । मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी बहनें, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी बहनें इत्यादि ।

नोट—इन उदाहरणों में पुलिङ्ग का, रा, ना, के बहुवचन में के, रे, ने हो गये हैं अर्थात् इनका आकार बदलकर एकार हो गया है । सम्बन्ध का चिह्न अपने निकटवर्ती संज्ञा के अनुसार बदलता है । जैसे—उसकी छड़ी, साफ़ा और रूमाल मेरे पास हैं ।

नित्य-सम्बन्धी शब्द

२९१—ये प्रायः समुच्चयबोधक अन्वय ही होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा एक वाक्य दूसरे वाक्य से संयुक्त रहता है । इनके समुचित प्रयोग से एक वाक्य दूसरे वाक्य से मिलकर एक पूर्ण अर्थ का द्योतक होता है ।

यथा—जब तुम आये, तब मैं चला गया ।

नोट—जो वाक्य नित्य-सम्बन्धी अव्ययों से मिले होते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं । नित्य-सम्बन्धी शब्दों के कुछ उदाहरण पहले दिये गये हैं ।

पद-क्रम

२९२ (१) वाक्य में कर्त्ता बहुधा पहले आता है और क्रिया बाद में ।
जैसे—(अ) मोहन आया । (आ) मैंने तुम्हें कल बारा में देखा था ।

(२) कहीं कहीं कर्ता लुप्त रहता है। जैसे—इधर आओ = तुम इधर आओ। क्या कहते हो = तुम क्या कहते हो ?

(३) कर्म बहुधा कर्ता और क्रिया के बीच में आता है। जैसे—मैंने मोहन को देखा।

(४) विशेषण बहुधा अपने विशेष्य के पहले आता है। जैसे मैंने आज एक लाल फूल देखा। इस देश में ठंडा जल दुर्लभ है।

(५) विशेषण यदि क्रिया का पूरक हो तो वह विशेष्य के बाद आता है। यथा—वह कमल नीला है।

(६) क्रियाविशेषण पद बहुधा समापिका क्रिया के पहले आता है। जैसे—(अ) मैं अभी चल्ँगा। (आ) वह धीरे धीरे चल रहा है।

२९३—(१) सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करनेवाला शब्द विधेय के साथ आता है। जैसे—वह तो पागल है।

(२) क्रिया का कर्म क्रिया के पूर्व आता है। जैसे—राम ने मोहन को देखा।

नोट—द्विकर्मक क्रिया का गौण कर्म पहले और प्रधान कर्म पीछे आता है। जैसे—वह मोहन को यह कथा सुना रहा है।

(३) पूर्वकालिक क्रिया समापिका क्रिया के पहले आती है। जैसे—वह खाकर चला गया।

नोट—(क) यदि पूर्वकालिक क्रिया कर्मपद के साथ हो, तो कर्मपदयुक्त पूर्वकालिक क्रिया भी समापिका क्रिया के पहले आयेगी। जैसे—वह मुझे देखकर गने लगा।

(ख) क्रियाविशेषण—कर्मपद और समापिका क्रिया के बीच में आता है। जैसे—उसने घोड़े को धीरे धीरे चलाया।

(४) क्रिया की पूर्ति को क्रिया के पहले रखते हैं। जैसे—वह पागल हो गया है।

(५) यदि वाक्य में कर्म, पूर्ति और क्रियाविशेषण पद एक साथ आवें, तो पहले कर्म, फिर क्रियाविशेषण, तदनन्तर पूर्ति रखेंगे।

यथा—तुमने अपने मित्र को धीरे धीरे पागल बना दिया।

(६) करण तथा अपादान कारकों में प्रयुक्त शब्द कर्त्ता और कर्म के बाद और क्रिया के पूर्व आते हैं। जैसे—(१) उसने साँप को छड़ी से मार डाला। (२) उसने लोटे को छत से गिरा दिया।

(७) सम्प्रदान का प्रयोग कर्त्ता के बाद होता है; पर यह प्रायः कर्म के पूर्व आता है। जैसे—श्याम ने भिक्षुक को दो पैसे दिये।

(८) सम्बन्ध अपने सम्बन्धी से पहले आता है। जैसे—राजा का घोड़ा, मेरी किताब।

(९) अधिकरण कारक प्रायः कर्म और समापिका क्रिया के बीच में आता है। जैसे—उसने मुझे घर में देखा।

(१०) क्रियार्थक संज्ञा से युक्त क्रियाविशेषण क्रियार्थक संज्ञा से पहले आता है। जैसे—धीरे धीरे* चलना अच्छा है।

(११) विस्मयादिबोधक अव्यय प्रायः वाक्य के आरम्भ में आता है। जैसे—(१) हाय ! यह क्या हुआ। (२) अरे ! तूने यह क्या किया।

(१२) समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के बाद आता है। जैसे—तुम्हारा भाई मोहन आज यहाँ आया है।

(१३) मात्र, भी, और, ही—ये शब्द उन्हीं शब्दों के बाद आते हैं, जिन पर स्नेहक या वक्ता जोर देना चाहता है। जैसे—(१) रात ही को वह यहाँ आया। (२) तुम भी तो वहाँ थे। (३) प्राणि-मात्र को इनसे दुःख है। (४) भगवन् ! क्या मैं ही अकेला दण्डनीय हूँ।

* धीरे धीरे उद्देश्य का विस्तार है।

२९४—(१) मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य प्रायः पहले आता है, पर अवधारण के लिए कभी कभी क्रियाविशेषण आश्रित वाक्य भी पहले आ जाया करता है। जैसे—

(क) मैंने कहा था कि वह यहाँ नहीं है—प्रधान उपवाक्य।

(ख) जब तुम लौटोगे, मैं वहाँ से चला जाऊँगा—आश्रित वाक्य।

(२) विशेषण उपवाक्य जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, यथासम्भव उस शब्द के बाद ही आता है।

जैसे—वह लड़का, जो पश्चिम करेगा, उत्तीर्ण होगा।

(३) समानाधिकरण उपवाक्य अपने मुख्य वाक्य के बाद आता है; पर अवधारण के लिए वह पहले भी आता है।

जैसे—इसका परिणाम यह होगा कि तुम यहाँ से निकाल दिये जाओगे—साधारण अर्थ में।

तुम यहाँ से निकाल दिये जाओगे, इसका यही परिणाम होगा—अवधारण अर्थ में।

(४) संज्ञा उपवाक्य जब कमे होता है, तब प्रायः क्रिया के बाद आता है; पर अवधारण के लिए पहले भी आता है।

जैसे—मैं जानता हूँ कि तुम ब्राह्मण हो—साधारण अर्थ में। तुम ब्राह्मण हो, मैं जानता हूँ—अवधारण अर्थ में।

(५) संज्ञा उपवाक्य उद्देश्य के रूप में प्रायः पहले आता है—

जैसे—मोहन यहाँ कब पहुँचेगा, अभी बताया नहीं जायगा।

(६) संज्ञा उपवाक्य पूति के रूप में प्रायः क्रिया के बाद ही प्रयुक्त होता है।

जैसे—मेरा विचार है कि वहाँ पहुँचने में तुम्हें दस दिन लगेंगे।

सूचना—गौरव अथवा अवधारण के लिए कर्त्ता, कर्म, सम्प्रदान, एवं क्रिया और क्रियाविशेषण पदों का भी स्थानान्तर होता है।

जैसे—(१) है तो वह तुम्हारा ही भाई—कर्त्ता और क्रिया।

(२) तुम्हें तो मैं देखूँगा—कर्म ।

(३) लड़के को यह किताब देना, और लड़की को यह गुड़िया—सम्प्रदान ।

(४) आज सबेर ही वह चला जायगा—क्रियाविशेषण ।

२९५—(१) प्रश्नवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक क्रियाविशेषण, समापिका क्रिया तथा सहायक क्रिया के बीच में भा आते हैं ।

जैसे—(अ) तुम क.ते क्या हो ? (आ) वह पढ़ना कब था ?

(२) नहीं और मत अव्यय समापिका क्रिया के पूरे या पछे आते हैं । जैसे—

(अ) वह यहाँ नहीं आया । (आ) तुम यहाँ मत आओ ।

(इ) मैंने ता यह सुना ही नहीं । (ई) खबरदार, वहाँ जाना मत ।

(३) निषेधवाचक न प्रायः समापिका क्रिया के पूरे आता है; परन्तु निश्चयाधिक प्रश्नवाचक न सदा बाद में आता है ।

जैसे—भुझसे न सुना गया, न देखा गया । क्यों जी, सुनते हो न ।

नोट—न-न समुच्चय बोधक है ।

(४) सम्बन्धसूचक अव्यय जिस शब्द से युक्त होता है, उसके बाद में आता है । जैसे—(अ) वह तुम्हारे पीछे खड़ा है ।

(आ) तुम्हारे बिना वह कैसे जीवित रह सकता है ? 'बिना तुम्हारे', 'बिना पानी के', 'भारे प्यास के' इत्यादि प्रयोग भी शुद्ध हैं ।

(५) समुच्चयबांधक अव्यय पदों, व कर्मांशों अथवा उपवाक्यों के बीच में आया करते हैं; पर नित्य सम्बन्धी अव्यय उपवाक्यों के पहले भी प्रयुक्त होते हैं ।

जैसे—(१) मोहन और सोहन पढ़ते हैं ।

(२) योगाभ्यास करना और बतारों पर नाचना दोनों कठिन बातें हैं।

(३) यदि वह वहाँ जायगा, तो मैं भी वहाँ जाऊँगा।

२९६—गौरव तथा अवधारण के लिए पदों का जो स्थानान्तर होता है, उससे वाक्य के अर्थ में भी भेद हो जाता है।

जैसे—(१) मेज़ पर किताब है। (२) किताब मेज़ पर है।

वाक्य नम्बर (१) का अर्थ यह है कि मेज़ पर केवल किताब है, दूसरी कोई चीज़ नहीं। वाक्य नम्बर (२) से यह सूचित होता है कि किताब मेज़ पर है किसी अन्य वस्तु पर नहीं।

इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ में भी भिन्नता आ जाती है :—

(१) क्या तुम देखते हो ? (२) तुम क्या देखते हो ?

वाक्य नम्बर (१) से केवल प्रश्न सूचित होता है। वाक्य नम्बर (२) में क्या शब्द देखते हो सर्गक क्रिया का कर्म है। इससे प्रश्न भी प्रकट है। इस वाक्य में क्या का अर्थ क्या वस्तु है। अतः पूर्ण वाक्य का अर्थ यह हुआ—तुम कौन-सी चीज़ देखते हो ?

सूचना—कविता में उपयुक्त नियमों का पालन नहीं होता।

उदाहरण—

(क) पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी;

निश-दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती।

रर पर जिसके है से हता मुक्त-माला;

वह नव नलिनी से नैनवाला कहाँ है ?

(ख) मुझ विजितजरा का एक आधार जो है,

वह परम अनूठा रत्न सवेस्व मेरा।

धन मुझ निधनी का लोचनाँ का उजाला,

सजल-जलद की-सी कान्तिवाला कहाँ है ?

अभ्यासार्थ प्रश्न

अ—(१) वाक्य किसे कहते हैं ? उदाहरण देकर समझाओ ।

(२) वाक्यार्थ बोध के लिए वाक्य में किन बातों का होना आवश्यक है ?

(३) निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो—

(क) आप ही तो कहे थे कि हम बीमार हैं । हमने तुमने चले बाजार । वह औरत लड़के को मारा । लड़की रोटी खा गई । लड़के पेड़ पर चढ़ गया । लड़की बाग में खेलता है । उसका मैस काला है । मैं रोटी खाई । मैं वह काम किया है । लड़की ने मुझको देखी । पंडित जी अभी नहीं आया । मैंने उस गाय को देखी । राजा का लड़के यहाँ नहीं पढ़ते ।

(ख) धीरे धीरे नहीं मैं चलूँगा । जाओगे कहाँ तुम कल ? देख सकोगे हमको आज नहीं तुम । तुम्हारा है कहाँ भाई ? हाथ में किसके है काली तुम्हारी घड़ी ? तुमने बना दिया मुझे पागल ।

आ—निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ समझाकर लिखो—

(१) मोहन घर में है ।

(२) घर में मोहन है ।

(१) केवल मोहन ने साँप को छड़ी से मारा है ।

(२) मोहन ने केवल साँप को छड़ी से मारा है ।

(३) मोहन ने साँप को केवल छड़ी से मारा है ।

(४) मोहन ने साँप को छड़ी से केवल मारा है ।

इ—निम्नलिखित नित्यसम्बन्धी शब्दों के सहारे वाक्यरचना करो—

जब—तब, यद्यपि—तथापि, यदि—तो, जहाँ—वहाँ ।

उ—नीचे लिखे हुए वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूर्ण करो—

(१) मैंने उस पत्र को...से ले लिया ।

(२) मैंने हाथ जोड़कर...निवेदन किया ।

(३) धन्य हैं मेरे भाग्य...आपने...अपना विश्वासपात्र जाना ।

(४) कुछ काल सोचकर...फिर बोले कि तू लड़की तो है...स्वभाव से शांत होता है कि...चञ्चल नहीं है ।

(५) मेरी विनीत बातों को...उन्होंने...अपनी उपकारिणी और प्राणदायिनी सखी के.. जाना और हनेहमरी आँखों से... प्रसङ्गतापूर्वक एक निश्चयवर्ती तमाख के परो को...उसके रस से नख द्वारा अपने बल्कल-वसन के एक खण्ड पर यह पत्रिका... मुझे दी ।

(६) जिन आँखों से मैं तुम्हें देखता हूँ...मैं उसे भी देखता हूँ ।

श्रु—नीचे लिखे पद्य-भाग का अन्वय लिखो—

तब देखी मुद्रिका मनोहर; राम नाम अंकित अति सुन्दर ।

चकित चित्त मुँदरी पहिचानी, हर्षविषाद हृदय अकुलानी ।

जाति का सकइ अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई ।

कथन-भेद

१९७—किसी के कथन को हम दो प्रकार की उक्तियों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं—(१) वक्ता के शब्दों में या (२) अपने शब्दों में ।

पहला वाक्ता को प्रत्यक्ष कथन कहते हैं; क्योंकि इसके द्वारा वक्ता का आशय ठीक ठीक उसी के शब्दों में प्रकाशित किया जाता है ।

जैसे—गोपाल ने कहा, “मैं आज चला जाऊँगा” ।

दूसरा उक्त को परोक्ष कथन कहते हैं । इसके द्वारा वक्ता का आशय दूसरे शब्दों में प्रकाशित किया जाता है ।

(क) प्रत्यक्ष—गुरु जी ने कहा, “बच्चा जीते रहा ।”

परोक्ष—गुरु जी ने बच्चे का जीवित रहने के लिए आशीर्वाद दिया ।

(ख) प्रत्यक्ष—गाम ने मुझसे कहा, “यहाँ से चले जाओ ।”

परोक्ष—राम ने मुझसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा, या राम ने मुझसे कहा कि यहाँ से चले जाओ ।

(ग) प्रत्यक्ष—मैंने कहा, “तुम यहाँ से कब जाओगे ?”

परोक्ष—मैंने उससे यहाँ से जाने का समय पूछा ।

(घ) प्रत्यक्ष—शिक्षक ने कहा, “पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ।”

परोक्ष—शक्तक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है।

सूचना - कथन-परिवर्तन के लिए कोई विशेष नियम नहीं दिया जा सकता। हम किसी के भाष्य को भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता के कथन के भाष्य में किसी प्रकार का क्षति न होने पावे और न कोई आवश्यक शब्द छूट ही जाय, या कोई इतर अनावश्यक शब्द उसका स्थान पा जाय।

नोट—प्रत्यक्ष कथन को उद्धरण-चिह्नों के भीतर रखते हैं।

वाक्य-परिवर्तन

२९८—लेखक या वक्ता को कभी कभी सुविधा एवं सौष्ठव के हेतु अपने कथन को घटाने या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा करने में वाक्यों के रूप तथा आकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है पर अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं होता।

वाच्यान्तर और कथनभेद के कारण जो परिवर्तन होते हैं वे पहले लिखे जा चुके हैं।

वाक्य-परिवर्तन के उदाहरण

(क) साधारण से मिश्र वाक्य—

क्रियाविशेषण उपवाक्य-द्वारा

- | | | |
|---|--|----------------|
| { | (१) वह स्वराक्रान्त होने से बोल नहीं सकता था— | |
| | | (साधारण वाक्य) |
| { | (२) वह ऐसा स्वराक्रान्त हो गया था कि बोल नहीं सकता था— | |
| | | (मिश्र वाक्य) |

- | | |
|---|--|
| { | (१) बली होने के कारण वह किसी से नहीं डरता—(साधारण वाक्य) |
| | (२) वह इतना बली है कि किस से नहीं डरता—(मिश्र वाक्य) |

- | | |
|---|---|
| { | (१) छुट्टी पाने से मैं घर चला जाऊँगा—(साधारण वाक्य) |
| | (२) यदि मैं छुट्टी पाऊँगा, तो घर चला जाऊँगा—
(मिश्र वाक्य) |

{ (१) आपकी सहायता के बिना, मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाता—

(साधारण वाक्य)

{ (२) यदि आप मुझे सहायता न देते, तो मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाता—

(मिश्र वाक्य)

{ (१) मेरे आते ही, वह यहाँ से चला जाता है—(साधारण वाक्य)

{ (२) जब मैं आता हूँ, वह यहाँ से चला जाता है— मिश्र वाक्य)

{ (१) स्वयं असहाय होने पर भी उसने मेरी सहायता की —

(साधारण वाक्य)

{ (२) वह स्वयं असहाय है, तो भी उसने मेरी सहायता की—

(मिश्र वाक्य)

{ (१) वह घोड़े के बराबर दौड़ सकता है—(साधारण वाक्य)

{ (२) वह इतना तेज दौड़ सकता है, जितना कि घोड़ा तेज दौड़ सकता है— ... (मिश्र वाक्य)

{ (१) मंसूरी का जलवायु नैनीताल के जलवायु से अच्छा है—

(साधारण वाक्य)

{ (२) नैनीताल का जलवायु इतना अच्छा नहीं है जितना कि मंसूरी का जलवायु है— (मिश्र वाक्य)

{ (१) कलकत्ता हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शहर है—

(साधारण वाक्य)

{ (२) हिन्दुस्तान में जितना बड़ा शहर कलकत्ता है, उतना बड़ा और दूसरा कोई शहर नहीं है - (मिश्र वाक्य)

{ (१) भीम के समान बली संसार में शायद ही कोई आदमी था— .. (साधारण वाक्य)

{ (२) जितना बली भीम था उतना बली संसार में शायद ही कोई आदमी था— ... (मिश्र वाक्य)

- (१) रात में देर तक काम करने से वह बीमार हो गया है—
 { ... (साधारण वाक्य)
- (२) वह बीमार हो गया, क्योंकि उसने रात में देर तक काम किया—
 { ... (मिश्र वाक्य)
- (१) शीघ्र ही नीरोग होने के लिए मैं नित्य व्यायाम करता हूँ—
 { .. (साधारण वाक्य)
- (२) मैं इसलिए नित्य व्यायाम करता हूँ कि मैं शीघ्र ही नीरोग हो जाऊँ—
 { ... (मिश्र वाक्य)
- (१) फल की प्राप्ति अपने कर्मों के अनुसार होती है—
 { ... (साधारण वाक्य)
- (२) मनुष्य जैसा काम करता है वैसा फल पाता है— (मिश्र वाक्य)
- (३) मनुष्य जैसा करेगा, वैसा फल पायेगा—... (मिश्र वाक्य)
- { (१) वह जीवन-पर्यन्त दुखी रहेगा— (साधारण वाक्य)
- { (२) वह जब तक जियेगा, तब तक दुखी रहेगा— (मिश्र वाक्य)
- विशेषण उपवाक्य द्वारा—
- { (१) विज्ञान नष्ट होते हैं— (साधारण वाक्य)
- { (२) जो विज्ञान हान्ते हैं, वे नष्ट हान्ते हैं— (मिश्र वाक्य)
- { (१) रसोईवर साफ रहना चाहिए— (साधारण वाक्य)
- { (२) जिस घर में रसोई बनती है, वह साफ रहना चाहिए—
 (मिश्र वाक्य)
- { (१) रहने का स्थान साफ रहना चाहिए— (साधारण वाक्य)
- { (२) वह स्थान जहाँ आदमी रहता है, साफ रहना चाहिए—
 (मिश्र वाक्य)

* केवल कि अव्यय के प्रयोग से ही कोई वाक्य संज्ञा-उपवाक्य नहीं हो सकता ।

संज्ञा उपवाक्य द्वारा—

- { (१) मैं रेलगाड़ी के छूटने का समय नहीं जानता—(साधारण वाक्य)
- { (२) मैं नहीं जानता कि रेलगाड़ी कब छूटेगी—(मिश्र वाक्य)
- { (१) उसके यहाँ पहुँचने की खबर ठीक है—(साधारण वाक्य)
- { (२) यह खबर ठीक है कि वह यहाँ पहुँच गया—(मिश्र वाक्य)
- { (१) उसका चला जाना ही निश्चित था—(साधारण वाक्य)
- { (२) यह निश्चित था कि वह चला जायगा—(मिश्र वाक्य)
- { (१) मेरा विचार एक पत्र लिखने का है—(साधारण वाक्य)
- { (२) मेरा विचार है कि मैं एक पत्र लिखूँ—(मिश्र वाक्य)
- { (१) मैंने उसे चले जाने की आज्ञा दी है—(साधारण वाक्य)
- { (२) मैंने आज्ञा दी है कि वह चला जाय—(मिश्र वाक्य)

(ख) विस्मयादिबोधक से विधानाधिक वाक्य—

विस्मयादिबोधक—वह कैसा मूखे है !

विधानाधिक—वह बड़ा मूखे है ।

(ग) प्रश्नसूचक से विधानार्थक वाक्य—

प्रश्नसूचक—अन्धे को आरसी से क्या ?

विधानार्थक—अन्धे को आरसी से कुछ लाभ नहीं ।

- { (१) आपको कौन नहीं जानता ?—(प्रश्नसूचक)
- { (२) आपको सभी जानते हैं—विधानार्थक (स्वीकारवाचक)
- (घ) निषेधवाचक से स्वीकारार्थक और स्वीकारार्थक से निषेधवाचक—
- { (१) तुम्हारे बिना मुझे और कोई नहीं पहचानता—(निषेधवाचक)
- { (२) मुझे केवल तुम्ही पहचानते हो—(स्वीकारार्थक)

(च) साधारण से संयुक्त वाक्य—

(१) इस सहायता के अतिरिक्त उसने उसे बहुत-सा धन दिया—

(साधारण वाक्य)

{ (२) उसने उसको यह सहायता दी और इसके अतिरिक्त उसे बहुत-सा धन दिया—

(संयुक्त वाक्य)

- { (१) इस दण्ड से बचने के लिए उसे सच सच कह देना चाहिए—
(साधारण वाक्य)
(२) उसे सच सच कह देना चाहिए, अन्यथा वह इस दण्ड से नहीं बचेगा—
(संयुक्त वाक्य)

- { (१) चोट लगने पर भी उसे हँसी आ रही है—(साधारण वाक्य)
(२) उसे चोट लगी है, परन्तु (वह) हँस रहा है—(संयुक्त वाक्य)
(१) अस्वस्थ होने से वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता—
(साधारण वाक्य)
(२) वह अस्वस्थ है; अतः कठिन परिश्रम नहीं कर सकता—
(संयुक्त वाक्य)

- { (१) दूध पीकर शीघ्र चले आओ—(साधारण वाक्य)
(२) दूध पियो और शीघ्र चले आओ—(संयुक्त वाक्य)
(१) हिरन के सींग लम्बे होते हैं—(साधारण वाक्य)
{ (२) हिरन के सींग होते हैं और वे लम्बे होते हैं—
(संयुक्त वाक्य)

(छ) संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य—

- { (१) वह यहाँ आया और शीघ्र ही भीतर चला गया ।
(२) वह यहाँ आते ही भीतर चला गया ।

नोट—साधारण वाक्यों में एक ही समापिका क्रिया होती है ।
साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के नियम देखने से
संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य बनाने के नियम भी सहज
ही में मालूम हो सकते हैं ।

(ज) मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य—

- { (१) मैं समझता था कि वह बड़ा मूर्ख है—(मिश्र वाक्य)
(२) मैं उसे बड़ा मूर्ख समझता था—(साधारण वाक्य)

नोट—साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के नियम देखने से मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य बनाने के नियम भी भली भाँति मालूम हो सकते हैं।

(क) संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य —

मिश्र वाक्य के उपवाक्य व्याधिकरण समस्यबोधक अव्ययों से जोड़े जाते हैं; अतः संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते समय हमें संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों के मलानेवाले अव्ययों का भी अर्थ के अनुसार व्याधिकरण समस्य-बंधक अव्ययों में बदल देना चाहिए।

- | | | |
|---|---|---------------|
| { | (१) भूठ बोलना छोड़ दा; नहीं तो मैं तुम्हें दण्ड दूँगा— | |
| | | (मिश्र वाक्य) |
| { | (२) यदि तुम भूठ बोलना नहीं छोड़ते, तो मैं तुम्हें दण्ड दूँगा— | |
| | | (मिश्र वाक्य) |

- | | | |
|---|---|-----------------|
| { | (१) धर्म करो और सुख से जीवन व्यतीत करो— | |
| | | (संयुक्त वाक्य) |

- | | | |
|---|--|---------------|
| { | (२) यदि तुम धर्म करोगे, तो सुख से जीवन व्यतीत करोगे— | |
| | | (मिश्र वाक्य) |

- | | | |
|---|---|--|
| { | (१) वह दरिद्र था, पर ईमानदार था—(संयुक्त वाक्य) | |
| | (२) यद्यपि वह दरिद्र था, तथापि ईमानदार था—(मिश्र वाक्य) | |

- | | | |
|---|---|---------------|
| { | (१) वह थका हुआ था, अतः सो गया—(संयुक्त वाक्य) | |
| | (२) वह सो गया, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था— | (मिश्र वाक्य) |

(ख) मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य—

नोट—संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के उपर्युक्त नियम देखने से मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना भी भली भाँति आ सकता है।

कुछ उदाहरण—

- | | |
|---|---|
| { | (१) मैं जानता हूँ कि तू नानायक है—(मिश्र वाक्य) |
| | (२) तू नानायक है और यह मैं जानता हूँ—(संयुक्त वाक्य) |
| { | (१) यदि वर्षा होगी, तो हरियाली दिखाई देगी—(मिश्र वाक्य) |
| | (२) वर्षा होगी और हरियाली दिखाई देगी—(संयुक्त वाक्य) |

वाक्य-संयोजन

२९९—कई वाक्यों के बदले एक वाक्य लिखने की रीति को वाक्य-संयोजन कहते हैं। दिये हुए वाक्यों की समापिका क्रिया को असमापिका क्रिया में बदलने एवं भन्न वस्तुओं अंशों को संकुचित करने से एक वाक्य बनता है। ऐसा दशम वाक्य में एक समापिका क्रिया का होना आवश्यक है।

३००—संयोजन-क्रिया निम्नलिखित तीन भागों में वर्णित है—

- (१) कई साधारण वाक्यों का एक साधारण वाक्य में बदलना।
- (२) कई साधारण वाक्यों का एक संयुक्त वाक्य में बदलना।
- (३) अनेक साधारण वाक्यों का मिश्र वाक्य में बदलना।

३०१—(अ) कई साधारण वाक्यों का एक साधारण वाक्य में बदलना—

- | | |
|---|---|
| { | विभक्त—वह चला गया। उसने मुझे देखा था। |
| | संयुक्त—वह मुझे देखते ही चला गया। |
| { | विभक्त—सुधाधर का प्रकाश हुआ। कुँई फूली। |
| | संयुक्त—सुधाधर के प्रकाश करते ही कुँई फूली। |
| { | विभक्त—उसने उसे पढ़ाया। उसने उसे बहुत सा धन दिया। |
| | संयुक्त—पढ़ने के अतिरिक्त उसने उसे बहुत-सा धन दिया। |
| { | विभक्त—मेरे भाई के तीन लड़के हैं। उनका व्याह करना है। |
| | संयुक्त—मेरे भाई के तीन लड़के अभी व्याहने का हैं। |

विभक्त—उसने अपने मित्रों का साथ छोड़ दिया । यह अत्यन्त निन्द्य है ।

संयुक्त—उसने अपने मित्रों का साथ छोड़कर एक अत्यन्त निन्द्य कार्य किया ।

विभक्त—वह इस बात को नहीं जानता था । इस विषय में उसकी पूरी अनभिज्ञता थी ।

संयुक्त—वह इस बात में पूर्ण अनभिज्ञ था ।

विभक्त—तुमने रोटी खाई । तुम फिर लिखने लगे ।

संयुक्त—तुम रोटी खाकर फिर लिखने लगे ।

विभक्त—तुम्हें दूध अच्छा लगता है । तुम्हें फल अच्छा लगता है ।

संयुक्त—तुम्हें दूध और फल अच्छे लगते हैं ।

(अ) कई साधारण वाक्यों का एक संयुक्त वाक्य —

समानाधिकरण समुच्चयबोधक अवयवों से—

विभक्त—तुमने उसे दोषा ठहराया । उसके मित्रों ने भी उसे दोषा ठहराया ।

संयुक्त—तुम्हीं ने नहीं, बल्कि उसके मित्रों ने भी उसे दोषा ठहराया ।

विभक्त—हम लोग प्रयाग पहुँचे । वहाँ हमें चार दिन ठहरना पड़ा ।

संयुक्त—हम लोग प्रयाग पहुँचे और वहाँ हमें चार दिन ठहरना पड़ा ।

(इ) कई साधारण वाक्यों का एक मिश्र वाक्य—

व्यधिकरण समुच्चयबोधक अवयवों से—

विभक्त—मोहन लखनऊ में रहता है । यह बात ठीक है ।

संयुक्त—यह बात ठीक है कि मोहन लखनऊ में रहता है ।

विभक्त—यह पीतल हो सकता है, यह सोना हो सकता है । यह दोनों में से एक अवश्य है ।

संयुक्त—यह पीतल हो सकता है या सोना ।

- { विभक्त—वह दरिद्र है। वह संतोषी है।
 { संयुक्त—वह दरिद्र है; पर संतोषी है।
 { विभक्त—बिल्ली को देखते ही चूहा बिल में घुस जाता है।
 { चूहा बिल्ली से डरता है।
 { संयुक्त—बिल्ली को देखते ही चूहा बिल में घुस जाता है; क्योंकि वह बिल्ली से डरता है।
 { विभक्त—मोहन शिष्ट है। मोहन सौम्य है। मोहन बुद्धिमान है।
 { मोहन बली है। मोहन उससे डरता है। मोहन बाहर नहीं निकलता।
 { संयुक्त—मोहन शिष्ट और सौम्य है, पर बली और बुद्धिमान है; अतः मोहन उससे डरता है और बाहर नहीं निकलता।
 { विभक्त—वह कहाँ जा रहा है? यह कोई नहीं जानता।
 { संयुक्त—यह कोई नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है।
 { विभक्त—एक आदमी के पास एक मुर्गी थी। वह प्रतिदिन एक सोने का अण्डा दिया करती थी।
 { संयुक्त—एक आदमी के पास एक मुर्गी थी जो प्रतिदिन एक सोने का अण्डा दिया करती थी।
 { विभक्त—तुम यह काम कर दो। मैं उनकी सहायता करूँगा।
 { संयुक्त—यदि तुम यह काम कर दो, तो मैं उनकी सहायता करूँ।

वाक्य-वियोजन

३०२—किसी एक वाक्य को तोड़कर अनेक साधारण वाक्यों में परिवर्तन करने का नाम वाक्य-वियोजन है।

उदाहरण—संयुक्त—तुम रोटी खाकर पढ़ने लगे। विभक्त—
 तुमने रोटी खाई। तुम पढ़ने लगे।

नोट—इस विषय को विस्तार-रूप से लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि वाक्य-संयोजन के नियमों पर ध्यान देने से वाक्य-वियोजन के नियम भी भली भाँति आ सकते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(१) निम्नलिखित वाक्यों का रूप-परिवर्तन कथन-भेद के अनुसार करो—

- (क) विश्वामित्र कहने लगे, “अजी नारद तो योंही बातें बढ़ाकर कहा करते हैं। भला आप जैसे महानुभावों के रहते हरिश्चन्द्र की क्या गिनती है ?”
- (ख) राजा ने कहा, “महाराज. यह कौन-सी बड़ी बात है ?”
- (ग) तब राजा ने कहा, “महामुने, मैं भूल गया। आप क्षमा कीजिए।”
- (घ) दमयन्ती आर्त्त स्वर से कहने लगी, ‘हे दीनदयालो, हे अनार्यों के नाथ, हे दयासिन्धो, हे अशरणशरण, हे वात्सल्यगुणसागर, इस दुष्ट के हाथ से मेरी रक्षा कीजिए।”

(ङ) मेरे मित्र ने कहा, “हाय। तुम दो मिनट पीछे क्यों न पहुँचे ?”

(२) निम्नलिखित वाक्यों को आदेशानुसार मिश्र-वाक्यों में बदलो—

- (क) तुम्हारे पहुँचने की खबर सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई—(संज्ञा उपवाक्य के साथ)
- (ख) तुम्हारा अपराध अक्षम्य है—(विशेषण उपवाक्य के साथ)
- (ग) इस चित्र को मैंने कभी नहीं देखा था—(विशेषण उपवाक्य के साथ)
- (घ) मैं इस पत्र के लेखक का नाम जानता हूँ—(संज्ञा उपवाक्य से)
- (ङ) उसने पारितोषिक प्राप्त करने की इच्छा से कठिन परिश्रम किया—(क्रियाविशेषण उपवाक्य से)

(च) स्वामी के न रहने पर घर चौपट हो जायगा—(क्रियाविशेषण उपवाक्य से)

(३) इन मिश्र वाक्यों को साधारण वाक्यों में परिणत करो—

- (क) मालूम नहीं कि तुम यहाँ कब आये।
- (ख) वे इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हममें बल है।
- (ग) मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं।
- (घ) पलासी की लड़ाई में सबसे अद्भुत बात यह हुई कि नवाब का असेरुय दल मुठी भर आदमियों से पराजित हुआ।
- (ङ) इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं है कि वह यहाँ से भाग गया था।
- (च) जो कठिनाइयाँ हमें भेलनी पड़ीं, वे सब भूल गये।

(छ) जिसकी लाठी, उसकी भैंस ।

(ज) मेरे पास इतना धन नहीं है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ दान दिया करूं ।

(झ) यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था ।

(ञ) वह वही घर है जिसमें तुम स्नान किया करते हो ।

(४) निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाओ—

(क) यहाँ से दूर हो, नहीं तो मारे जाओगे ।

(ख) सेवा करो और मेरा चक्रवो ।

(ग) वह बूढ़ा है, पर दौड़ सकता है ।

(घ) ज्ञान बन्द करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा ।

विराम-चिह्न

३०३—विराम-चिह्नों के द्वारा हम वाक्यों, उपवाक्यों, एवं वाक्यांशों और पदों का पार्थक्य भली भाँति दिखना सकते हैं । इन चिह्नों के समुचित प्रयोग से वाक्यगत भिन्न भिन्न पदों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा वाक्य के अर्थ को समझने में हमें बहुत कुछ सुविधा होती है । आधुनिक लेखन-प्रणाली की उन्नति के साथ-साथ तथा अँगरेजी भाषा के सम्पर्क से हमारी भाषा में भी विराम-चिह्न बढ़ते गये । आधुनिक लेखक, अमलिखित विराम-चिह्न व्यवहार में लाते हैं—

नाम	चिह्न	अँगरेजी नाम
१ अल्प विराम	...	कामा (Comma)
२ अर्द्ध विराम	...	सेमीकोलन (Semi colon)
३ द्विबिन्दुसूत्र	...	कोलन-डैश Colon-dash
४ पूर्ण विराम	...	फुलस्टॉप (Fullstop)
५ प्रश्न-वाक्य-चिह्न	...	नोट आफ इन्टर गेशन (Note of Interrogation)
६ विस्मयादि-बोधक चिह्न	...	नोट आफ एक्क्लामेशन (Note of Exclamation)

७ निर्देशक	... —	डैश (Dash)
८ योजक	... -	हाइफन (Hyphen)
९ कोष्ठ चिह्न	... ()	ब्रैकेट्स (Brackets)
”	{ }	” ”
”	[]	” ”
१० ऊर्ध्व चिह्न	... “ ”	इनवर्टेड कामाज़ Inverted Commas

अल्प विराम

३०४—जिन शब्दों के परे अल्प विराम का चिह्न व्यवहृत होता है, उनके उच्चारण के बाद हमें बहुत ही अल्प समय तक ठहरकर आगे के शब्द कहने पड़ते हैं। इसी हेतु इस विराम-चिह्न को अल्प विराम कहते हैं।

अल्प विराम नम्रलिखित स्थानों में प्रयुक्त होता है—

(१) समानाधिकरण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में।

जैसे—मं. मोहनलाल, एकरार करता हूँ कि—

(२) एक ही प्रकार के तीन या तीन से अधिक शब्द-भेदों के बीच में, जब कि अन्तम के दो शब्द और या इसी अर्थ के किसी अन्य समुच्चयबोधक अवयव से मिले हुए हों।

जैसे—दाखण; रंगभूमि में, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न खड़े हैं।

(३) सम्बोधन कारक के बाद।

जैसे—भाइयों, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता।

(४) जब एक ही प्रकार के किंवा एक ही दशा के सूचक कई पद साथ साथ प्रयुक्त होते हैं।

जैसे—रात हो या दिन, सौंझ हो या सबेरा; हमें तो तुम्हारी ही याद आया करती है।

(५) जब पूर्वकालिक क्रियापद अपने विस्तार के साथ कर्ता कारक के बाद आता है, तो अल्प विराम-चिह्न पूर्व-कालिक क्रिया-पद के पहले या बाद दोनों जगह प्रयुक्त होता है।

जैसे—माहन ने, बहरी के बच्चों को बड़ी सावधानी से दूध पिलाकर, अपने घर का रास्ता लिया।

नोट — अल्प विराम का ऐसा प्रयोग कम मिलता है।

(६) कुछ तानाबानाधकरण समुच्चयबोधक अव्ययों के पूर्व—जैसे—

(१) वह बोलता तो है, पर धीरे धीरे।

(२) यह ईमानदार है, इसलिए झूठी बात नहीं कहेगा।

(३) जाओ, नहीं तो पछताओगे।

(७) प्रायः नित्य सम्बन्धी शब्दों से युक्त उपवाक्यों के बीच में—

जैसे—यदि हम ऐसा करेंगे, तो पकड़े जाओगे। (यदि)

परिश्रम करेंगे, तो फल भी मिलेगा।

(८) प्रत्यक्ष कथन के पहले—

राम ने कहा, “मैं जाऊँगा।”

(९) यदि विशेषण उपवाक्य विशेष्य के परे हो, तो वह विराम-चिह्नों के बीच में विकल से रक्खा जाता है।

जैसे—माहन का भाई, जो इस स्कूल में पढ़ता है, दो दिन से बीमार है।

(१०) यदि वाक्य में एक ही प्रकार के एक ही दशा में कई उपवाक्य हों, तो उन्हें अल्प विराम से अलग कर देना चाहिए—

(अ) जिसका यश मुनी पर खङ्गरूप लेखनी से लिखा है, जिसने वङ्ग देश में अपने शत्रुओं के समूह को युद्ध में बारम्बार पराजित किया, जिसने सिन्धुनदी के सप्त मुखों को पार कर वाहियों को लड़ाई में लाया—इत्यादि।

(आ) मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ रहता है, क्या करता है, और क्या खाता है।

- (११) यदि संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के परे हो, तो इन दोनों उपवाक्यों के बीच में कोई विराम-चिह्न न होगा। जैसे—उसने कहा कि मैं अब पढ़ूँगा।
- (१२) यदि संज्ञा उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के पहले हो, तो दोनों के बीच में अल्प विराम-चिह्न आता है। जैसे—तुम क्या चाहते हो, मैं नहीं जानता। वह कब आवेगा, मुझे नहीं मालूम।
- (१३) बहुधा ऐसे क्रियाविशेषण पदों के परे अल्प विराम-चिह्न लगाया जाता है जो अर्थतः किसी पूर्व कथन से सम्बद्ध होते हैं। जैसे—हाँ, मैं तुम्हें मानता हूँ। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता।

अर्द्ध विराम

३०५—जब किसी वाक्य के ऐसे दो उपवाक्य हों जिनमें से एक स्वतः पूर्ण अर्थ का बोध कर और दूसरा पहले का समर्थक हो, तो इन दोनों उपवाक्यों के बीच में अर्द्ध विराम-चिह्न आता है।
जैसे—

(अ) मितव्ययी होना बुरी बात नहीं है; क्योंकि मितव्यय से धन और धर्म दोनों की रक्षा होती है।

(आ) देखा, वे तो सीधे ही चले गये, बोले तक नहीं।

नोट—अर्द्ध विराम का प्रयोग हिन्दी में बहुत कम देखा जाता है। लोग प्रायः अर्द्ध विराम के स्थान में अल्प विराम से काम लिया करते हैं।

द्विबिन्दुसूत्र

३०६—जब किसी कथन को अलग करके बताना हो, उसके पहले द्विबिन्दुसूत्र-चिह्न प्रयोग में लाया जाता है। जैसे—अप्रलिखित वाक्य का विश्लेषण लिखो :—
मोहन काशी-विश्वविद्यालय में पढ़ता है।

३०७—निर्देशक

- (१) एक ही प्रकार के शब्दों पर विशेष जोर देने तथा उन्हें अलग अलग दिखाने के लिए निर्देशक का प्रयोग होता है। जैसे—
बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत—सर्भा मारे गये।
- (२) व्दाहरण-सूचक शब्दों के परे भी यह चिह्न आता है। जैसे—
आदमी, गाय, बैल—इत्यादि।
उदाहरण—आम, इमली, नीबू—इत्यादि।
- (३) नाटकों अथवा लेखों में वक्ता के नाम के आगे। जैसे—
दमयन्ती—हा नाथ ! तुम इस अबला को छोड़ कहीं चले गये।

पूर्ण विराम

- ३०८—प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का चिह्न लगाया जाता है। इस चिह्न को पाई भी कहते हैं।
जैसे—गोविन्द चला गया।

प्रश्नवाचक चिह्न

- ३०९—यह चिह्न प्रश्नसूचक वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान में प्रयुक्त होता है। यथा—तुम कहीं जाते हो ?

विस्मयादिबोधक चिह्न

- ३१०—यह चिह्न विस्मयादिबोधक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के अन्त में आता है। जैसे—हाय ! मेरा सखेव लुट गया।

योजक

- ३११—योजक चिह्न का प्रयोग सामासिक पदों के मध्य में होता है।
जैसे—जनक-तनया, रघुकुल-कुमुद-विधु, राम-चरणपंकज।

कोष्ठक चिह्न

३१२—वाक्यान्तगत प्रक्षिप्त वाक्य को अलग करने तथा किसी शब्दविशेष के अर्थ बतान में यह चिह्न व्यवहृत होता है ।

उैसे—(१) बारह वर्ष की अवस्था में (ईश्वर की लीला अपार है) वह बारह भाषाओं का पण्डित हो गया ।

(२) वह 'वत्तरीन' (दरिद्र) है ।

नोट—ऐसे स्थानों में अधिकतर लोग अल्प विराम से काम लिया करते हैं ।

उद्धरण-चिह्न

३१३—किसी लेखक के लेख के किसी विशेष अंश की ओर पाठक का ध्यान आकषित करना हो, तो उस उक्ति या लेख को उद्धरण-चिह्नों के भीतर रखते हैं ।

जैसे—(१) मोहन ने कहा, “मैं बीमार हूँ”

(२) उस पुस्तक का नाम “कठिन ई में विद्याभ्यास” है ।

नोट—जब एक उद्धृतांश के अन्तर्गत दूसरा उद्धृतांश आता हो, तो बीचवाले को ऐसे 'उद्धरणचिह्न' के भीतर रख देते हैं ।

जैसे—“एक ने खोर देते हुए यह प्रमाणित किया कि 'पृथ्वी स्थिर नहीं है'” ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

निम्नलिखित गद्यभागों में यथास्थान उचित विरामचिह्न का प्रयोग करो—
(क) हे राजपुत्र उस आभंगिनी तपस्विनी का वैराग्य-वृत्तान्त सुनकर आप क्या कीजिएगा वह केवल शोकजनक और दुःखोद्घाटक है यदि सुनने की बड़ी अभिलाषा हो तो सुनिए आपने सुना होगा कि देवलोक में अक्षरा रहते हैं उनका चौदह कुल है भगवान् लक्ष्मणपति के मंगल से यह कुल उत्पन्न हुआ है और देव अग्नि जल पृथ्वी पवन अमृत सूर्यकिरण चन्द्रकिरण सौदामिनी मृत्यु और मकरध्वज इन ग्यारहों से ग्यारह कुल उत्पन्न हुए ।

(ख) अब समझा है कि काँच भी हीरे की तरह उज्ज्वल होता है पीतल भी सोने की तरह चमकता है कीचड़ भी चन्दन की तरह गीला होता है और काँसा भी चाँदी की तरह मधुर शब्द करता है किन्तु क्या कहता था भूल गया हाँ वही गति की ध्वनि वह भली अवश्य जान पड़ती थी मगर अब फिर दुबारा उसे सुनाना नहीं चाहता ।

(ग) जो स्थान उस समय तृणप्लव-पूर्ण फूलों की सुगन्ध से सने स्वच्छ नदी से जल-कण लेने के कारण सुशीतल हुए वायु से हृदय को हरा कर देनेवाले से जान पड़ते थे वे ही स्थान इस समय रेतीली मरुभूमि के समान उजाड़ क्यों जान पड़ते हैं समझा आशा रूपी रंगीन चश्मान होने के कारण ही यह सब विपरीत दिखाई दे रहा है ।

परिशिष्ट

हिन्दी भाषा का शब्द-भाण्डार

आर्यों की जो शाखा सबसे पहले भारतवर्ष में आई वह प्राचीन संस्कृत बोलती थी। वेदों का अधिकांश इसी भाषा में है। वाल्मीकि, भवभूति और कालिदास आदि कवियों की भाषा शुद्ध संस्कृत है। संस्कृत शब्द का अर्थ ही परिमार्जित है। पुराने ग्रंथों तथा शिलालेखों से पता चलता है कि ईसा के कई सौ वर्ष पहले भारत में भिन्न भिन्न भाषाएँ प्रचलित थीं। पढ़े-लिखे तथा उच्च वंश के लोग परिमार्जित संस्कृत का प्रयोग करते थे, पर साधारण जनता की भाषा प्राकृत ही थी। प्राकृत शब्द का अर्थ स्वाभाविक है; अतः इन लोगों की भाषा प्राकृत कहलाई। शनैः शनैः देश और काल के अनुसार इस प्राकृत के भी कई भेद हो गये, जो मागधी, शौरसेनी और महागुप्ती आदि के नाम से कहे गये। जनसमाज के विचार-विनिमय तथा ऐतिहासिक परिवर्तन के कारण प्राकृत भाषा में भी बड़े उथल-पुथल हुए। कुछ काल तक कथित प्राकृत का विकास हुआ। उस समय के विद्वानों ने इस विकास-पूर्ण भाषा को अपभ्रंश* कहा। प्रान्तीयता के विचार से इस अपभ्रंश के भी कई भेद हुए।

भारत की वर्तमान आर्य-भाषाओं का सम्बन्ध अधिकांश इन्हीं अपभ्रंशों से है। वर्तमान हिन्दी भाषा उन अपभ्रंशों से निकली है जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी भाग में प्रचलित थी।

* अपभ्रंश का अर्थ बिगड़ी हुई है।

अपभ्रंश-भाषा का प्रचर ग्यारहवीं शताब्दी तक था। वर्तमान हिन्दी का विकास ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त एवं बारहवीं शताब्दी के आरम्भ से हुआ।

ग्यारहवीं शताब्दी तथा उसके बाद के कुछ गद्य एवं पद्य का नमूना नीचे दिया जाता है—

गद्य

पृथ्वीराज का दान-पत्र

(सन् १०८२)

सही

(१) स्वस्ति श्री श्री चीत्रकोट महाराजाधिराज तपोराज श्री श्री रावलजी श्रं समरसीजी वचनातु दा अमा आचारज ठाकर रुसी केष कस्य थ ने दल सु डायजे लाया अणीराज में आषद थारी लेवेगा ओषद ऊपर माल कां थाकी है ओ जनाना में थाग बंसग टाल ओ दुजे जावेगा नहीं ओर थारी बैठक दली में ही जी प्रमाणे पगधान बरोबर कारण देवेगा ओर थाग बंसक रूपत कपूत वेग जा ने गाम गोणो अणीराज में स्थाय्या पय्या जायगा ओर थाग चाकर घाढ़ा बे नामो कोठार सुँमल जायगा ओर थू जमाखातरी रीजे मेई में राजथान बाद जो अणी परवाना री काइ चलंगण करेगा जीने श्री एकलींगजी की आण हे दुबे पंचाली जानकीदास सं० ११३९ वाती बदी ३।

गोरखनाथ

(सन् १३५०)

ब्रह्माविचार

(२) सो वह पुरुष सम्पूर्ण तीथा आसनान करि चुकौ अरु सम्पूर्ण पृथ्वी ब्रह्मननिकां दै चुकौ, अरु सदस्रज्ज्ञ करि चुकौ, अरु देवता सब पूजि चुकौ, अरु पितरनि को सन्तुष्ट करि चुकौ, स्वर्गलोक करि चुकौ, जा मनुष्य के मन छन मात्र ब्रह्म क विचार बैठो।

(१८१)

चन्द्र कवि (सन् ११६८)

पद्य

भरहट्ट सुलक्खनयं भरयं । धरि वस्तु अमोत्तनयं नरयं ।
तिन बोच म ल्ल सुलक्खनयं । लख कांठ ध नी सुकवी गनयं ।
नर माग मा ग शु द परै । परि राति सुरायन बाद खरै ।
मचिक्कीच उगावलःट्टमफे । दिखदाव कलशन दाव दफे ।

मुसलमान जानियों के आक्रमण के बाद से तुर्की फारसी तथा अरबी भाषाओं के शब्द भी प्राचीन हिन्दी भाषा में स्थान पाने लगे । इसी प्रकार समयानुसार हमारी हिन्दी भाषा अपना कलेवर लगातार बदलती गई । वर्तमान हिन्दी इसी रूपान्तर का फल-स्वरूप है । आज इस प्रचलित हिन्दी भाषा के भारदार में पाँच प्रकार के शब्द मिलते हैं—

(१) तत्सम — शुद्ध संस्कृत शब्दों के रूप ।

जैसे — ज्ञान, दर्शन, मुख्य ।

(२) तद्भा — जो प्राकृत से हिन्दी में आये हैं, अथवा ... प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं ।

जैसे—खेत, दाहिना, किसान ।

(३) अपभ्रंशतत्सम — संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप ।

जैसे — बच्छ आग्याँ, मँह ।

(४) देशज — जिनकी व्युत्पत्ति का कुछ पता नहीं ।

जैसे—तेंदुआ, खिड़की, ठेस ।

(५) विदेशा —

(१) फारसी—चश्मा, कमर, सूत ।

(२) अरबी—औगत, मालूम अदालत ।

(३) अँगरेजी — स्टेशन, रेल, पेंसिल, मास्टर, टिकट ।

(४) तुर्की—कोल, ताँप लाश ।

(५) पार्श्वगोत्र — पादरी, कमरा ।

अँगरेज़ी जाननेवालों की सुविधा के लिए व्याकरण-सम्बन्धी कुछ अँगरेज़ी समानार्थवाची शब्द दिये जाते हैं—

अक्षर—Letter	अविकारी शब्द— An indeclinable word
अन्वय—Prose order	संज्ञा - Noun
अपभ्रंश—Corrupted	सर्वनाम - Pronoun
अर्थ—Meaning	विशेषण - Adjective
अवधारण—Emphaiss	क्रिया—Verb
ध्वनि—Sound	क्रियाविशेषण—Adverb
सार्थक ध्वनि - Atriculate sound	सम्बन्धसूचक - Preposition
निरर्थक ध्वनि - Inarticulate sound	(Postposition)
भाषा— Language	समुच्चयबोधक - Conjunction
संकेत Sign	{ गद्य—Prose गौरव—Emphasis द्विरुक्ति—Redetition
वर्णमाला - Alphabet	
वर्णविभाग - Orthography	
शब्दविभाग - Etymology	विस्मयादिबोधक—Interjection
वाक्य-रचना-विचार - Syntax	व्यक्तिवाचक संज्ञा—Proper Noun
स्वर—Vowel	जातिवाचक संज्ञा—Common Noun
व्यञ्जन - Gonsonanf	भाववाचक संज्ञा—Abstract Noun
सन्धि—Conjunction of letters	लिङ्ग—Gender
स्वर-सन्धि—Conjunction of vowels	पुँल्लिङ्ग - Masculine
व्यञ्जन सन्धि—Conjunction of consonants	स्त्रीलिङ्ग—Feminine
शब्द— Word	वचन—Number
सामासिक पद—A compound word	एकवचन - Singular
विकारी शब्द—A declinable word	बहुवचन—Plural
	अकर्मक क्रिया— Intransitive Verb

सकर्मक क्रिया—Transitive Verb	समापिका क्रिया—Finite Verb
काल—Tense	क्रियाविशेषण पद—Adverbial
वर्तमान—Present	Adjuncts
भूत—Past	साधारण वाक्य—Simple Sentence
भविष्य—Future	मिश्र वाक्य—Compound Sentence
विविध—Imperative	संयुक्त वाक्य—Compound Sentence
कर्तृवाच्य—Active Voice	व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय—
कर्मवाच्य—Passive Voice	Subordinate Conjunction
वाच्यपरिवर्तन—Change of Voice	समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय—
प्रधान कर्म—Direct Object	Coordinate Conjunction
गौण कर्म—Indirect Object	उपसर्ग—Prefix
सजातीय कर्म—Cognate Object	मुद्राविग्राह } --Idiom
पूर्ति—Complement	वाग्धारा }
प्रेरणार्थक क्रिया—Causal Verb	प्रत्यक्ष कथन—Direct Speech
पूर्वकालिक क्रियापद—Absolute Construction	परोक्ष कथन—Indirect Speech
धातु—Root	विभक्ति—Case-ending
विग्रह—Expounding	कारक—Case
वाक्य—Sentence	पदव्याख्या } —Parsing
वाक्यांश—Phrase	पदपरिचय }
उपवाक्य—Clause	विराम—Punctuation
संज्ञा उपवाक्य—Noun Clause	वाक्यपरिवर्तन—Transformation
विशेषण उपवाक्य—Adjective Clause	of Sentences
क्रियाविशेषण उपवाक्य—Adverbial	वाक्य-संश्लेषण—Synthesis of
Clause	Sentences
समुच्चायक—Connective	वाक्य-विश्लेषण—Analysis of
उद्देश्य—Subject	Sentences
उद्देश्य का विस्तार—Attributive	
Adjuncts to Subject	

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ	पृष्ठ
अ		
अकर्मक	७२, ७३, ७६	अल्पविराम ... १७२, १७३
अच्छा	... १२४	अव्यय ... ९९
अतिशयार्थक क्रिया	... ८७	अव्यय की पुनरुक्ति ... ११८
अधिकरण कारक	३६, ४१, ४५	अव्ययवाचक ... १११
अन्नःस्थ	... ५	अव्ययीभाव ... ११२
अन्यपुरुष	... ५२	अविकारो शब्द ... २०, ९९
अनिश्चित संख्यावाचक	६३	असमातिबोधक ... ८८
अनुकरणवाचक शब्द	११८	अन्तर ... १३
अनुहरणवाची क्रिया	८७	आ
अनुबद्ध	१०२, १०३	आकांक्षा ... १४९
अनुवार	... ६	आदिगसूचक ... १११
अपत्यवाचक	... ११०	आप \ ... ५५, ५६
अपभ्रंश	... १७९	आवृत्तिवाचक ... ६३, ६५
अपादान	४१, ४४	आश्रित वाक्य ... १३६
अपूर्णा प्रकर्मक क्रिया	७६	आमोत्त ... १४९
अपूर्णा कबोधक	... ६३	आसन्नभूत ... ८३
अपूर्णा भूत	... ८४	आज्ञा ... ८९
अपूर्णा वतमान	... ८२	इ
अपूर्णा सकर्मक	... ७६	इच्छाबोधक ... १२८
अर्थ	... ८८	उ
अर्धतत्सम	... १८१	उच्चारणस्थान ... ५
अर्धविराम	१७२, १७५	उत्तमपुरुष { ... ५२
		उद्देश्य ... १२७, १३०

	पृष्ठ		पृष्ठ
उद्देश्य का विस्तार ...	१३०	कर्मणिप्रयोग ...	१२०
उद्देश्यपूति ...	७६	करण ...	३९, ४३
उद्देश्य-चिह्न ...	१७३, १७७	करणवाचक ...	१०९
उपवाक्य ...	१५४	करके ...	१२५
उपसर्ग ...	१८, १०५, १०७	कल ...	१२६
ऊ		कहाकही ...	१२६
ऊनवाचक ...	११०	कारक ...	३५, ३६
ऊष्म ...	५	कारकविभक्तिप्रयोग ...	११९
ए		कारक-सम्बन्धी विशेष बर्तें ...	४१
एक ...	१२४	कार्यकारणसम्बन्ध ...	८९
एकवचन ...	३२	काल ...	८१
ओ		काल-रचना के नियम ...	९२
ओर ...	१०२	कालवाचकक्रियाविशेषण ...	१००
क		काल-सम्बन्धी विशेष प्रयोग ...	९७
कथनमेद ...	१६१	क्या ...	५१, ५२
कर्त्ता कारक ...	३६, ३७	कमवाचक ...	६३, ६४
कर्तृवाचक ...	१०९	किया ...	१२५
कर्तृवाच्य ...	९०	क्रिया ...	१९, ७१
कर्तरिप्रयोग ...	१२०	क्रिया का साधारण रूप ...	२६
कर्ता, कर्म और क्रिया का		क्रिया का सामान्य रूप ...	७७
अन्वय ...	१५०	क्रियाओं के रूपान्तर ...	७७, ७८
कर्म ...	३८	क्रिया के लिङ्ग, वचन	
कर्मभूति ...	७६, ७७	और पुरुष ...	७८
कर्म और सम्प्रदान ...	४२	क्रिया के अन्य रूप ...	८६
कर्मवाच्य ...	९०	क्रियावाचक विशेषण ...	८७, १००
कर्मवाचक ...	१०९	क्रियार्थक संज्ञा ...	८८
कर्मधारय ...	११३, ११४, ११६	क्रिया की पुनर्वाक्य ...	११८

	पृष्ठ		पृष्ठ
क्रियाविशेषण	१९, २६, ५९	जोही	...
		जो सो	...
उपवाक्य	१३८, १३९, १४०	त	...
कृदन्त	...	तक	...
केवल	...	तत्पुरुष	...
को	३६, ४२, ४३, १२१	तत्सम शब्द	...
कोष्ठचिह्न	...	तद्धित	...
कौन	...	तद्भव शब्द	...
कौन और क्या	...	तिन	...
ग		तिन्हीं	...
गणनावाचक	...	तिस	...
गुणावाचक	...	तुम	...
गौण कर्म	...	तुलना	...
च		तू	...
चरमप्रत्यय	...	तो	...
चलाचली	...	द	...
चला जाता	...	दर्शन	...
चाहिए	...	द्वन्द्व	...
चाहे	...	दिन को	...
ज		द्विकर्मक	...
जहाँ वहाँ	...	द्विगु	...
जातिवाचक संज्ञा	...	द्विबिन्दुसूत्र	...
जाना	...	दीर्घ स्वर	...
जिन, जिन्हीं	...	देवनागरी लिपि	...
जी	...	देशज	...
जैसी	...	ध	...
जो	...	ध्वनि	...

		पृष्ठ		पृष्ठ
धातु	...	७१	प्रश्नवाक्य चिह्न	... १७२, १७६
न			प्राण	... १५२
न का रूपान्तर	...	१७	प्रेरणार्थक	... ७९, ८०
नञ् तत्पुरुष	...	११३	पुरुष	... ५१
नहीं तो	...	१२५	पुल्लिङ्ग	... २८
नित्य-सम्बन्धी	... १०४, १५४		पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने	
निर्देशक	...	१७३	के नियम	... ३०
निरर्थक	... १८, ११८		पुनरुक्ति	... ११८
निश्चय	...	८८	प्लुत	... ४
निश्चित संख्यावाचक		६३	पूर्ति	... ७६
ने	३६, ३८, १२०		पूर्णाङ्कबोधक	... ६३
प			पूर्णभूत	... ८३
पत्थर	... १२३, १२४		पूर्णविराम	... १७२, १७६
पद-क्रम	...	१५४	पूर्वकालिक क्रिया	... ८६
पद-ठग्याख्या	...	१२१	ब	
पदार्थवाचक संज्ञा	...	२२	बहुवचन	... ३२
परिणामवाचक	६६, १००		बहुवचन बनाने के नियम	३२
परिशिष्ट	...	१७९	बहुव्रीहि	... ११२, ११४
परे	...	१०३	बूढ़ों को	... १२३
परोक्ष कथन	... १६१, १६२		भ	
परोक्ष विधि	...	८५, ८६	भविष्यत् काल	... ८४, ९५, ९६
प्रत्यय	...	१८, १०७	भावप्रधान वाक्य	... ८
प्रत्यक्ष कथन	... १६१, १६२		भाववाचक	२२, २४, २५, २६, १०९,
प्रत्यक्ष विधि	...	८५, ८६		११०
प्रत्येकवाचक	...	६३, ६५	भाववाच्य	... ५१
प्रधान कर्म	...	७४	भावेप्रयोग	... १२१
प्रश्नसूचक वाक्य	...	१२८	भाषा	... १

	पृष्ठ		पृष्ठ
भूतकाल	८३, ९३, ९४ ९५	वर्ण	३
भूतकालिक कृदन्त	... १०९	वर्णमाला	१, ३
म		वर्णविभाग	२
माध्यम पुरुष	... ५२	वर्तमानकाल	८२, ९२
मात्रा	... ६	वर्तमानकालिक कृदन्त	१०९
मिश्र वाक्य	... १२९, १३५	वह	५६, ५७
मील	... १२५	व्यक्तिवाचक संज्ञा	२२, २४
मुक्ते	... १२४	व्यञ्जन	३, ४
मूलध्वनि	... ३	व्यञ्जनसन्धि	९, १३
मूलस्वर	... ४	व्यधिकरण समुच्चयबोधक	१०४
मै	... ५४	व्यधिकरण समुच्चयबोधक	१०४
य		कं भेद	१०४
यइ	... ५६, १०१	वाक्य वाक्यविभाग	२, १२७
ये	... ५७	वाक्यपृथकरण	१३४
योः रुढ़ शब्द	... २१	वाक्य-पारवर्तन	१६२
योग्यता	... १५०	वाक्य-भेद	१२८
योजक	... १७३ १७६	वाक्यरचना-विचार	१४९
यौगिक शब्द	... २०, २१	व क्यविन्यास	१३४
र		वाक्य-विभाजन	१३४
रहित	... १०३	वाक्य विगो जन	१७०
रीतवाचक क्रियाविशेषण	१००	वाक्यावरलेषण	१३४
रुढ़ शब्द	... २०	व क्य संयोग जन	१६८
ल		वाक्य	८९
लिङ्ग	... २८	वाक्यान्तर	९०
लिपि	... ३	व्याकरण	२
घ		विवारी शब्द	२०, २२
वचन	... ३२	विदेशी	१८१

	पृष्ठ		पृष्ठ
सार्थक वाक्य ...	१२८	शब्दरचना ...	१०५
...	९६	शब्दांश ...	१८
विधिक्रिया ...	८५	स	
विधेय ...	१२७, १२९	स्पर्श वर्ण ...	५
विधेय की क्रिया का विस्तार	१३१	स्वर ...	३
विधेय विशेषण ...	१५३	स्वररहित व्यंजन ...	६
विभक्तियाँ ...	३६	स्वरबंधि ...	९
विगम-चिह्न ...	१७२	खोलङ्ग ...	२८
विश्लेषण के उदाहरण	१४०	स्थानवाचक क्रियाविशेषण	१००
विश्लेषण-विधि ...	१४२	संज्ञा ...	१९, २२
विश्लेषण-सम्बन्धी विशेष		संज्ञाओं के रूपान्तर ...	२७
बतें ...	१४६	संज्ञा की पुनरुक्ति ...	११८
विश्लेषण १९, २५, २६, ६०, १०९, ११०		संज्ञा उपवाक्य ...	१३६, १३७
विश्लेषण की पुनरुक्ति	११८	संज्ञा और सर्वनामका अन्वय	१५३
विश्लेषण उपवाक्य ...	१३६, १३८	सम्बन्ध और सम्बन्धी का	
विश्लेषण के भेद ...	६१	अन्वय ...	१५४
विश्लेषणों के रूपान्तर	६७	सन्देहसूचक वाक्य ...	१२८
विश्लेषण ...	६१	संयोजक ...	१४१
विश्लेष्य-विशेषण का अन्वय	१५२	संयुक्तवाक्य ...	१२९, १४१
विस्मयादिबोधक ...	२६, १०५	संयुक्त क्रिया ...	८६
विस्मयादिबोधक वाक्य	१२८	संकेतार्थ वाक्य ...	१२८
विस्मयादिबोधक चिह्न	१७६	संख्यावाचक ...	६२, ६३, ६४
वसर्ग ...	७	संबद्ध ...	१०३
वसर्गसंध ...	९, १५	संभाव्य वर्तमान ...	८२
श		संभाव्यभूत ...	८४
शब्द ...	२	संभाव्यभवष्यत् ...	८४
शब्दविभाग ...	२, १८	संभावना तथा संदेह	८९

	पृष्ठ		पृष्ठ
सम्बन्धवाचक ...	१११	सर्वनाम के रूपान्तर ...	३
संधि ...	८	सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग ...	१, ३, ५
संधिस्वर ...	४	सर्वनाम की पुनरुक्ति ...	११८
संयुक्त स्वर ...	४, ७	सरीखा ...	६९
संयुक्ताक्षर ...	७	सहायक क्रिया ...	८७
संप्रदान ...	४०	सा ...	६९
सम्बन्ध ...	४१, ४५	माथ ...	१२४
सम्बन्ध और सम्बन्धी ...	४५	सादृश्यसूचक ...	१११
संवाधन ...	४१, ४६	साधारण वाक्य ...	१२८, १३४
सम्बन्धसूचक १९, २६, १०२, १०३	१२५	साधोक शब्द ...	१८
संवत् ...	१७	सामान्य वर्तमान ...	८२, ९७
स का रूपान्तर ...	७२, ७३, ७५	सामान्य भूत ...	८३, ९८
सकमरु ...	७५	सामान्य भविष्यत्काल ...	८४
सजातीयकर्म ...	६९	सावनामिक विशेषण ...	६६
सदृश ...	६९	सावनामिक विशेषण का रूपान्तर ...	६७
सम ...	६९	सिर ...	१०१
समान ...	११२	सा ...	५७
समास ...	११२	सो ही ...	५८
समास के भेद ...	११३		
समानाधिकरण तत्पुरुष ...	१०४	ह	
समानाधिकरण समुच्चयबोधक ...		हम ...	५४
समानाधिकरण समुच्चय-बोधक के भेद ...	१०४	हल् ...	६
समानाधिकरण शब्द ...	४१, १३०	ह्रस्व स्वर ...	४
समास-सम्बन्धी कुछ विशेष बातें ...	११५	हाँ ...	१२४
समासप्रवाधक क्रिया ...	८८	हिन्दी भाषा का शब्द-भाण्डार ...	१७९
समुच्चयबोधक ...	१९, १०३	ही ...	५६
सर्वनाम ...	१९, ५१	हेतुहेतुमद्भूत ...	८४
सर्वनाम के भेद ...	५२, ५३	हेतुहेतुमद्भविष्यत् ...	८५
		हेतुहेतुमद्ब्रतमान ...	८२

